खण्ड-241, अंक-3
मंगलवार, 5 चैत्र, शक संवत् 1885
(26 मार्च, 1963 ई0)

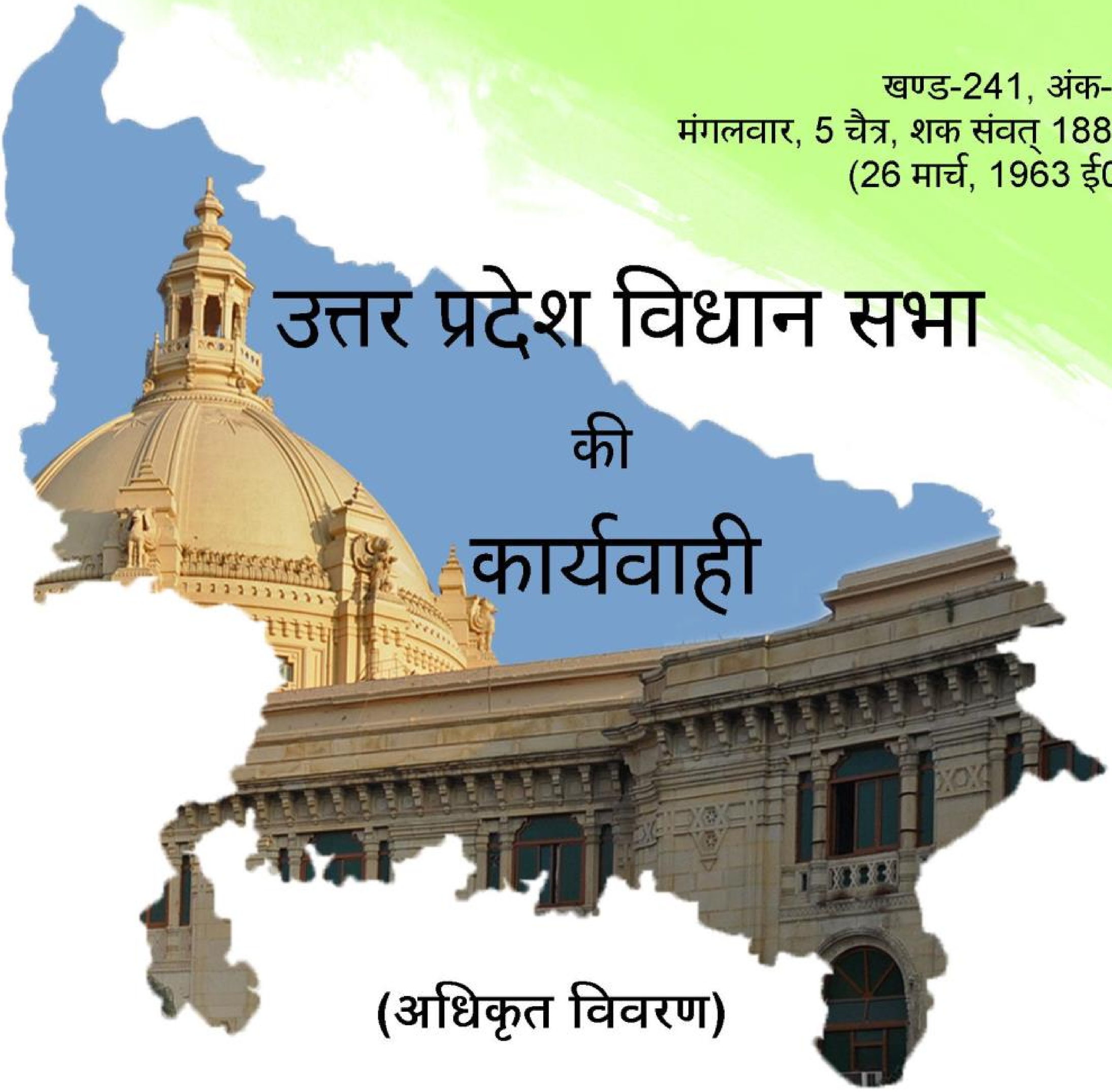

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 241 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २६ मार्च, १९६३

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३४५

अक्षयवरसिंह, श्री
अखंडप्रताप सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल बशीर खां, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
० सी० ग्राइस, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छन्नन गुरू)
कल्याणराय, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री

गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेंद्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेंद्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरेंद्रसिंह, श्री
नरेंद्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अंसारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बसंतलाल शर्मा, श्री
बसंतसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री

बालकराम वैश्य, श्री
बालेंदुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बैजनाथ सिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगौतीदीन, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेंद्रसिंह, श्री (लल्लनजी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेंद्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेंद्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेंद्रसिंह, श्री
राजेंद्रसिंह यादव, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री

रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शकुंतला नागर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिज़वी, श्री
शांतिचन्द्र शुक्ल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेंद्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
संतसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेंद्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेंद्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपाल सिंह, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदखां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--वन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री तथा सिंचाई उपमंत्री, डाक्टर रामनारायण पांडेय भी उपस्थित थे।

महाराजगंज स्थित गणेशशंकर विद्यार्थी स्मारक इन्टर कालेज में १५ मार्च, १९६३ को घटी घटना के विषय पर नियम ५२ के अन्तर्गत गृह उप मन्त्री के वक्तव्य पर प्रश्न पूछने के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष द्वारा दी गयी व्यवस्था पर पुनर्विचार करने हेतु प्रार्थना

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय (जिला जौनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, हमें बहुत दुख है कि हमारे बार-बार प्रयत्न करने पर भी आपने अपनी उस रूलिंग को जो दफा ५२ के संबंध में आपने दी थी, रिवाइज करने पर विचार नहीं किया और कल हम लोगों की जो वार्ता हुई और उसके संबंध में जो आपसे बातें हुई उसके अनुसार हम और हमारे साथी सालिगराम जी तथा कमलासिंह जी आपके निवास स्थान पर हाजिर हुए, लेकिन आपको फुर्सत नहीं हुई कि आप हमारी बात को सुनें और उस पर विचार करें, यह बहुत दुख की बात है। यह प्रश्न इस सदन के लिये और हम सब के लिये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि उसको नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता...

श्री अध्यक्ष—

यह आप किसकी ओर से बोल रहे हैं ?

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—

यह मैं संयुक्त समाजवादी दल की तरफ से बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

तो आप अभी बैठें।

संयुक्त समाजवादी दल की मान्यता का समाप्तिकरण

श्री अध्यक्ष—

एक पत्र आया है आपके नेता का, उसको मैं यहां सुनाये देता हूं। उसमें लिखा है कि "अतः हम आपको सूचित करते हैं कि हम सोशलिस्ट विधायक दि० २६, मार्च, ६३ से विधान सभा में पुनः सोशलिस्ट दल के नाम से, सोशलिस्ट पार्टी के विधान तथा अनुशासन में रहकर काम करेंगे। जो प्रसोपा विधायक संघर्ष में हमारे साथ रहे हैं, उनसे निवेदन है कि वे सोशलिस्ट दल में शामिल होकर सोशलिस्ट पार्टी के विधान एवं अनुशासन के अन्तर्गत कार्य करें।" तो अब इस तरह से सोशलिस्ट और प्रजा सोशलिस्ट दल अलग हो जाते हैं आपके ही नेता के पत्र के अनुसार। लिहाजा संयुक्त दल के रूप में जो मैंने मान्यता दी थी वह अब समाप्त हो गई, विद्ड्रा होती है। अब प्रसोपा दल अलग है और सोशलिस्ट दल अलग है।

महाराजगंज स्थित गणेशशंकर विद्यार्थी स्मारक इन्टर कालेज में १५ मार्च, १९६३ को घटी घटना के विषय पर नियम ५२ के अन्तर्गत गृह उप मन्त्री के वक्तव्य पर प्रश्न पूछने के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष द्वारा दी गयी व्यवस्था पर पुनर्विचार करने हेतु प्रार्थना (क्रमागत)

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—

श्रीमन्, मुझे निवेदन करना है कि यह पत्र जो आपको प्राप्त हुआ है और जिसे आपने सुनाया, वह एक अहमियत रखता है लेकिन इससे बढ़कर अहम बात यह है कि सदन के

सदस्यों के जो हकूक छीने जा रहे हैं और हमारे हकूक किसी दल के नाते नहीं हैं बल्कि वह सदन का सदस्य होने के नाते हैं, वह छीने जा रहे हैं। उनके लिये हम लड़ेंगे और उनको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। अतः हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि आप अपनी दफा ५२ के संबंध में दी गई रूलिंग पर विचार करें और हमको भी उस पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर दें और अगर आप अवसर नहीं देना चाहते हैं तो हम सब मजबूर होंगे कि हम इस सदन से बजट सेशनभर के लिये वाकआउट करें ....

श्री अध्यक्ष---

आप जरा बैठ जायं। मैं निवेदन कर दूं कि जहां तक प्रजा सोशलिस्ट और सोशलिस्ट पार्टी का संबंध था, उसके विषय में मैंने अपना निर्णय सुना दिया। नियम ५२ के संबंध में मैं फिर से स्पष्ट इस आदरणीय सदन के समक्ष कहना चहता हूं कि नियम ५२ का अभिप्राय यह है कि सरकार का या मंत्री का किसी विशेष अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकर्षित कराया जाय। जो विषय था वह यह था कि इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के परीक्षार्थियों की परीक्षा में व्यवधान न पड़े। यह बात स्पष्टतः मैंने माननीय नरसिंहनारायण जी से कह दी थी और उन्होंने स्वीकार की थी और जिस समय नियम ५२ की सूचना सरकार को देने को कहा था उस समय भी मैंने कह दिया था कि मैं इसको पूर्णतः स्वीकार नहीं कर रहा हूं, अंशतः स्वीकार कर रहा हूं। उसी समय माननीय नरसिंहनारायण ने उठकर कहा था कि परीक्षायें हो रही हैं और मैंने भी उस पर कहा था कि इसीलिये इस पर विशेष जोर दिया जा रहा है और मुझे विश्वास है कि सरकार यथोचित प्रबन्ध करेगी। वह विषय नियम ५२ से सम्बद्ध था और इसी वजह से मैंने यह निर्णय दिया था कि जितने भी सप्लीमेंटरी प्रश्न हों वह प्रस्तुत विषय से संबंधित हों, उनके बयान से। लेकिन उसके बाद जो कुछ भी कार्यवाही यहां हुई वह हमारे नियमों के विरुद्ध नियम ३१८ के विरुद्ध हुई। मैं समझता हूं कि नियम ५२ के अन्तर्गत मेरे आदेश के बाद जो कुछ भी कार्यवाही हुई है वह नियमानुसार है और उसमें कोई त्रुटि नहीं है। यही मेरा निश्चय है। अब आप बैठें और सदन की आगे की कार्यवाही में भाग लें। आपने एक आरोप और लगाया, उसको भी मैं स्पष्ट कर दूं। आज सवेरे मुझे पौने नौ बजे सूचना मिली कि आप आये हुए हैं, मैं उस समय तैयार हो रहा था विधान सभा आने के लिये इस वास्ते कि यहां पर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक थी। मैं जब बाहर आया ९ बजने में ५ मिनट शेष थे और मैंने क्षमा मांगी कि मुझे विलम्ब हो गया है, मुझे जाना है समिति की बैठक में, आप क्षमा कीजियेगा और आपसे स्पष्ट कह दिया कि मेरा क्या विचार है और वह विचार आपको मालूम है। अगर आप उस विचार को स्वीकार करने में असमर्थ हैं तो मेरी मजबूरी है। लेकिन जहां तक मेरा संबंध है, मैं आपको स्पष्ट कह देता हूं कि मुझे अपने निर्णयों में तनिक भी शंका नहीं है कि उसमें कोई गलती हुई है और वह मेरा अंतिम निर्णय है।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय---

श्रीमन्, मुझे कुछ कहने का मौका देंगे ?

श्री अध्यक्ष---

जो कुछ आप कहना चाहें प्रश्नों के पश्चात् कहें।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय---

प्रश्न आपने छेड़ दिया।

श्री अध्यक्ष---

अब खत्म हो गया। कृपया बैठ जायं, जो कुछ कहना हो प्रश्नों के बाद कहियेगा।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय---

मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। ऐसी परिस्थिति पैदा करके आपने सदन में एक ऐसा वातावरण उपस्थित कर दिया कि २४ सदस्य निलम्बित किये गये। यह सदन के प्रति बहुत बड़ा आघात पहुंचाया जा रहा है।

महराजगंज स्थित गणेशशंकर विद्यार्थी स्मारक इंटर कालेज में १५ मार्च, १९६३ की २१३ घटी घटना के विषय पर नियम ५२ के अन्तर्गत गृह उपमंत्री के वक्तव्य पर प्रश्न पूछने के संबंध में श्री अध्यक्ष द्वारा दी गयी व्यवस्था पर पुर्नविचार करने हेतु प्रार्थना

श्री अध्यक्ष---

एक बात आप सुन लें। नियम ३१८ में व्यवस्था देने का अधिकार मुझे है। आपने कहा नियम ५२ के अन्दर पुनः विचार नहीं किया। मैंने उत्तर दे दिया कि मैं समझता हूं जो निर्णय है वह ठीक है, इसलिये पुनः विचार करने का कोई प्रश्न नहीं है। उसके बाद जो कुछ कार्यवाही हुई मैंने कह दिया कि मैं समझता हूं कि वह ठीक है। अब इसके उपरान्त मेरे निर्णयों के ऊपर इस सदन को अधिकार नहीं है कि उसके ऊपर आलोचना करे या उसको डिस्कस करे। उसका आप पालन करें। अब प्रश्नों का समय है, पहले वह समाप्त हो जायं, फिर आपको सुन लूंगा।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

प्रश्न यह है कि आपने निर्णय दिया। मैं भी अपनी बात कह दूं उसके बाद हमको जो करना होगा करेंगे। आपने कल मीटिंग बुलायी, मीटिंग में आपने स्पष्ट रूप से कहा था कि माननीय कमलासिंह जी के रिप्रेजेंटेशन पर आप बुला रहे हैं। लेकिन मुझे दुख है कि माननीय कमलासिंह के लीगल प्वाइंट के उठने के बावजूद भी आपने उस मसले पर विचार नहीं किया। २२ तारीख से लगातार कुछ ऐसी चीजें होती चली जा रही हैं, इस सदन में और बाहर भी, जिसकी वजह से हम सब लोगों को कष्ट है और आपको भी है। लेकिन आप उसका निवारण करने के लिये तैयार नहीं हैं। यदि वह वक्तव्य शिक्षा मंत्री के द्वारा दिलाया गया होता तो उसका रूप दूसरा होता . . . .

श्री अध्यक्ष---

अब आप बैठ जायं, मैं आदेश देता हूं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

एक बात सुन लें। जिस अंश को जिस मंशा से आपने दफा ५२ में स्वीकार किया था उसके अनुरूप वक्तव्य नहीं दिया गया. . . .

श्री अध्यक्ष---

आप कृपया आसन ग्रहण करें या सदन छोड़ें। अब आप इंटरप्ट न कीजिये।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

श्रीमन्, जिस मंशा से आपने दफा ५२ जिस अंश में स्वीकार किया गया था अगर उसी अंश पर माननीय मंत्री का वक्तव्य आया होता तो हमको कोई आपत्ति न होती, लेकिन आपने जिस मंशा से इसे स्वीकार किया उस मंशा के अनुरूप माननीय मंत्री का वक्तव्य नहीं आया। वक्तव्य आया पूरी दफा ५२ पर और उस पर हमारा अधिकार हो जाता है कि स्पष्टीकरण के नाते हम सप्लीमेंटरी करें।

श्री अध्यक्ष---

यह तो आपकी बहस है। यह बहस आपकी कल भी थी। उस संबंध में मैंने एक निर्णय दे दिया है। मैं समझता हूं कि वक्तव्य आने पर भी मैं आपको उस विशेष विषय पर अपना ध्यान केंद्रित करने को कह सकता हूं जिस मंशा से वह वक्तव्य नियम ५२ में दिया गया है। यह मेरा निर्णय है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

अध्यक्ष महोदय. . . .

श्री अध्यक्ष---

आप सदन छोड़ें। आप व्यवधान डाल रहे हैं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

एक बात कह कर चला जाऊंगा। आपकी रूलिंग से हम असहमत हैं और बजट सेशन तक के लिये हम सदन का त्याग करते हैं।

(इसके उपरान्त प्रजा समाजवादी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

प्रश्नोत्तर

मंगलवार २६ मार्च, १९६३

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३०(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

लखनऊ डिवीजन में नहरी पानी के अतिरिक्त साधनों से सिंचित भूमि पर नहरी कर

*१--श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)--

क्या यह बात सही है कि शारदा कैनाल, लखनऊ डिवीजन में अधिकारियों ने यह आदेश दिये हैं कि जिस भूमि की तालाब, कुआं, ड्रेन से सिंचाई की गयी है, उस पर भी नहरी महसूल इसलिये लगा दिया जाय कि पानी नहरी नाली से ले जाया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

सिंचाई उपमंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)--

इस विषय में जो नियम इरीगेशन मैनुअल आफ आर्डर्स में दिये गये हैं उन्हीं के पालन के लिये आदेश दिये गये हैं।

*२--श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस डिवीजन में खास तौर से जिलेदारी नं० ३ में कितनी ऐसी भूमि लिखी गयी है जो तालाब, कुआं, ड्रेन के पानी से सींची गयी है और जिस पर उक्त नहरी महसूल लगाया जा रहा है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

जिलेदारी ३ में लगभग २० एकड़।

*३--श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या सरकार इस प्रकार के आदेशों को कैंसिल करके तालाब, कुआं, ड्रेनों से की गयी सिंचाई पर लगे महसूल से मुक्त कराने का आदेश देने की कृपा करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

उक्त आदेशों में परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

जब नियम बने हुये हैं तो इसकी क्या आवश्यकता पड़ी कि दोबारा नियम पालन के लिये कहा गया और यह आदेश केवल लखनऊ डिवीजन के लिये दिया गया है या अन्य डिवीजनों के लिये भी दिया गया है ?

सिंचाई मंत्री (श्री राममूर्ति)--

यह नियम सारे प्रदेश के संबंध में लागू होता है। यह मसला एक जमाने से चला आ रहा है। जो नहर का पानी जाने के लिये नालियां बनी हुई हैं अगर उन नालियों से कोई दूसरे किस्म का पानी भी जाता है तो उस पानी को नहर का पानी माना जाता है। किसान पानी कहीं से ले; अगर नहरी गूल से उस पानी को ले जायेंगे तो नहर का महसूल लगेगा।

एक बात और वजाहत के तौर पर अर्ज कर दूं कि तालाबों में नहरों का पानी इसलिये भरा जाता है क्योंकि जानवर उस पानी को पीते हैं, लोग नहाते हैं और कपड़े धोते हैं। लेकिन कोई किसान अपने खेत में उसे ले जाता है तो लिफ्ट रेट लगा दिया जायगा। भट्ठे की ईंट थापेगा तो ८ आने १ हजार पर लगा दिये जायेंगे।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

बरसाती पानी नहरी पानी के अलावा जो गूलों और नालियों से जाता है उसका महसूल लगाया जा रहा है, तो क्या सरकार इस तरह के आर्डर को विदड्रा करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

इसकी स्थिति यह है कि इस प्रकार की जितनी सिंचाई होती है वह एक विशेष प्रकार के फार्म में इन्दराज की जाती है और उसकी फिर बाद में जांच की जाती है और उसके बाद फर्ज उजरी की एक जांच लाजिमी है। उसके बाद ही अगर यह पाया जाता है कि वास्तव में यह नहर की सिंचाई है तो उस पर रेट लगता है अन्यथा वह छोड़ भी दिया जाता है।

श्री मेघनाथसिंह शिशोदिया (जिला मेरठ)--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि ड्रेन और तालाबों में वह जानबूझ कर नहर का पानी सिंचाई के लिये देते हैं या नहर का जो खारिज पानी तालाब और ड्रेनों में चला जाता है और किसान यदि उसका प्रयोग कर लेता है तो उसका महसूल नहीं लगाया जाता है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

इसलिये यह नहीं है कि किस लिये लगता है। नहर का पानी अगर एक भी लगाया जाता है तो नहर की पूरी सिंचाई हो जाती है और अगर खाली तालाब का पानी लगता है जो बरसाती है तो उस पर कोई सिंचाई नहीं लगती है।

श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुये कि यह मसला बहुत पुराना है, आप कहते हैं कि किसान तालाब से नहर का पानी लेगा तो सिंचाई लगेगी लेकिन निजी कुंए और रहट से भी अगर किसान पानी देता है तो उस पर भी आपकी नहर का रेट चार्ज होता है, तो शामिल खाल का जो मसला है उस पर दोबारा मंत्री जी गौर करेंगे ?

श्री राममूर्ति--

जी नहीं। इसके ऊपर अब कोई गौर करने का इरादा इसलिये नहीं है चूंकि यह बात न मालूम कितनी मर्तबा बराबर डिपार्टमेंट के सामने आया करती है और मैंने खुद भी उसको अच्छी तरह से देखा है और मैं इसमें संतुष्ट हूं कि अगर नहर के बरहे का इस्तेमाल किया जायगा तो फिर कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि महसूल लगा दिया जाय चाहे वह निजी कुंए का ही पानी क्यों न हो।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)--

क्या माननीय मंत्री जी मेरी इन बातों पर भी विचार करेंगे कि कुंए में पानी है, आप नहर का पानी किस लिये उसमें जाने देते हैं ? और फिर इतनी गहराई से पानी लेने वाले से टैक्स लेते हैं, इसके औचित्य पर भी विचार करें। तीसरे यह कि तालाब में बरसात का पानी पहले से इकट्ठा है, दो-तीन सिंचाई बरसाती पानी से कर लिया, उसके बाद नहर का पानी आ गया। तो एक बार अगर नहर के पानी से सिंचाई की तो तीन दफे का आप लेंगे। क्या इस पर भी आपने विवेचना की है ?

श्री राममूर्ति--

तीन बातों का जिक्र किया और तीनों बातों का जवाब मैं दे चुका हूं। मैं फिर रिपीट किये देता हूं। अगर तालाब में बरसात का पानी भरा हुआ है और उसको कोई लगाता है तो कोई महसूल नहीं लगता। जब तालाब को नहर का पानी ले कर भरते हैं जिसका मंशा यह होता है कि जानवरों को सहूलियत हो पानी की और नहाने वगैरह की और उस पानी को और कोई इस्तेमाल किया जाता है तो महसूल लगता है। अगर नहर की नालियों में निजी पानी भी डाल कर सिंचाई की जाती है तो फिर यह चीज हम पतरौल और ट्यूब-वेल आपरेटर पर नहीं छोड़ सकते हैं कि पानी किसका है क्योंकि उसमें करप्शन होगा। इसलिये यह रूल बना हुआ है कि अगर नहर के बरहों से पानी ले जाया जायगा, वह चाहे जिस तरह का पानी हो, तो उस पर नहर का रेट लगेगा।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

अध्यक्ष महोदय, यह जो आदेश पड़ताल होने के बाद प्रसारित हुये हैं कि इस प्रकार के केसेज खासतौर से लिखे जांय तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच कराने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों ने तालाब और कुएं से सिंचाई की है उन्हें मुक्त किया जाय और जो यह नियम है कि तालाब और कुंए के पानी से भी सिंचाई करें तो भी महसूल देना पड़ेगा उसमें संशोधन करेंगे? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति--

अभी इसके बारे में बताया जा चुका है कि इसका अलग से प्रोसीजर है। खसरा शुद्धकार में जो बातें दर्ज की जाती हैं उसका महसूल डिमांड करने से पहले जांच कर ली जाती है कि पानी किस तरह से लगाया गया है तब महसूल लगाया जाता है। सब बातें खसरा शुद्धकार में दर्ज नहीं की जाती हैं। केवल वही बातें लिखी हैं जो डाउटफुल नेचर की होती हैं।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे शामिल बरहा के बारे में कि नहर के पानी के ऊपर से जो गुजरते हैं उस पर भी नहर का टैक्स लगा देते हैं? अगर ऐसा है तो क्यों? उससे नहर का पानी नहीं आ सकता है ?

श्री राममूर्ति--

नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। अगर कोई हमारे बरहा को इस्तेमाल नहीं करेगा तो उस पर महसूल नहीं लगेगा। अगर कोई केस कहीं हो गया हो तो उसकी रिपोर्ट करनी चाहिये, उसकी जानकारी करा लें।

श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)--

श्रीमन्, किसान एक बार पानी ले लेता है और उसको आवश्यकता चार पानी की है लेकिन वह पानी नहीं पाता है तो भी उससे सिंचाई रेट पूरे लिये जाते हैं। इसमें किसान का क्या कसूर है? जब उसको चार पानी की जरूरत है और नहर विभाग नहीं दे पाता है तो सिंचाई के पूरे रेट्स उससे क्यों लिये जाते हैं ?

श्री राममूर्ति--

अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात नहीं है। नहर बराबर चलाई जाती है और जिसको जितने पानी की जरूरत होती है वह लिया करता है। यह अलग बात है कि कोई ३-४ पानी लगाये और कोई २ ही पानी लगाये। लेकिन नहर जितने दिन चलती है तो उसमें से हर किसान जितना चाहे पानी लगा सकता है।

श्री यशपालसिंह वर्मा (जिला सहारनपुर)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि काश्तकार पानी ले जाने के लिये अपने रकबे में गूल बनाता है और अगर उसमें से वह कुएं का पानी ले जाता है तो उसके ऊपर बाकायदा महसूल उसी तरह से लगकर आ जाता है, ऐसा क्यों है ?

श्री राममूर्ति—

जी, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई किसान अपनी गूल से अलग गूल से पानी ले जाता है तो कोई महसूल नहीं लगता है।

[२६ मार्च, १९६३ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१-२—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

[८वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

*३—५—श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिये गये।]

अमरोहा मुन्सिफी

*६—श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार अमरोहा, जिला मुरादाबाद, की मुन्सिफी को समाप्त कर देने का विचार कर रही है? यदि हां, तो किन कारणों से? और कब तक समाप्त करने का विचार है?

न्याय मंत्री के सभा सचिव (श्री चन्द्रसिंह रावत)—

जी नहीं।

*७—श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या न्याय मंत्री यह बतायेंगे कि सम्पूर्ण सन् १९६२ में मुन्सिफ अमरोहा द्वारा कुल कितने मुकदमें तय किये गये?

श्री चन्द्रसिंह रावत—

कुल १,०९५ मुकदमें तय किये गये।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या मंत्री जी के पास जिलाधीश महोदय, मुरादाबाद, की कोई रिपोर्ट इस मुन्सिफी के बारे में आई है कि इसमें हर वर्ष काम कम होता जा रहा है? यदि हां, तो क्या उसे बताने की कृपा करेंगे कि वह क्या है?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—

मेरे इल्म में कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि अमरोहा मुन्सिफी का काम हर वर्ष कम होता जा रहा है तो बिजनौर जिले का कुछ काम इसको दे दिया जाय?

श्री सैयद अली जहीर—

दूसरे जिले का काम कैसे आ जायगा, समझ में बात नहीं आई।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या सरकार की नीति है कि देहाती कस्बों से मुंसिफी को हटाकर शहरों में कर दिया जाय?

श्री सैयद अली जहीर—

जी नहीं, मुन्सिफी जिले के हेड क्वार्टर्स पर होती हैं। कहीं-कहीं मखसूस हालत में तहसील में कायम कर दी जाती हैं।

*८-९—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

[८वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

हरेर तालाब के नाले को खुदवाने का सुझाव

*१०—श्री रामसिंह (जिला मैनपुरी)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम हरेर, तहसील करहल, जिला मैनपुरी, में जो नाला हरेर के तालाब से निकाल कर सौज के तालाब में जाकर मिल जाता है सरकार इस नाले को खुदवाकर नजदीकी नदी में पहुंचाने की व्यवस्था कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

यह नाला हरेर तालाब से निकलकर सौज तालाब में मिलता है और वहां से समान ताल होता हुआ पुरहा नदी में गिरता है। यह नाला अपनी सम्पूर्ण लम्बाई में खुद चुका है। अतः अब इसके खुदवाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामसिंह—

माननीय मंत्री जी ने बताया कि यह नाला हरेर तालाब से निकल कर सौज तालाब में मिलता है और वहां से समान तालाब होता हुआ पुरहा नदी में गिरता है। ऐसा शायद कागजों में हो सकता है। मेरी सूचना को सही मान कर कि नाला इस प्रकार का नहीं है जिससे सब पानी निकल जाय, क्या माननीय मंत्री जी इसको खुदवाने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन्, मेरी सूचना तो यह है कि यह १३ मील ३ फर्लांग लम्बा है, २ हजार १० एकड़ भूमि इससे लाभान्वित होती है, ९२ हजार ६ सौ रुपये के लगभग लागत व्यय होनी है।

श्री रामसिंह—

मेरी इस सूचना को सही मान कर कि इस नाले से पूरा पानी नहीं निकल पाता है क्या मंत्री जी इस नाले को, पूरा पानी निकलने के लिये, फिर खुदवाने की व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री राममूर्ति—

चूंकि माननीय सदस्य को इससे तस्कीन नहीं हो रही है इसलिये दोबारा फिर जांच करवा कर देख लेंगे कि पानी निकलता है या नहीं।

*११—श्री रामसिंह—

[दवें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

*१२—श्री बांकेलाल (जिला देवरिया) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

[दवें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

*१३-१४—श्री रामलखन वकील (जिला वाराणसी)—

[दवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

*१५-१६—श्री राजनाथसिंह (जिला गाजीपुर)—

[दवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

*१७—श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिया गया।]

*१८—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

[दवें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

*१९—श्री चन्द्रबलीसिंह—

[७वें मंगलवार के लिये प्रश्न ६३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*२०—श्री केसरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

[दवें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

*२१—२३—श्री शराफत हुसैन रिजवी—
[८वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

बस्ती जिले में बीज व खाद की रकम की वसूली

*२४—श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती)—
क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती में बीज की कुल कितने धन की वसूली के लिये कार्यवाही हो रही है ?

कृषि उपमंत्री (श्री शिवराजसिंह)—
बस्ती जिले में १५-३-६३ के पश्चात् बीज तथा खाद की कुल १९,३५,५४७ रु० की रकम की वसूली की कार्यवाही हो रही है ।

*२५—श्री रणबाहादुरसिंह—
क्या यह सच है कि १९३८ से जो रकम बाकी थी उसकी वसूली का आदेश हुआ है ?

श्री शिवराजसिंह—
जी नहीं । सन् १९३८ का कोई भी बकाया नहीं है । अतः वसूली के आदेश का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

*२६—श्री रणबहादुरसिंह—
क्या यह भी बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती में १५ वर्ष के पहले का कितना बीज का बकाया था जो वसूल हो रहा है ?

श्री शिवराजसिंह—
३०-६-६२ को उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार १५ वर्ष पहले अर्थात् सन् १९४६-४७ तक का कुल १,१९,५५५ रु० २६ न० पै० के बकाये की वसूली की कार्यवाही हो रही है ।

श्री रणबहादुरसिंह—
क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो लगभग २० लाख रुपये की जो बीज की वसूली हो रही है यह कई वर्षों से लगातार बाढ़ आने के कारण किसानों पर बाकी हो गयी है इसमें किस्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री शिवराजसिंह—
श्रीमन्, इस रकम में साढ़े पांच फीसदी सूद लिया जाता है इसलिये जिन किसानों की अदा करने की क्षमता है उन पर भी अगर मुल्तवी कर दिया जायगा तो ब्याज जुड़ेगा, इसलिये जब तक किसी बकायादार की तरफ से प्रार्थना-पत्र नहीं आता तब तक इस तरह का आम आदेश जारी करना किसानों के हित में नहीं होगा।

श्री रणबहादुरसिंह—
क्या माननीय मंत्री जी इस बात को सूचना मान कर कि १९३८ के पहले की भी वसूली का आदेश हुआ है, कुछ ऐसी रकमों की वसूली की सूचना बस्ती जिले में मिली है, इसकी जांच करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री शिवराजसिंह—
मान्यवर, सरकार के पास निश्चित सूचना है कि १९४१-४२ से पहले की कोई भी बकाया कृषि विभाग के स्टोर्स से जो सीड दिया गया है उसकी नहीं है । अतः दोबारा जांच का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—
क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि अगर धान पुराना नहीं है तो आज से तीन साल पहले काफी बड़े पैमाने पर जो धान बांटा गया था जो उगते ही सूख गया था, क्या उसकी वसूली के लिये तो आदेश नहीं दिया गया है ? अगर दिया गया है, तो जांच करके क्या उसको माफ करने की कृपा करेंगे ?

श्री शिवराजसिंह---

यह बात सही है कि १९५८-५९ में लेट पैडी के स्थान पर मीडियम पैडी का बीज कृषि विभाग के कुछ सीड स्टोर्स से बांट दिया गया था।

तुरन्त ही जांच की गई और उससे संबंधित ५,९०० रुपये की रकम जो बीज की थी वह पूरी की पूरी माफ कर दी गई और इस प्रकार के आदेश बस्ती जिले को पहुंच गये हैं। उसकी वसूलयाबी नहीं की जा रही है।

श्री रणबहादुरसिंह---

क्या माननीय मंत्री जी यह जानते हैं कि जिला बस्ती में एक डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चर आफिसर थे जिन्होंने जड़हन का बीज जो वहां दिया था वह सारे जिले में धान हो गया और खेत में पहुंचकर के उगा नहीं और वह भी जानते हैं कि उनके खिलाफ कार्यवाही हुई और वह डिसमिस कर दिये गए, इसके बाद भी उसकी भी वसूली का आदेश हुआ है जो कई लाख रुपया है ?

श्री शिवराजसिंह---

मान्यवर, जैसा मैंने पहले जवाब में अर्ज किया, कृषि विभाग के बीज गोदामों से जितना इस प्रकार का गलत पैडी का बीज दे दिया गया था उसके मुताल्लिक तमाम रकम माफ कर दी गई है। माननीय रणबहादुरसिंह ने जैसा बताया जिस कृषि अधिकारी जिला बस्ती को सस्पेंड किया गया और डिसमिस किया गया, तत्पश्चात् बस्ती की जनता ने उनको मेम्बर पार्लियामेंट बनाकर भेज दिया.....

श्री अध्यक्ष---

उनका स्पेसिफिक प्रश्न है बस्ती के बारे में, जहां अफसर द्वारा गलती हुई, वहां उस गलती के बावजूद भी लोगों से वसूली की जा रही है या नहीं ? हां या नहीं, यह स्पष्ट कर दें।

श्री शिवराजसिंह---

मैंने तो स्पष्ट बात कह दी कि जितना बीज कृषि विभाग के बीज गोदाम में से गलत बांटा गया था वह तमाम रकम माफ कर दी गई है और उसकी वसूलयाबी नहीं की जा रही है।

श्री अध्यक्ष---

यह बात बस्ती के लिये भी है ?

श्री शिवराजसिंह---

बस्ती के संबंध में तो है ही।

श्री रणबहादुरसिंह---

क्या माननीय मंत्री जी हमारी इस बात को सूचना मानकर के कि अब भी जो ट्रांस राप्ती एरिया में बहुत बड़े पैमाने पर इस प्रकार का बीज बांटा गया है उसकी भी वसूली इस वक्त हो रही है, इसकी जांच कराने और उस पर उचित कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री शिवराजसिंह---

मान्यवर, निश्चित आदेश दे दिये गये हैं कि वह ५ हजार ९ सौ रुपये की रकम वसूल न की जाय। अगर कहीं हमारे अहकाम के अमलदरामद में कोई गलती होगी और माननीय सदस्य उसकी तरफ हमारा ध्यान दिलायेंगे तो उस संबंध में उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

श्री ब्रह्मदत्त भायर (जिला सहारनपुर)---

अध्यक्ष महोदय, एक सरकारी अफसर की गलती से बीज गलत दिया गया, और सारी फसल जो पैदा होने वाली थी वह नष्ट हो गई, तो क्या सरकार इस चीज को ध्यान में रखते हुए वहां रेवेन्यू वगैरह या और दूसरे जो ड्यूज हैं उनमें भी छूट या माफी देने के ऊपर विचार करेगी ?

श्री शिवराजसिंह—

श्रीमन्, यह गलती तुरन्त ही वहां पर जान ली गई थी और उसके पश्चात् संबंधित किसानों को तकावी और नर्सरीज सेलेट पैडी के सीडलिंग्स तुरन्त बांट दिये गये और जिनके खेतों को हानि हुई थी उनको दुबारा बोआने की पूरी पूरी कोशिश की गई थी और वह बोआ दिये गये थे।

*२७–२८—श्री जगदीशशरण रस्तोगी (जिला मेरठ)—

[२७ मार्च, १९६३ के लिये प्रश्न १०७–१०८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*२९—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

[८वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

कोटवा सरकारी कृषि फार्म का आय-व्यय

*३०—श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित) तथा श्री कैलाश (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले, तहसील सदर में कोटवा सरकारी कृषि फार्म में वित्तीय वर्ष १९६१–६२ में कितनी आमदनी हुई है ?

कृषि मंत्री (श्री चरणसिंह)—

१९६१–६२ के अन्तिम चिट्ठे (Balance Sheet) के अनुसार २५,५६९ रुपये की आमदनी हुई।

*३१—श्री मंगलदेव (अनुपस्थित) तथा श्री कैलाश (अनुपस्थित)—

क्या कृषि मंत्री उक्त फार्म में लगी पूंजी का विवरण और कर्मचारियों के वेतन का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री चरणसिंह—

अन्तिम चिट्ठे (balance sheet) के अनुसार पूंजी का ब्यौरा तथा कर्मचारियों का विवरण संलग्न तालिका में दिया है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३०३ पर)

*३२–३३—श्री उल्फतसिंह यादव (जिला बदायूं)—

[२९ मार्च, १९६३ के लिये प्रश्न ७९–८० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*३४–३५—श्री मेड़ीलाल (जिला बाराबंकी)—

[८वें मंगलवार के लिए स्थगित किये गये।]

फतेहपुर जिले की हथगांव डिस्ट्रीब्यूटरी

*३६—श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री प्रश्नकर्ता व श्री जगदीश पांडेय द्वारा प्रथम सत्र (१९६२) के पांचवे मंगलवार को निर्धारित प्रश्न संख्या ८० के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) उक्त डिस्ट्रीब्यूटरी में कितने मीलों तक पानी अभी पहुंचाया जा सका है ? तथा आगे पानी न जाने का क्या कारण है ?

(ख) बने हुये भाग ४६ मील के अन्दर तक पानी कब तक पहुंच सकेगा ?

(ग) किन-किन मीलों में कितनी-कितनी किस प्रकार की फसल को इस नहर द्वारा प्रारम्भ से अब तक सींचा जा सकता है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

(क) पानी हथगांव डिस्ट्रीब्यूटरी के प्रथम फाल मील ३१–३–० तक पहुंचा था ? जिससे सिंचाई मील ३७–३–१८२ तक हुई थी। फतेहपुर ब्रांच में पानी की कमी थी जिससे पानी आगे तक नहीं पहुंचाया जा सका।

(ख) अगर फतेहपुर ब्रांच से काफी पानी मिल सका तो हथगांव रजबहा के बने हुए भाग ४६ मील तक पानी खरीफ १९६३ तक पहुंचाये जाने की आशा की जाती है।

(ग) खरीफ १९६२ में हथगांव रजबहा के जिस भाग तक पानी पहुंचा है उसमें १८४९ एकड़ पछीते धान (Late rice) की सिंचाई हुई थी।

श्री रक्षपालसिंह---

क्या मन्त्री जी यह बतायेंगे कि इस डिस्ट्रीब्यूटरी में जो कि बिलकुल नयी है और आधे जिले के बहुत बड़े भाग को पानी पहुंचाने के लिए बनाई गई थी उसमें अधिक पानी मिल सके. इसके लिए सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

श्रीमन्, इसकी क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ायी जा रही है। अभी यह १८९ क्यूसेक वाली है और यह १०५० क्यूसेक के लिए रिमाडेल की जा रही है।

श्री रघुवीरसिंह कैथवार (जिला फतेहपुर)--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस हथगांव डिस्ट्रीब्यूटरी के अखनई झील के पास कई जगह पर कट जाने की वजह से पानी आगे नहीं पहुंच पाता जिससे आगे की सिंचाई होने में बाधा पड़ती है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

इसमें पानी की कमी है, यह वास्तविक बात है। जैसे ही इसकी क्षमता बढ़ जायगी तो आगे पानी मिल सकेगा और आगे की सिंचाई पूरी हो सकेगी।

श्री रक्षपालसिंह---

क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि अभी तक जो भी सिंचाई हो पाती है वह धान की फसल के लिये हो पाती है। तो रबी की पूरी फसल के लिये पूरी सिंचाई कब तक मिल सकेगी इस नहर से ?

श्री राममूर्ति--

यह नहर इस वक्त सिर्फ धान की फसल की सिंचाई के लिये बनाई जा रही है। जब रामगंगा नहर बनकर तैयार हो जायगी यह रबी के लिये कन्वर्ट कर दी जायगी।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी---

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जैसा उन्होंने बतलाया कि इसकी क्षमता को बढ़ाया जा रहा है, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

इसमें अभी समय लगेगा। अगले प्लान में तैयार होगी।

*३७-३८---श्री ब्रह्मदत्त मायर--

[८वें मंगलवार के लिए स्थगित किये गये।]

दूध देने वाले पशुओं की नस्ल सुधारना

*३९--श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अच्छी से अच्छी गायें और दूसरे दूध देने वाले पशुओं की नसल सुधारने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है तथा किस-किस नसल के पशु और कहां से मंगाये जा रहे हैं ?

श्री शिवराजसिंह--

दूध देने वाले पशुओं के नस्ल के लिये जो कार्य किये जा रहे हैं उनका विवरण संलग्न तालिका (क) में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३०४ पर।)

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि अच्छे सांड तैयार करने और अच्छी गाय पैदा करने के बारे में जगह-जगह पर जो केन्द्र बनाये गये हैं, तो फतेहपुर, जिला सहारनपुर, में भी इस किस्म का कोई केन्द्र खोला गया था ?

श्री शिवराजसिंह--

इस प्रकार की कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

फतेहपुर, जिला सहारनपुर, में इस प्रकार का केन्द्र खोला गया था जहां अच्छे सांड और अच्छी गायें बाहर से लाकर रखी जाती थीं। उसके लिये भारी रकम खर्च की गई थी लेकिन वह केन्द्र चल नहीं पाया और वे गायें सस्ते दामों पर बेच दी गईं, तो क्या माननीय मन्त्री जी को इस विषय में कोई जानकारी है ?

श्री शिवराजसिंह--

जो स्थान माननीय सदस्य ने बतलाया है वह उत्तर में कहे गये फार्म के अन्दर नहीं आता। यदि माननीय सदस्य लिख कर दें तो उसकी सूचना मंगा ली जायगी।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि डिफेन्स नीड्स् को ध्यान में रखते हुए सरकार बहुत से खच्चर और अच्छे किस्म के घोड़े आस्ट्रेलिया और दूसरे मुल्कों से बड़ी भारी कीमत दे कर मंगाती है, तो सरकार इसके लिये भी कोई केन्द्र खोलने की व्यवस्था करेगी ?

श्री शिवराजसिंह--

म्यूल्स बढ़ाने की योजना केन्द्रीय सरकार ने अपने हाथ में ली है। इस प्रकार से बाबूगढ़ फार्म के अन्दर खच्चर बढ़ाने के लिये हमसे फार्म का हिस्सा उसने लिया है। वहां पर म्यूल्स बढ़ाने की स्कीम चल रही है। इसके अतिरिक्त प्रदेशीय सरकार को यह लिखा है कि जो लोग म्यूल्स पालना चाहें वह स्कीम बना कर भेजें, उसकी स्वीकृति देंगे। इसके लिये दिक्कत यह है कि जो गदहे चाहिये वह विदेशों से आते हैं और उनका प्राप्त करना इतना आसान नहीं है।

श्री ऊदल--

क्या प्रदेशीय सरकार ने अभी तक केन्द्र को कोई स्कीम भेजी है या नहीं ?

श्री शिवराजसिंह--

स्कीम तैयार हो गयी है और भेज दी गई है।

श्री मेघनाथसिंह शिशोदिया--

क्या हिन्दुस्तान में गधों की कमी हो गयी है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि इस प्रान्त में अच्छे किस्म के जो सांड हैं उनकी तादाद क्या है और वे किस किस नस्ल के हैं ?

श्री शिवराजसिंह--

इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

मेरे प्रश्न का मतलब यह है कि अच्छे किस्म के सांड यहां बहुत कम तादाद में हैं इसलिये क्या सरकार इनको बढ़ाने के लिये किसी निश्चित नीति को अपनाने की कृपा करेगी ताकि यहां के गांवों और शहरों की आवश्यकता को पूरा किया जा सके ?

श्री शिवराजसिंह---

सांड ज्यादा संख्या में उपलब्ध हों, इसके लिये जितनी योजनायें हैं उनका विवरण तालिका में दिया हुआ है। यह सही है कि जितनी संख्या में सांडों की आवश्यकता है उतने वे उपलब्ध नहीं हैं और न आने वाले वर्षों में होने जा रहे है और इसीलिये विभाग का सारा इम्फैसिस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पर है और इस साल भी हम १०० नये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर्स खोलने जा रहे हैं।

श्री रघुवीर---

क्या सरकार के इस प्रकार के आदेश हो गये हैं कि जितने सांड हैं उनको पकड़ कर बद्धी कर दिया जाय ? यदि हां, तो कब और क्यों ?

श्री शिवराजसिंह---

पेडिग्री सांडों को बद्धी करने के आदेश जारी नहीं किये गये हैं। हां, जो पेडिग्री नहीं हैं उनको बद्धी कर दिया जाता है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

पंजाब में हरियाना और मांटगुमरी नस्ल के सांड काफी तादाद में मिलते हैं। क्या उनको यहां मंगाने की कोई योजना सरकार के पास है ?

श्री शिवराजसिंह---

हम अपने प्रदेश में काफी संख्या में सांड उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं और प्रान्त को जितनी जरूरत है उतने दो फार्मों पर ही पैदा करने की कोशिश हो रही है। पंजाब से सांड मंगाने की कोई योजना सरकार के पास नहीं है।

रोडवेज में शिष्टाचार सप्ताह

*४०---श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)---

क्या यह सही है कि सरकारी रोडवेज प्रशासन की ओर से प्रति-वर्ष शिष्टाचार सप्ताह (कर्टसी वीक) मनाया जाता है ? यदि हां, तो क्या यह शिष्टाचार प्रशिक्षण केवल निम्नवर्ग के कर्मचारियों के लिये ही है या स्टेशन अध्यक्ष जैसे उच्च कर्मचारीगण भी इस शिष्टाचार प्रशिक्षण कार्य में सम्मिलित होते हैं ?

परिवहन मन्त्री के सभासचिव (श्री गनेशीलाल चौधरी)---

जी हां। इस विषय के आदेश रोडवेज के सभी कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

श्री देवदत्त मिश्र---

क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि इन कर्मचारियों के अन्तर्गत स्टेशन अध्यक्ष भी आते हैं ?

श्री गनेशीलाल चौधरी---

सभी अधिकारी और कर्मचारियों पर यह आदेश लागू है।

श्री देवदत्त मिश्र---

क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि कर्टसी वीक में क्या बातें बतलायी जाती हैं या सिखायी जाती हैं ?

श्री गनेशीलाल चौधरी---

अध्यक्ष महोदय, इसमें बुकिंग जल्दी हो, लोग लाइन से टिकट लें, साइनबोर्ड में सीटों का रिजर्वेशन स्थान पर लिखा हो, यह सब सिखाया जाता है। क्लर्क का बिहेवियर अच्छा हो, इंक्वायरी क्लर्क अपने स्थान पर रहे, आदि बातें इसमें बतलायी जाती हैं।

श्री देवदत्त मिश्र---

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस तरह से उन्होंने बुकिंग क्लर्क इत्यादि के लिये बताया, उस प्रकार से क्या स्टेशन अध्यक्ष के लिये भी हिदायतें दी जाती हैं ?

श्री गनेशीलाल चौधरी---

श्रीमन्, उन सब चीजों को स्टेशन अध्यक्ष भी बारी बारी से देखते हैं और चेकिंग करते हैं। जनता से अच्छा बिहेवियर करने का तरीका कर्मचारियों को बताते रहते हैं।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह जो शिष्टाचार सप्ताह मनाया जाता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी ? क्या यह सही बात है कि निम्न कर्मचारी बसों के यात्रियों के साथ सद्व्यवहार नहीं करते थे, इसीलिये आवश्यकता पड़ी ?

श्री गनेशीलाल चौधरी---

श्रीमन्, बहुत सी चीजें तो जनता को स्वयं ही बतानी पड़ती हैं, जैसे लाइन में खड़े होना और लाइन में खड़े होकर टिकट खरीदना, जिससे कि जनता को सुविधा होती है, ताकि उनकी जेब आदि न कट जाय। ऐसी बहुत सी बातें हैं, जो कि समय-समय पर सिखानी पड़ती हैं।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो कर्टसी वीक मनाया जा रहा है, इसका कोई मूल्यांकन किया गया ? इससे कर्मचारियों और अधिकारियों के व्यवहार में कर्टसी आई है या नहीं ? अथवा क्या पोजीशन है, उसको स्पष्ट करने की कृपा करेंगे ?

श्री गनेशीलाल चौधरी---

श्रीमन्, निश्चय ही उसमें इम्प्रूवमेन्ट हुआ है और आगे भी आशा है।

श्री अध्यक्ष---

वह सिर्फ यह पूछते हैं कि आपका अनुभव क्या कहता है कि कर्टसी वीक मनाने से कोई इम्प्रूवमेन्ट हुआ या नहीं हुआ है।

श्री गनेशीलाल चौधरी---

श्रीमन्, वह निश्चय ही हुआ है।

श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)---

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो फन्ड जमा हुआ है, रसीदों पर, उसका तरीका यह था कि वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की रसीदों पर जमा हो, तो यह जो ५ हजार रुपए का फण्ड माननीय मन्त्री जी को दिया गया है, यह रसीदों पर ही जमा हुआ है या वैसे ही हुआ है ?

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)---

माननीय सदस्य को कुछ गलतफहमी हो रही है। यह तो प्रश्न संख्या ४० का जवाब दिया जा रहा है।

*४१-४२---[स्थगित किये गये।]

*४३-४४---श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल (जिला गोंडा)---

[८वें मंगलवार के लिए स्थगित किये गये।]

*४५-४६---श्री सुखलाल (जिला इटावा)---

[८वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

*४७-४९---श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

[११वें गुरुवार के लिए प्रश्न ३९-४१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*५०--श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--
[हटा दिया गया]

*५१--श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)--
[८वें गुरुवार के लिए प्रश्न ५५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

कलक्टरगंज, कानपुर बस स्टेशन के कर्मचारियों का ओवर टाइम भत्ता

*५२--श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)--

क्या परिवहन मन्त्री को पता है कि राजकीय रोडवेज बस स्टेशन, कलक्टरगंज, कानपुर के अन्तर्गत कितने कर्मचारियों को १५ फरवरी, सन् १९६३ से गत ३ माह से ओवरटाइम का पैसा नियमित विश्राम तथा अवकाश नहीं दिया गया ? यदि हां, तो नियमित रूप से सभी कर्मचारियों को ओवरटाइम का पैसा, विश्राम तथा अवकाश न देने का क्या कारण है ?

श्री मुजफ्फर हसन--

१० कर्मचारियों को १५-११-१९६२ से १५-२-१९६३ की अवधि का भुगतान करना बाकी है। भुगतान में देरी करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

कर्मचारियों की कमी के कारण सहायक कोषाध्यक्ष को नियमित विश्राम नहीं दिया गया था।

*५३-५५--श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--
[हटा दिये गये।]

*५६--श्री रतीपाल--
[८वें मंगलवार के लिए स्थगित किया गया।]

*५७--श्री रतीपाल--
[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिया गया।]

केराकत ब्लाक का कुसरना नलकूप

*५८--श्री रामसमझावन (जिला जौनपुर)--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले के केराकत ब्लाक के अन्तर्गत कुसरना ट्यूबवेल कब से बन कर तैयार है और आज तक एक इंच भूमि की सिंचाई नहीं कर सका, इसका क्या कारण है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

यह नलकूप जुलाई, १९६२ से तैयार है लेकिन बिजली न पहुंचने के कारण इससे सिंचाई नहीं हो सकी है।

श्री रामसमझावन--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले डेढ़ साल से जो नलकूप तैयार हो चुके हैं, उनको अब तक बिजली न प्राप्त होने के कारण क्या हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

श्रीमन्, उसका कारण ट्रांसफार्मर्स की कमी ही है। खम्भे इत्यादि लगाये जा रहे हैं और कुछ लगाये जा चुके हैं। आशा की जाती है कि यह कार्य जल्दी से जल्दी समाप्त किया जायगा।

श्री रामसमझावन--

माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि वह कब तक दूर हो जायगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

श्रीमन्, आशा की जाती है कि यह ट्रांसफार्मर्स की कमी शीघ्र ही दूर हो जायगी। इस ओर प्रयास किया जा रहा है।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी--

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे जैसा कि उन्होंने अभी बताया कि यह जल्दी से जल्दी दूर हो जायगी और वह कार्य शीघ्र ही पूरा होगा। तो इसके क्या अर्थ हैं? २-३-४ महीने या एक साल? शीघ्र और जल्दी से जल्दी को कृपया स्पष्ट करने की कृपा करें।

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

श्रीमन्, जैसा कि पहले भी मैंने कह दिया है कि यह आशा की जा रही है कि वह जल्दी ही दूर हो जायगी, क्योंकि ट्रांसफार्मर्स की कमी को दूर करने की चेष्टा बराबर की जा रही है।

श्री अध्यक्ष--

उनका मतलब है कि यथासंभव जल्दी होगी।

*५९--६१--श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर), श्री महरारसिंह (जिला फर्रुखाबाद) तथा श्री केशवसिंह (जिला शाहजहांपुर)--

[८ वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

*६२--श्री रामसुन्दर पांडेय--

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिया गया।]

कोल असला परगने का कजरहिया नाला

*६३--श्री ऊदल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मच्छाताल, परगना कोल असला, वाराणसी से निकलने वाली महराज कोट पिंडरा ड्रेन की एक दूसरी शाखा जो कजरहिया ड्रेन के नाम से है जो सिंचाई विभाग की है और इस के पहले भी विभाग द्वारा सफाई की गयी थी, दुबारा साफ न करने का कारण क्या है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

कजरहिया ड्रेन एक प्राकृतिक नाला है जो महराज कोट ड्रेन में गिरता है। सिंचाई विभाग द्वारा इस नाले पर कोई व्यय नहीं किया गया, इसलिये दुबारा सफाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री ऊदल--

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की पुनः जांच करायेंगे कि सन् १९५६ में भी इस नाले की सफाई हुई थी, और यह जांच कराकर क्या फिर से उसकी सफाई करायेंगे? यह एक मील से ज्यादा लम्बा नाला है, श्रीमन्, और इसकी सफाई की आवश्यकता है। इसलिये क्या उसकी सफाई करायेंगे।

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

हमारी इत्तिला में तो इस तरह की बात है नहीं, अगर माननीय सदस्य लिख कर देंगे तो उसको हम देख लेंगे?

*६४--श्री ऊदल--

[हटा दिया गया।]

*६५--श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)--

[८वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

ऐग्रीकल्चर अफसरों का स्थायीकरण

*६६--श्री झिलमिटराम (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित) तथा श्री विजयपालसिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५६-५७ व १९५७-५८ में कितने ऐग्रीकल्चर आफिसरों का चुनाव पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा किया गया और उनमें से कितने रक्खे गये और कितने नहीं ? जो लोग रख लिये गये, क्या वे स्थायी कर दिये गये हैं ?

श्री शिवराजसिंह--

चार अधिकारियों का चुनाव हुआ। उनका अभी स्थायीकरण नहीं हुआ है।

*६७--श्री झिलमिटराम (अनुपस्थित) तथा श्री विजयपालसिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १ अप्रैल, १९५२ से ३१ मार्च, १९६२ तक एग्रीकल्चर विभाग में कितने अफसरों का कन्फर्मेशन उनके रिटायर होने के बाद हुआ है और कितनों का मरने के बाद किया गया है ?

श्री शिवराजसिंह---

५ अधिकारियों का स्थायीकरण रिटायर होने के बाद हुआ। मरने के बाद किसी का नहीं हुआ।

श्री विजयपाल सिंह--

जो ५ कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के बाद स्थायी किया गया है, उनको इससे क्या फायदा होगा ?

श्री शिवराज सिंह--

स्थायीकरण के आदेश उनके रिटायरमेंट के पश्चात् जरूर हुए, किन्तु उनको स्थायी उसी तारीख से किया गया है जिस तारीख से वह ड्यू था। इसलिये उसके कारण उनको कोई नुक्सान नहीं पहुंचेगा।

श्री ऊदल--

श्रीमन्, यह कर्मचारी जब ५५-५८ वर्ष तक की उम्र तक सर्विस में रहें और उस समय तक वे स्थायी नहीं किये जा सके, रिटायरमेंट के बाद हुए, इसका क्या कारण है ?

श्री शिवराजसिंह--

बात यह है कि जो सबसे बड़े कर्मचारी थे, इनसे सीनियर, उनका भी कन्फरमेंशन तब तक नहीं हो सका था, और जब वे स्थायी हुये और उनका स्थान रिक्त हुआ तब उस पर दूसरों का प्रश्न उठा। इस कारण जो नीचे के कर्मचारी थे उनका स्थायीकरण नहीं हो पाया। इसके अतिरिक्त भी दो कर्मचारी और थे जिनके संबंध में भी पब्लिक सर्विस कमीशन से सिफारिश आने में काफी देरी हुई और इस कारण कंफरमेशन में भी देरी हुई।

श्री ऊदल--

यह जो ४ आफीसर थे जिनके बारे में यह कहा गया कि १९५६-५७ और १९५७-५८ में पब्लिक सर्विस कमीशन से उन्होंने इम्तिहान पास कर लिया था, तो उनका कन्फरमेशन क्यों नहीं हुआ ?

श्री शिवराजसिंह--

इन ४ व्यक्तियों में से २ तो आफिसर टैम्पोरेरी स्थानों पर नियुक्त थे, इस कारण उनके कन्फर्मेशन का सवाल ही नहीं उठता। इसके अतिरिक्त जो और दो आफिसर हैं, उनसे भी सीनियर आफिसर और मौजूद हैं जिनके कन्फरमेशन का प्रश्न अभी विचाराधीन है। जब उनका कन्फरमेशन हो जायेगा, तब इनके प्रश्न पर भी विचार होगा।

श्री देवदत्त मिश्र--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इनमें कोई कृषि स्नातक भी है, या कृषि स्नातक कोई नहीं है ?

श्री शिवराजसिंह--

यह सब आफिसर्स क्लास टू सर्विस के हैं। अब यह स्नातक हैं या नहीं, इसके लिये सूचना चाहिये।

श्री शराफत हुसैन रिजवी--

पांच आफिसर्स ऐसे थे जिनको रिटायरमेंट के बाद स्थायी किया गया, तो यह उसूल माननीय मंत्री जी ने कब से बना लिया है कि रिटायरमेंट के बाद ही परमानेंट किया जायेगा और सर्विस में रहते हुये नहीं ?

श्री शिवराजसिंह--

श्रीमन्, इस प्रकार का उसूल कोई नहीं है। जिस काल का इस प्रश्न के अन्दर जिक्र है उस बीच में ५५ अधिकारियों का उनके रिटायरमेंट होने के पहले ही कंफरमेशन कर दिया गया।

श्री दीपनारायणसिंह--

क्या माननीय मंत्री जी इस एनामली पर विचार करेंगे कि जब कि पहले वाले आफिसर रिटायर न होते तो उनकी जगह नियुक्ति होने के कारण कंफरमेशन रुका रहता, लेकिन जब उनका कंफरमेशन हो गया तो पेमेंट भी उस तारीख से आप उनको देंगे, तो यह दोहरा पेमेंट सरकार द्वारा किया जा रहा है और आप उनको डिटेन भी कर रहे हैं और तरक्की भी दे रहे हैं, ऐसा क्यों है ?

श्री शिवराजसिंह --

श्रीमन्, एनामली जो है वह माननीय सदस्य के दिमाग में है, वास्तव में कोई एनामली है नहीं। इसलिये कि हर एक आफिसर का कंफरमेशन जो किया जाता है वह उस तारीख से किया जाता है जब कि उसका वाजिब होता है, इसलिये किसी तरह का नुक्सान नहीं होता है।

बस किरायें बढ़ती

*६८--श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नवम्बर, १९६२ के पहले लखनऊ से प्रतापगढ़ का बस किराया २.९१ रुपये था, किन्तु इस समय ४.२८ रुपये है, ऐसा क्यों ?

श्री गनेशीलाल चौधरी--

पहले किराया २ रु० ९१ न०पै० था, अब यात्री कर सहित ४ रु० २७ न०पै० है। पिछले कुछ सालों में बसों, टायर, कल पुर्जे, डीजल इत्यादि की कीमतों में समय-समय पर बढ़ोत्तरी होती रही है जिसके कारण रोडवेज का खर्चा काफी बढ़ गया है। इस आधार पर किराये की दर जगह ब जगह बढ़ा दी गई है। इसके अलावा सरकार ने १० प्रतिशत यात्री कर भी लगा दिया है।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि किराया २ रु० ९१ नये पैसे कब था और ४ रु० २७ नये पैसे कब हुआ ?

श्री गनेशीलाल चौधरी--

नवम्बर से पहले तो ५ पाई फी मील के हिसाब से किराया चार्ज किया जाता था, इसके बाद किराया बढ़ा है और अब ४ रु० २७ नये पैसे किराया है।

श्री हिम्मतसिंह--

क्या यह बात सही है कि रेलवे से कम्पीटीशन के कारण आप बस किराया कम यानी २ रु० ९१ नये पैसे लेते थे, और वास्तव में उस समय भी किराया अधिक था ?

श्री मुजफ्फर हसन---

श्रीमन्, जरा मैं इसको साफ कर दूं कि अधिकतम किराया साढ़े ७ पाई फी मील के हिसाब से है। कहीं-कहीं हम उससे कम किराया लेते हैं और वक्तन-फवक्तन उसमें तब्दीली जो होती है वह अधिकतम किराये से बढ़ने नहीं पाता।

श्री देवदत्त मिश्र---

क्या माननीय मंत्री महोदय को ज्ञात है कि अपर की अपेक्षा लोअर का किराया ज्यादा बढ़ा है? उदाहरण के लिये मैं बतलाऊं कि कानपुर से लखनऊ का किराया पहले डेढ़ रुपये था वह अब १ रु० ८२ नये पैसे हो गया है और अपर का किराया २ रु० २५ नये पैसे था और अब वह २ रु० ५४ नये पैसे है, तो ऐसा क्यों है?

श्री मुजफ्फर हसन---

इसकी कोई तफसील तो मुझे नहीं मालूम है लेकिन एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूं कि लोअर में भी और अपर में भी जो अधिकतम किराया है, उससे बढ़ा नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

अब एक बात मैं निवेदन कर दूं। प्रश्न यह था---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि नवम्बर, १९६२ के पहले लखनऊ से प्रतापगढ़ का बस किराया २.९१ था, किन्तु इस समय ४.२८ रुपया है, ऐसा क्यों? और सारे प्रदेश की बात अगर पूछी जायगी तो मैं समझता हूं कि ठीक नहीं होगा।

श्री नाथूराम शिक्षक---

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने दो सवाल पूछे थे लेकिन एक का ही जवाब दिया गया है और दूसरे को छोड़ दिया गया है, ऐसा क्यों है?

श्री अध्यक्ष---

आप पूछ लें।

श्री नाथूराम शिक्षक---

लखनऊ से रायबरेली ५१ मील है उसका किराया १ रुपये ५२ नये पैसे है और रायबरेली-लालगंज (ऊंचाहार) केवल ३६ मील है लेकिन उसका किराया १ रुपये ६९ नये पैसा है, ऐसा क्यों?

श्री अध्यक्ष---

क्या इसकी सूचना आपको है, परिवहन मंत्री जी? यदि हो, तो दे दें।

श्री गनेशीलाल चौधरी---

इस समय इसकी सूचना नहीं है।

श्री नाथूराम शिक्षक---

मैंने २ सवाल भेजे थे लेकिन जवाब १ का ही दिया गया है।

श्री अध्यक्ष---

मैं इसको देख लूंगा।

श्री रक्षपालसिंह---

अभी उत्तर में यह बताया गया कि टायर ट्यूब पर खर्चा बढ़ गया, तो क्या इस वजह से इसी रूट पर किराया बढ़ाया गया है कि सारे प्रदेश में सभी रूटों पर इस वजह से किराया बढ़ाया गया है?

श्री गनेशीलाल चौधरी---

किराया अधिकतम से कहीं ज्यादा नहीं है।

नोट---तारांकित प्रश्न ६८ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*६९-७०--श्री सुखलाल--

[८ वें शुक्रवार के लिये प्रश्न ४८-४९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

भूमि संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र लहमान खेड़ा

*७१--श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भूमि संरक्षण एवं अनुसंधान फार्म, रहमान खेड़ा, जिला लखनऊ में कुल कितनी भूमि है और जिस समय यह फार्म चालू किया गया था उस समय इसमें कितनी भूमि परती ली गयी थी और कितनी भूमि किसानों की ली गयी थी और वह कितने किसानों की थी ?

श्री चरणसिंह--

कुल ११४१.२२ एकड़ भूमि है। जिस समय यह क्षेत्र चालू किया गया था उस समय इसमें ५६२.६० एकड़ भूमि परती और ५७८.६२ एकड़ भूमि किसानों की ली गई थी, जो ४०४ किसानों की थी ।

*७२--श्री भीखालाल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो भूमि किसानों की इस फार्म में शामिल की गयी थी उसको लेते समय किसानों को यह आश्वासन दिया गया था कि उनकी भूमि को कटाव इत्यादि से बचाने के बाद तरक्की करके उनको वापस दे दी जायगी ? यदि हां, तो उस भूमि को वापस करने के संबंध में सरकार का अब क्या निर्णय है ?

श्री चरणसिंह--

हमारे रिकार्ड में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि किसानों की ली गई भूमि कटाव इत्यादि से बचाने के बाद तरक्की करके उनको वापस कर दी जायगी । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

*७३--श्री भीखालाल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या इस फार्म पर एक प्रशिक्षण केंद्र भी चलाने की योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो यह केंद्र कबसे चालू किया जावेगा ?

श्री चरणसिंह--

रहमानखेड़ा प्रक्षेत्र पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १९५६-५७ से एक भूमि संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र चालू है।

*७४--श्री रामसुन्दर पांडेय--

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिया गया ।]

बर्डघाट-गोला बाजार-बड़हलगंज बस सर्विस

*७५--श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर रीजन में बर्डघाट से गोलाबाजार तथा गोलाबाजार से बड़हलगंज राजकीय बस सर्विस चलाने का विचार है या नहीं? यदि है तो उस पर कौन-सी कार्यवाही हो रही है ? यदि नहीं है, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन--

जी हां, कानूनी कार्यवाही की जा रही है ।

*७६--श्री कल्पनाथसिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त लाइन पर चलने वाले प्राइवेट मोटर आपरेटर्स के विरुद्ध कोई शिकायतें स्थानीय जनता से हुई हैं और मांग की गयी है कि रोडवेज की बस चलायी जाय ? यदि हां, तो उस पर कौन-सी कार्यवाही की गयी है और अब तक बस न चलाने का क्या कारण है ?

श्री मुजफ्फर हसन--

जी हां उपरोक्त मार्गों पर रोडवेज की बस चलाने की मोटर व्हीकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा ६८(सी) के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। इनके पूर्ण हो जाने पर बसें चलाई जायेंगी।

जमनपुर सेलाकुई में गोहत्या

*७७--श्री बिपिनबिहारी तिवारी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देहरादून जिले के जमनपुर सेलाकुई व पछुवाइन क्षेत्र में फरवरी, १९६३ के अंतिम सप्ताह में कोई गोहत्या कर दी गयी है ?

श्री चरणसिंह--

जी हां।

*७८--श्री बिपिन बिहारी तिवारी--

यदि हां तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री चरणसिंह--

जांच के पश्चात् २१ फरवरी, १९६३ को ५ अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा इत्तजाम संख्या १६, गोवध निवारण अधिनियम के अन्तर्गत चालान करके चार्जशीट न्यायालय में भेज दी गई है।

एकाउन्ट्स आफिसर, मेकनाइज्ड फार्म

*७९--श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या स्थायी एकाउन्ट्स अफसर, मेकनाइज्ड फार्म का पद दिसम्बर, १९५७ से खाली पड़ा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह--

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

१-२--श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

[दोनों मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

इलाहाबाद रोडवेज क्षेत्र में परिगणित जातीय कर्मचारी

३--श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद रोडवेज रीजन के अन्तर्गत जिलों में कुल कितने ए० टी० आई०, टाइम कीपर, क्लर्क, कंडक्टर, पैसेंजर टैक्स सुपरिंटेंडेंट, फिटर, क्लीनर और मजदूर कार्य कर रहे हैं ? उनमें परिगणित जाति के कितने व्यक्ति हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन--

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये अस्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३०५ पर)

मछलीशहर रोडवेज बस स्टेशन

४--श्री माताप्रसाद--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में मछलीशहर रोडवेज बस स्टेशन कहां और कब तक बन जायगा ?

श्री मुजफ्फर हसन--

अभी निश्चित रूप से बताना संभव नहीं है।

अन्देशनगर व हेमपुर कृषि फार्मों के मैनेजरों के विरुद्ध शिकायतें

५--श्री रियासत हुसैन--

क्या कृषि मंत्री को स्टेट एग्रीकल्चरल फार्म, अन्देशनगर (लखीमपुर खीरी) के कर्मचारियों द्वारा प्रेषित की गयी इस आशय की शिकायती दरख्वास्तें हाल में प्राप्त हुई हैं कि उपरोक्त फार्म का मैनेजर कर्मचारियों को मां, बहिन, बेटी की गन्दी गालियां देता है? क्या मैनेजर फार्म के कर्मचारियों को कोई साप्ताहिक छुट्टियां, आकस्मिक छुट्टियां व त्योहार की गजटेड छुट्टियां भी नहीं देता है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री चरणसिंह--

जी हां, ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनकी जांच की जा रही है।

६--श्री रियासत हुसैन--

क्या कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कि उपरोक्त स्टेट फार्म के कर्मचारियों द्वारा मैनेजर के अशिष्टता और बर्बरतापूर्ण व्यवहार के विरुद्ध प्रेषित की गई सामूहिक शिकायतें सचिव, कृषि विभाग तथा जनरल मैनेजर, स्टेट फार्म को भी प्राप्त हुई हैं? और गत वर्ष इसी प्रकार की शिकायतें हेमपुर (नैनीताल) स्टेट फार्म्स से भी प्राप्त हुई थीं? यदि हां, तो क्या उपरोक्त शिकायतों पर कोई जांच की गई?

श्री चरणसिंह--

जी हां, इनकी जांच हो रही है। ऐसी शिकायतें हेमपुर फार्म से भी आई थीं जिनकी जांच हो चुकी है और मामला सरकार के विचाराधीन है।

७-८--श्री रामसिंह--

[८ वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

भोगांव तहसील में नहर बढ़ाने की प्रार्थना

९--श्री रामसिंह (जिला मैनपुरी)--

जिला मैनपुरी, तहसील भोगांव रजवहा समाज में से जो माइनर ग्राम फरेंजी में जाकर खत्म होती है जिससे फसल नष्ट हो जाती है, यदि वह माइनर आगे को बढ़ा दिया जाय तो काफी खेती को पानी मिल सकता है और अधिक अन्न उपजाने में सहायक सिद्ध हो सकती है। क्या सरकार इस व्यवस्था को जल्दी ही कर रही है? यदि हां, तो कब तक?

श्री राममूर्ति--

इस माइनर को आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

१०-११--श्री बिपिनबिहारी तिवारी--

[८ वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

एटा जिले में डी० जी० सी०, ए० डी० जी० सी० की तकर्रुरी

१२--श्री हलीमुद्दीन (जिला मुरादाबाद) तथा श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)--

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि सन् १९६२ में जिला एटा में जो डी०जी०सी० (डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कौंसिल) और ए०डी०जी०सी० के तकर्रुर अमल में आये हैं वह किन उसूलों पर और किस मियार के पेशनजर और किन तारीखों में हुये हैं?

श्री सैयद अली जहीर--

नियुक्तियां नियमानुसार की गई थीं। नियुक्ति के आदेश ५ जुलाई, १९६२ को जारी किये गये।

१३--श्री हलीमुद्दीन तथा श्री श्यामलाल--

क्या सरकार को मालूम है कि इन दोनों जगहों के लिये दरख्वास्तों की आखिरी तारीख १५ फरवरी १९६२ थी और यह दरख्वास्तें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एटा को दी जानी थीं, लेकिन डी०जी०सी० के लिये मई, १९६२ में या उसके बाद और ए० डी० जी० सी० के लिये २७ जून, १९६२ को उम्मीदवारों से दरख्वास्तें लखनऊ में ली गई? क्या इन दरख्वास्तों पर सरकार ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एटा से रिपोर्ट मांगी? अगर हां, तो क्या सरकार इन रिपोर्टों को सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी? अगर नहीं मांगीं, तो क्यों?

श्री सैयद अली जहीर--

आवेदन-पत्र लखनऊ में लिये गये थे। यह जनहित में नहीं होगा कि जिलाधीश से प्राप्त रिपोर्टों को सदन की मेज पर रखा जाय क्योंकि ये गोपनीय होता है।

१४--श्री हलीमुद्दीन तथा श्री श्यामलाल--

क्या सरकार कृपया इन मुकामी वकलां के नाम मय इस मुद्दत से जब से वह एटा में वकालत कर रहे हैं और जब से वह डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कौंसिल (क्रिमिनल) के पैनेल के मेम्बर हैं बतलायेगी?

श्री सैयद अली जहीर--

केवल श्री सोहनलाल, स्थानीय, एटा में तीस वर्ष से वकालत कर रहे थे। उन्हें असिस्टेंट डी०जी०सी० (क्रिमनल) नियुक्त किया गया। श्री रामस्वरूप यादव, जिन्हें डी०जी०सी० (क्रिमनल) नियुक्त किया गया, पड़ौस के मैनपुरी जिले में अठारह वर्ष वकालत कर चुके थे। ये दोनों एटा के पैनल पर नहीं थे।

सुल्तानपुर जिले में ड्रेनों का निर्माण

१५--कुंवर रुद्रप्रतापसिंह (जिला सुल्तानपुर)--

क्या सरकार जनता के कष्ट तथा उनकी प्रत्येक वर्ष की फसल की क्षति पर ध्यान दे कर जनपद सुल्तानपुर के परगना गौराजामों से गुजरने वाली ताल अहुरी ड्रेन को बजाय जून, ६४ के जून, ६३ में ही पूर्ण करने की कृपा करेगी?

श्री राममूर्ति--

जी नहीं।

१६--कुंवर रुद्रप्रतापसिंह--

क्या सरकार जनता के कष्ट तथा उनकी प्रत्येक वर्ष की फसल की क्षति पर ध्यान दे कर जनपद सुलतानपुर के परगना गौराजामों से गुजरने वाली ताल मासयांव ड्रेन को बजाय जून, ६५ के जून ६४ में ही पूर्ण करने की कृपा करेगी?

श्री राममूर्ति--

जी नहीं

नगवा ब्लाक के जसौली क्षेत्र में सिंचाई में कठिनाई

१७--श्री रामनाथ पाठक (जिला मिर्जापुर)--

क्या सिंचाई मंत्री मिर्जापुर जिले के तहसील राबर्ट्सगंज नगवा ब्लाक में नगवा बांध के निकट जसौली तप में सिंचाई की व्यवस्था करेंगे?

श्री राममूर्ति--

जी नहीं। क्षेत्र पहाड़ी और काफी ऊंचाई पर स्थित होने के कारण वहां पर कोई सिंचाई सुविधा प्रदान करना संभव नहीं है।

१८--श्री रामनाथ पाठक--

क्या सिंचाई मंत्री जी कर्मनासर कुट के २ मील ३ फर्लांग से उत्तर तरफ को एक माइनर निकलवाने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति--

चूंकि उक्त स्थान की भूमि का स्तर जल के स्तर से ऊंचा हैं, ऐसी योजना सम्भव नहीं है ।

१९--श्री रामनाथ पाठक--

क्या सरकार बधुआरी बांध जल्द बनवाने की कृपा कर उक्त क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था करेगी ?

श्री राममूर्ति--

ऐसी कोई योजना नहीं है ।

२०--श्री चन्द्रबलीसिंह--

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिया गया ।]

२१--श्री रणबहादुरसिंह--

[६ठे बुधवार के लिये प्रश्न ३० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

आनरेरी मैजिस्ट्रेट, मंझनपुर के विरुद्ध शिकायत

२२--श्री नाथूराम शिक्षक--

क्या सरकार १८ सितम्बर, १९६२ के प्रश्न संख्या १९-२१ के उत्तर क्रम में उन व्यक्तियों का नाम बताने की कृपा करेगी कि जिनकी भूमि आनरेरी मजिस्ट्रेट, मंझनपुर जबरन हड़प रहे हैं ?

श्री सैयद अली जहीर--

कोई अनधिकृत कब्जा नहीं किया है ।

२३--श्री नाथूराम शिक्षक--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शिकायती-पत्र सरकार को कब मिला और इसकी जांच किस तारीख से प्रारम्भ की गई ?

श्री सैयद अली जहीर--

शिकायतें जिला अधिकारी को ८-८-१९६२, २०-८-१९६२, २८-८-१९६२, ३०-८-१९६२, १०-९-१९६२ आदि तिथियों पर प्राप्त हुईं और उनकी जांच एस० डी० ओ०, मंझनपुर में १५-९-१९६२ से प्रारम्भ की ।

२४--श्री नाथूराम शिक्षक--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आनरेरी मजिस्ट्रेट मंझनपुर, के विरुद्ध अधिक शिकायतें रिश्वत एवं पक्षपात की हैं ? यदि हां, तो सरकार इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री सैयद अली जहीर--

शिकायतें निराधार हैं ।

२५--श्री नाथराम शिक्षक--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १३६६ फसली में जो वृहत जोतकर १,४४९ रु० ३६ न० पै० श्री प्रद्युम्न नारायणसिंह पर निर्धारित किया गया था उसमें से कितना वसूल हुआ ?

श्री सैयद अली जहीर--

सम्पूर्ण वसूल हो गया है ।

२६—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब १३६६ फसली में १,४४९ रु० ३६ न० पै० बृहत जोतकर निर्धारित किया गया है तो उस भूमि में से २२७ बीघा १७ बिस्वा १५ धूर भूमि १ जुलाई, १९६० के पूर्व कैसे दूसरों के नाम दाखिल खारिज कराली है ?

श्री सैयद अली जहीर—

उस भूमि की दाखिल खारिज पहली जुलाई सन् १९६० ई० के पूर्व रजिस्ट्री शुदा बैनामा कर के अपने पुत्रों तथा अन्य व्यक्तियों के नाम कराया था। केवल ४१ बीघा १२ बिस्वा १५ धूर भदान कमेटी को दान देकर दाखिल खारिज कराया था।

२७—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या यह सही है कि श्री प्रद्युम्ननारायणसिंह आनरेरी मैजिस्ट्रेट ने अपने पद के प्रभाव से अपनी भूमि का दाखिल खारिज अपने नाबालिग पुत्रों व अन्य व्यक्तियों के नाम सफलतापूर्वक १ जुलाई, सन् १९६० के पूर्व करा लिया ?

श्री सैयद अली जहीर—

यह सत्य नहीं है। दाखिल खारिज नियमों के अन्तर्गत ही किया गया था।

अन्देशनगर कृषि फार्म के कर्मचारियों की शिकायत

२८—श्री रियासत हुसैन—

क्या कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि लखीमपुर-खीरी के अन्देशनगर स्थित स्टेट एग्रीकल्चरल फार्म के कर्मचारियों को सरकार द्वारा घोषित त्योहारों की गजटेड छुट्टियां क्यों नहीं दी जाती हैं ?

श्री चरणसिंह—

कुछ फार्म कर्मचारियों ने अभी हाल में इसकी शिकायत की है जिसकी जांच हो रही है।

२९—श्री रियासत हुसैन—

[८ वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

डिप्टी डाइरेक्टर प्लान्ट प्रोटेक्शन आफिस, लखनऊ लाने पर आपत्ति

३०—श्री रामसिंह (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि डिप्टी डाइरेक्टर प्लान्ट प्रोटेक्शन का दफ्तर कानपुर से लखनऊ क्यों लाया गया जब कि कानपुर में कृषि विभाग की सरकारी बिल्डिंग मौजूद है और जब कि कानपुर कृषि कालेज से इंटरमीडियेट कक्षायें खत्म होने से काफी जगह इस दफ्तर के लिए मौजूद हैं ?

श्री चरणसिंह—

डिप्टी डाइरेक्टर प्लान्ट प्रोटेक्शन का एक नया दफ्तर है जो अगस्त, सन् १९६१ में लखनऊ में स्थापित किया गया। अगस्त, १९६१ से जून, १९६२ तक यह आफिस छोटा छतर मंजिल (दर्शन विलास) में रहा जिसका सरकार को कोई किराया नहीं देना पड़ता था। जून, १९६२ में इसकी मरम्मत होने के कारण इसको खाली करना पड़ा तथा एक भाड़े की इमारत इस आफिस के लिये लेनी पड़ी। कानपुर कृषि कालेज से इंटरमीजियेट कक्षायें समाप्त होने के उपरान्त ही बी० एस—सी० (ए—जी०) तथा एम० एस—सी० (ए—जी०) की कक्षा में छात्रों की संख्या बढ़ा दी गई तथा साथ ही साथ कृषि शिक्षा के कुछ नये कक्ष खोल दिये गये। इसलिये वहां इस दफ्तर के लिये स्थान उपलब्ध नहीं है।

३१—श्री रामसिंह (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस दफ्तर के लिये प्रति मास करीब ३,५०० रुपये माहवार का बंगला किराया पर क्यों लिया गया जब कि देश में आर्थिक संकट है देश का बच्चा-बच्चा अपनी रकम व जान देने के लिये तैयार है तब सरकार का यह व्यर्थ का खर्च कहां तक उचित है ?

श्री चरणसिंह—

डिप्टी डाइरेक्टर प्लान्ट प्रोटेक्शन के आफिस का किराया ३०० रु० प्रतिमास है न कि ३,५०० प्रतिमास जैसा कि प्रश्न में दिया गया है। कानपुर भेजने पर भी इस आफिस के लिये कोई इमारत किराये पर लेनी पड़ेगी जिसका किराया लखनऊ से कम नहीं होगा।

३२—श्री रामसिंह (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आज जब कि सिंचाई आफिस जो कि कृषि विभाग कानपुर की बिल्डिंग में है अपनी नई बिल्डिंग बनवा लेने के कारण कृषि विभाग की बिल्डिंग खाली करने वाला है, तब इस दफ्तर को क्यों न वहां भेज दिया जाय और इस तरह से बचा हुआ धन देश के हित में लगाया जाय जिससे कि देश का भला हो ?

श्री चरणसिंह—

सिंचाई विभाग ने कृषि विभाग की इमारत को अभी तक खाली नहीं किया है। खाली होने पर इसके उपयोग पर विचार किया जायेगा।

श्री रामचन्द्रलाल वकील, बांसडीह को राजनीतिक पेंशन न मिलना

३३—श्री रणबहादुरसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बलिया के श्री रामचन्द्रलाल, मुख्तार जो बासडीह में वकालत कर रहे थे, ने राजनैतिक पीड़ित पेंशन के लिये प्रार्थना-पत्र सन् १९६१ तथा पूर्व कई बार दिया था और उसके अस्वीकृत होने के क्या कारण हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां। नियमानुकूल न होने के कारण उनकी पेंशन संबंधी प्रार्थना अस्वीकार कर दी गई।

३४—श्री रणबहादुरसिंह—

क्या यह सच है कि पेंशन के अस्वीकृत होने पर वह जुलाई सन् १९६२ से घर से कहीं चले गये ? क्या यह भी सरकार को मालूम है कि वह कई बार जेल गये हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

गत फरवरी, १९६२ में श्री रामचन्द्रलाल की धर्मपत्नी का पेंशन के लिये एक आवेदन-पत्र शासन को प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके पति गत जुलाई, १९६२ में उन्हें छोड़कर पता नहीं कहां चले गये। श्री राम चन्द्र लाल केवल एक बार दिनांक १-१०-१९४२ से १९४४ तक नजरबन्द रखे गये थे।

३५—श्री रणबहादुरसिंह—

क्या यह भी सरकार कृपया बतायेगी कि उनकी धर्म पत्नी, जिनकी आयु ७५ साल है बहुत ही बुरी दशा में हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

श्री रामचन्द्रलाल की धर्मपत्नी ने अपने प्रार्थना-पत्र में अपनी आयु ७५ वर्ष और हालत खराब बतलाई है।

रामगंगा बाढ़ नियन्त्रण योजना

३६—श्री महराम सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामगंगा नदी की बाढ़ से किन-किन जिलों में फसलों को अधिक नुकसान होता है ?

श्री राममूर्ति—

रामगंगा नदी के बाढ़ से बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजांपुर और फर्रुखाबाद जिलों में फसलों का अधिक नुकसान होता है ।

३७—श्री महराम सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामगंगा बाढ़ नियंत्रण योजना प्रदेशीय सरकार ने स्वीकार की है ? यदि हां, तो उसके अन्तर्गत कौन-कौन से महत्वपूर्ण कदम अब तक उठाये गये हैं ?

श्री राममूर्ति—

रामगंगा नदी परियोजन जिसमें बाढ़ नियंत्रण भी सम्मिलित है एक बहुमुखी योजना है जिस पर कार्य प्रगति पर है । बाढ़ नियंत्रण पर अभी कार्य नहीं किया गया ।

नलकूप, बदायूं ग्रुप

३८—कुंवर रुकुनसिंह राठौर (जिला बदायूं)—

क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि ट्यूबवेल नं० १२३ बदायूं ग्रुप से मार्च, १९६२ से फरवरी, ६३ तक कितने एकड़ भूमि की सिंचाई हुई ?

श्री राममूर्ति—

१२५ एकड़ ।

३९—कुंवर रुकुनसिंह राठौर—

इस कुंये पर कितने फीट गोलें पुख्ता है ?

श्री राममूर्ति—

३३० फीट ।

४०—४१—श्री गिरजाप्रसाद—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिया गया ।]

गरौठा तहसील में खाद की कीमत वसूल करने की शिकायत

४२—श्री काशीप्रसाद द्विवेदी (जिला झांसी)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले की गरौठा तहसील में किस-किस ग्राम के किसानों को गत वर्ष विकास कर्मचारियों ने खाद नहीं दी परन्तु उनसे फिर भी तहसील द्वारा उसका रुपया वसूल किया जा रहा है ?

श्री चरणसिंह—

गरौठी ग्राम के ८ कृषकों की इस प्रकार की शिकायत इसी मास में प्राप्त हुई है । इनकी आवश्यक जांच हो रही है ।

सिंचाई विभाग में श्री हेमेन्द्रप्रताप की ट्रेनिंग

४३—श्री उदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १५ अगस्त, १९५९ से फरवरी, १९६० तक के लिये सिंचाई विभाग द्वारा एक ओवरसियर श्री हेमेन्द्र प्रताप श्रीवास्तव को कोटा राजस्थान (Soil conservation at the soil conservation research) के लिये भेजा गया था ? यदि हां, तो उस ट्रेनिंग में जितने लोग गये थे वे किस नम्बर से पास हुये और इस ट्रेनिंग में भेजने का मकसद क्या था ?

श्री राममूर्ति—

जी हां। इस ट्रेनिंग में अकेले श्री हेमेन्द्र प्रताप ही गये थे। इन्होंने कुल ७०० नम्बरों में ४६० नम्बर प्राप्त किये थे। इस ट्रेनिंग का मकसद यह था कि कैनाल के कमान्ड में कहीं कहीं स्वायल कन्जर्वेशन की समस्याएं होती हैं और विचार यह था कि ऐसी ट्रेनिंग के पश्चात् trained लोग इन समस्याओं को सुलझाने में उपयोगी सिद्ध होंगे।

४४—श्री ऊदल—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपरोक्त ओवरसियर ने जो ट्रेनिंग लेकर योग्यता हासिल की है इस योग्यता के सिंचाई विभाग में कितने ओवरसियर या इन्जीनियर्स हैं? क्या सिंचाई विभाग में स्वायल कन्जर्वेशन का कार्य हो रहा है या नहीं?

श्री राममूर्ति—

उपर्युक्त योग्यता का दूसरा कोई इन्जीनियर या ओवरसियर इस विभाग में नहीं है। इस समय सिंचाई विभाग में स्वायल कन्जर्वेशन का काम नहीं हो रहा है।

४५—श्री ऊदल—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपरोक्त ओवरसियर को ५०० रु० टी० ए० पूरी तनख्वाह तथा ७५ रु० मासिक छात्रवृत्ति के रूप में ट्रेनिंग पीरियड में भी दिया गया था? यदि हां, तो क्या उस ओवरसियर को ट्रेनिंग के बाद स्वायल कन्जर्वेशन के कार्य में सहायक अभियन्ता के पद पर नियुक्त किया गया था फिर उसी ओवरसियर के पद पर? यदि उसी पद पर रक्खा गया है, तो इतना रुपया खर्च क्यों किया गया?

श्री राममूर्ति—

श्री हेमेन्द्रप्रताप को शिक्षण काल में वेतन व टी० ए० दिया गया है पर ७५ रु० मासिक छात्रवृत्ति अभी नहीं दी गयी है। यह अब भी ओवरसियर के पद पर काम कर रहे हैं। इन्हें उपर्युक्त प्रशिक्षण में भेजने का कारण प्रश्न ४३ के उत्तर में स्पष्ट कर दिया गया है।

४६-४७—श्री विजयपालसिंह—

[८वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

४८-५०—श्री नित्यानन्द पांडेय (जिला कानपुर)—

[८वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

गोंडा जिले में सुहेला तथा ताड़ी ताल

५१—श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले की सदर तहसील में सुहिला तालाब व ताड़ी तालाब का रकबा पृथक-पृथक क्या है? और उसमें से कितने रकबे पर खेती की जा सकती है?

श्री राममूर्ति—

सुहेला तथा ताड़ी ताल का पानी में डूबा हुआ अनुमानित रकबा क्रमशः १२००एकड़ तथा ५०० एकड़ है। इसमें से क्रमशः २९० एकड़ तथा २६५ एकड़ रकबे में खेती की जा सकती है।

५२—श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि क्या वह उक्त तालाबों से पानी निकाल कर उनमें किसी प्रकार के धान उगाने की सम्भावनाओं पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब और उसकी रूपरेखा क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राममूर्ति—

जी नहीं। जितना पानी उक्त तालों से निकलना सम्भव है उतना सुहेला ताल ड्रेन तथा ताड़ी ताल ड्रेन द्वारा निकल जाता है और प्रश्न संख्या ५१ के उत्तर में बताये गये खेती योग्य रकबे के अलावा ताल के और अधिक रकबे में धान की बोवाई सम्भव प्रतीत नहीं होती।

लखनऊ-गोंडा बस सर्विस

५३—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सरकार लखनऊ से गोंडा तक रोड वेज की बस कब तक चलाने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—

१५ अप्रैल, १९६३ तक शुरू होने की आशा है ।

परगना पन्द्रह में नलकूप खराब होना

५४—श्री विजयपालसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि परगना पन्द्रह व जिला वाराणसी का अनेई ट्यूब-वेल व मदनपुर ट्यूबवेल सन् १९६१ की दिसम्बर से एक दम खराब हो गया है और उससे ईख व खरीफ व रबी की फसल सन् १९६२ में तथा १९६३ की ईख की फसल को पानी नहीं मिला ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति—

परगना पन्द्रह व जिला वाराणसी का अनेई नलकूप ८-४-६२ से तथा मदनपुर नलकूप २४-३-६२ से बन्द हैं । इसके कारण खरीफ सन् १९६२ से सिंचाई नहीं हो सकी । इन नलकूपों के पुनर्निर्माण के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश हस्तिनापुर नगर विकास मंडल (संशोधन) विधेयक, १९६३

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश हस्तिनापुर नगर विकास मंडल (संशोधन) विधेयक, १९६३, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक ८ फरवरी, १९६३ की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक १३ फरवरी, १९६३ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति दिनांक १६ मार्च, १९६३ को प्राप्त हो गयी है और वह १९६३ का उत्तर प्रदेश का १०वां अधिनियम बन गया ।

श्री भूपसिंह, सदस्य विधान सभा की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न यहां पर उठाया गया था माननीय भूपसिंह वाला और वह हमने विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कर दिया है । उस सम्बन्ध में एक सूचना मुझे एडीशनल जज, अलीगढ़ से दिनांकित २० मार्च, १९६३ को प्राप्त हुई है । वह मैं पढ़ देता हूं ।

"I have the honour to inform you that I dismissed the criminal appeal no. 48 of year 1963, Lakhpat Singh and others *vs.* State preferred from the judgement and order dated January 3, 1963 passed by Sri P. M. Agarwala, Magistrate first class, Aligarh in the criminal case no. 30 of the year 1962, State *vs.* Lakhpat Singh and others binding down the appellants under Section 107 read with Section 117, Criminal Procedure Code and took appellant Sri Bhup Singh, M.L.A., into custody at about 2 p.m. on March 18, 1963 and sent him to the Court below in order to enable him to Execute his required personal bond and furnish the required sureties. Appellant Sri Bhup Singh, M.L.A., was not handcuffed.

Appellant Sri Bhup Singh, M.L.A., was released by the Court below on the same day (time not known) on his executing the required personal bond and furnishing the required sureties".

यह पत्र २०-३-६३ का है। अब इसका क्या महत्व है वही विशेषाधिकार समिति बतायेगी। उसी के पास यह भेज दिया गया है।

हां, एक बात जो मुझे अभी बतायी जा रही है वह यह है कि यह २५ तारीख को यहां पर प्राप्त हुआ है। इसमें लखनऊ की २३-३-६३ की मुहर है और स्टाम्प पर मुहर साफ नहीं है।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)--
इस सम्बन्ध में कोई टेलीग्राम भी आया है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--
मुझे जो सूचना है वह यही है।

वक्ष रोग चिकित्सालय तथा टांडा पम्प कैनाल योजनाओं से सम्बद्ध द्वितीय विधान सभा की प्राक्कलन समिति का क्रमशः पन्द्रहवां तथा बारहवां प्रतिवेदन†

श्री जगदीश शरण अग्रवाल एडवोकेट (जिला बरेली)--
माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि आप आज्ञा दें तो दोनों प्रतिवेदनों को मैं एक साथ ही प्रस्तुत कर दूं।

श्री अध्यक्ष--
कर दीजिये।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट--
अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से, सभापति प्राक्कलन समिति की हैसियत से तृतीय विधान सभा की प्रथम प्राक्कलन समिति का पहला और दूसरा प्रतिवेदन और आप की आज्ञायें प्रस्तुत करता हूं तथा इस सम्बन्ध में दो शब्द भी कहना चाहता हूं।

पहला प्रतिवेदन गत विधान सभा की टांडा पम्प्ड कैनाल योजना से सम्बद्ध प्राक्कलन समिति के १२वें प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों के कार्यान्वियन के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गयी कार्यवाहियों से सम्बद्ध है। दूसरा प्रतिवेदन वक्ष रोग चिकित्सालय, कानपुर, से सम्बद्ध १५वें प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही से सम्बद्ध है।

ये प्रतिवेदन इस समय पांडुलिपि (मेन्युस्क्रिप्ट) के रूप में समिति की प्रक्रिया नियमावली के नियम २३ के अन्तर्गत प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इनकी प्रतियां छपने के बाद माननीय सदस्यों की सेवा में प्रस्तुत की जायेंगी।

पहले प्रतिवेदन में समिति ने ९ सिफारिशें की थीं जिनमें ५ तो सरकार द्वारा पूर्णरूप से स्वीकृत हो गयीं और ३ आंशिक रूप में, जिससे समिति संतुष्ट है। केवल एक के विषय में सरकार का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। दूसरे प्रतिवेदन में समिति ने कुल ५ सिफारिशें की थीं। सभी सरकार द्वारा पूर्ण रूप से स्वीकृत हो गयीं।

इस अवसर पर आप की आज्ञा से इस समिति की आन्तरिक कठिनाईयां के विषय में भी दो शब्द कहना चाहता हूं।

---

†छापे नहीं गये।

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट]

प्राक्कलन समिति माननीय सदन द्वारा निर्मित होती है, अतः उसकी सिफारिशों को सदन के निश्चयों की तरह आदर और मान्यता प्राप्त होना वांछित है। तभी इस माननीय सदन की महिमा और गरिमा का संरक्षण हो सकता है। कुछ दुर्भाग्य रहा है कि पिछले वर्षों में सम्बन्धित विभागों से जनतंत्र की मान्य परम्पराओं के विरुद्ध प्राक्कलन समिति की सिफारिशों को अपेक्षित आदर और स्थान नहीं मिला है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि पिछली प्राक्कलन समिति ने कुल २० प्रतिवेदन तैयार किये जिनमें इस वर्ष तक अधिकांश प्रतिवेदनों के विषय में सरकार द्वारा कोई कार्यान्वयन हुआ ही नहीं। इस प्रकार की अवहेलना से प्राक्कलन समिति द्वारा किया गया सारा परिश्रम और उस पर व्यय हुआ जनता की गाढ़ी कमाई का धन सब निष्फल हो जाता है। मेरा अनुमान है कि यदि प्राक्कलन समिति के प्रस्तुत प्रतिवेदनों पर ही अमल किया गया होता तो लगभग २ करोड़ रुपये की वार्षिक बचत होनी संभव थी।

श्री अध्यक्ष---

यह वक्तव्य बहुत लम्बा होता जा रहा है।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट---

मैं उसको अभी समाप्त किये देता हूं। इस कठिनाई का कारण सम्बन्धित विभागों के असहयोग के अतिरिक्त, यह भी था कि १९५८ से प्राक्कलन समिति की रिपोर्टों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में कोई मान्य प्रक्रिया नहीं थी। इस वर्ष समिति ने इस कमी को अनुभव करते हुए लोक सभा की प्रचलित प्रथा को अंगीकार करने का निश्चय एक प्रस्ताव द्वारा किया जिसको माननीय अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया। इसके फलस्वरूप इस दिशा में कुछ प्रगति हुई और पिछली विधान सभा द्वारा प्रस्तुत ११ मूल प्रतिवेदनों में से ७ के सम्बन्ध में कार्यान्वयन की रिपोर्ट विभागों द्वारा प्राप्त हो गयी। इस दिशा में कार्य को तेजी से चलाने के लक्ष्य से प्राक्कलन समिति ने एक कार्यान्वयन उपसमिति (इम्प्लीमेन्टेशन कमेटी) जिसके सभी उपसमितियों के संयोजक सदस्य हैं बनायी। यद्यपि इस वर्ष प्राक्कलन समिति की सभी उपसमितियों ने बड़ी लगन से कार्य किया, परन्तु बहुत देर में समिति का निर्माण होना, चीन के युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियां, और बार बार याद दिलाने पर भी सम्बन्धित विभागों द्वारा अतिविलम्ब से सूचना देने के कारण समिति इस वर्ष के बहुत से प्राक्कलनों के बारे में अपनी जांच पूरी नहीं कर सकी।

मुझे आशा है कि नयी प्रक्रिया के अपनाने के बाद भविष्य में सदन की यह महत्वपूर्ण समिति अपना कार्य अधिक शीघ्रता से कर सकेगी। माननीय मुख्य मंत्री ने भी ऐसा आश्वासन दिया है कि विभागों द्वारा अवहेलना भविष्य में न हो सकेगी।

इन शब्दों के साथ, मैं उक्त दोनों प्रतिवेदन माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

श्री दीपनारायणसिंह---

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस रिपोर्ट के ऊपर इसी अवधि में माननीय मुख्य मंत्री जी अपना वक्तव्य दे दें तो हमें सन्तोष हो जायगा। यह रिपोर्ट ऐसी है जिस पर माननीय मुख्य मंत्री जी का वक्तव्य आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष---

मैं उनसे ऐसा करने के लिये प्रार्थना करता लेकिन रिपोर्ट में यह दिया हुआ है कि माननीय मुख्य मंत्री ने प्राक्कलन समिति को आश्वासन दिया है कि भविष्य में समिति को पूरा सहयोग मिलेगा।

श्री दीपनारायणसिंह---

इस कठिनाई को दूर करने के लिये उन्होंने क्या कहा, इस पर ही कुछ कह दें।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

क्या कहूं मैं अध्यक्ष महोदय, उसमें तो कारण भी लिख दिये हैं, वह सब स्टेटमेंट में दिये हुये हैं।

श्री अध्यक्ष—

जो सहयोग का आश्वासन दिया गया है वही पर्याप्त है, इसीलिये मैंने कुछ नहीं कहा।

श्री गयाप्रसाद द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय गयाप्रसाद जी का एक विशेषाधिकार का प्रश्न है। वह मुझसे कृपा करके मिल लें, नेता जनसंघ कृपा करके उन्हें भेज दें।

सिविल सूट 'हरिनन्दन शरण भटनागर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य' के मामले में न्यायालय के माध्यम से प्रतिवादी द्वारा विधान सभा सचिवालय के आलेख्य पत्रों की मांग

श्री अध्यक्ष—

मैंने आपके सामने पहले भी निवेदन किया था कि श्री भटनागर हमारे एक कर्मचारी हैं लेजिस्लेचर सेक्रेटेरियट के, उन्होंने एक सिविल सूट दायर किया था उसमें कुछ लेखपत्र तलब किये गये थे। वह दिये जायं या न दिये जायं यह हमारी विशेषाधिकार समिति के अधिकार की बात है, वह मामला उसको भेज दिया गया था। अब कुछ और पत्र दूसरी पार्टी ने और मांगे हैं, अतः उस आवेदन को भी मैं विशेषाधिकार समिति के पास भेज देता हूं ताकि वह दोनों दरख्वास्तों पर निर्णय लेकर शीघ्रतिशीघ्र रिपोर्ट दें।

रायबरेली–डलमऊ मार्ग पर बड़ी शारदा नहर के कट जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ के अन्तर्गत कई एक सूचनायें मेरे पास आई हैं। उनमें से मैंने एक स्वीकार की है कुंवर श्रीपालसिंह जी की। जो स्वीकार की है उसे मैं पढ़े देता हूं। कुंवर श्रीपालसिंह की है "कि रायबरेली डलमऊ मार्ग पर १७–१८वें मील के मध्य बड़ी शारदा नहर के गुरूवार की रात्रि में अकस्मात् कट जाने से भीषण बाढ़ का दृश्य उपस्थित हो गया है। समीप के बाजार मुराई बाग में तीन फिट तक पानी दुकानों तथा डलमऊ ब्लाक हेडक्वार्टर की इमारत में भर गया है। इसके अतिरिक्त पांच सात ग्रामों की भीषण क्षति हुई है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि दो तीन लाख रुपयों की फसलें खेतों तथा खलिहानों से बह गई या डूब गई है। अतः उपरोक्त लोक महत्व की भीषण....

तो सिंचाई मंत्री जी बता दें कि वह वक्तव्य कब देंगे ?

सिंचाई उपमंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)—

श्रीमान्, आप का आदेश मिल गया है और इसकी जांच कर के मैं समझता हूं कि परसों तक मैं निवेदन कर सकूंगा और स्वयं भी जाकर मैं मौका देखने की कोशिश करूंगा।

"मां की पुकार" सम्बन्धी पोस्टर विधान भवन में वितरित किये जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष----

एक और सूचना श्री नेकराम शर्मा की है और वह 'मां की पुकार' के सम्बन्ध में फिर है। श्री नेकराम शर्मा की सूचना पर जो आदेश मैंने दिये हैं वे भी बतलाये देता हूं। मैं श्री नेकराम शर्मा का भी पढ़ कर सुनाये देता हूं और मैं इसको केवल वक्तव्य के लिये ही स्वीकार कर रहा हूं। वह इस प्रकार है "प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने 'मां की पुकार' चित्र प्रदर्शनी को जो प्रधान मंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू को अपमानित एवं बदनाम करने का एवं उनका खाका उड़ाने का जो घोर षड्यंत्र था उसको भारतीय रक्षा कानून के अन्तर्गत बन्द अवश्य करा दिया था लेकिन मां की पुकार चित्र प्रदर्शनी के संरक्षक एवं कार्यकर्ता अब भी उन पोस्टरों को छाप छाप कर विधान भवन आदि में वितरित कर रहे हैं। आप की सेवा में उसकी एक प्रतिलिपि नत्थी कर रहा हूं। भारत रक्षा के अन्तर्गत इस चित्र प्रदर्शनी को बन्द करने के उपरान्त भी इस प्रकार के मैगजीन जनता में वितरित हों यह बहुत ही आपत्तिजनक है। मुझे दुख है कि प्रदेश की गुप्त पुलिस और सरकार इस प्रकार के आपत्तिजनक साहित्य को रोकने में असमर्थ है। आशा है कि इस लोकमहत्व और अविलम्बनीय प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की मुझे आज्ञा प्रदान करेंगे।"

यह भी मंत्री जी को भेज दिया गया है, इस पर वह वक्तव्य कब तक देंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--

परसों दे दिया जायगा।

नियम ५२ के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं के सम्बन्ध में जानकारी

श्री रामेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)--

श्रीमन्, मैंने नियम ५२ में एक सूचना दी थी, दोनों प्रश्न-पत्र हाई स्कूल के आपकी सेवा में रखे हैं.....

श्री अध्यक्ष--

मैं इसको शिक्षा मंत्री को भेज रहा हूं।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)--

मेरा भी एक प्रस्ताव नियम ५२ में था। दो दिन पहले सूबे के कुछ हिस्सों में आंधी आयी थी और पानी बरसा था जिससे नुकसान हुआ है। तो बयान दिला दें कि क्या पोजीशन है।

श्री अध्यक्ष---

उसमें लिख दिया कि मंत्री जी के पास भेजा जाय सूचनार्थ और उचित कार्यवाही हेतु।

कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा विभिन्न विधेयकों के लिये समय निर्धारण की सूचना

श्री अध्यक्ष---

जो कार्यवाही कार्य-मंत्रणा समिति की हुई है उसकी सूचना सदन को दे दूं। मैं सदन को सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी २६ मार्च, १९६३ की बैठक में निम्नलिखित कार्य के लिये समय निर्धारण के सम्बन्ध में निम्नलिखित निश्चय किया है---

१---उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण विधेयक, १९६३ (जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है) पर विचार तथा उसका पारण दिनांक २८ मार्च, १९६३ को होगा।

उसके उपरान्त भारत का संविधान के अनुच्छेद ३४३ के खंड (३) के अन्तर्गत विधि बनाकर अंग्रेजी को अनिश्चित काल के लिये सहभाषा बनाने के सम्बन्ध में कुंवर श्रीपालसिंह द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ५३ के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर विवाद होगा।

२--२९ मार्च, १९६३ को उत्तर प्रदेश वृहत् जोत-कर विधेयक, १९६३ पर विचार तथा उसका पारण होगा और तदुपरान्त उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (क्षेत्र समितियों को चुनने की) नियमावली, १९६३ में प्राप्त संशोधनों पर विचार होगा।

विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री डालचन्द के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--

अध्यक्ष महोदय, मुझे एक दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। श्री डालचन्द जी जो विधान सभा के १९५२-५७ तक मथुरा जिले से सदस्य थे, वह संसार से विदा हो गये। माननीय डालचन्द हमारे उन हरिजन कार्यकर्त्ताओं में थे जो अपने जिले में जब तक जीवित रहे सार्वजनिक कार्यकर्त्ता के रूप में काम करते रहे और हरिजन भाइयों की अपने जिले में भारी मात्रा में सेवा की। उन्होंने उन सब कार्यों में सहयोग दिया जिनके द्वारा हरिजन भाइयों में नई चेतना और जागृति उत्पन्न हो सकती है। साथ ही उस जिले के सार्वजनिक जीवन को उन्होंने अपने कार्यकाल में वह महत्व दिया जो कि प्रत्येक हरिजन साथी को आज के जमाने में देना चाहिये। यह हमारा दुर्भाग्य है कि वे हमारे बीच से इतनी जल्दी चले गये। मैं अपनी ओर से और सदन के सभी सदस्यों की ओर से आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस सदन की समवेदना उनके संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे।

श्री कृष्णपालसिंह (जिला रायबरेली)--

माननीय डालचन्द जी की मृत्यु पर जो भाव नेता सदन ने व्यक्त किये हैं मैं अपने दल को उन भावनाओं से सम्बद्ध करता हूं और आपसे प्रार्थना है कि उनके संतप्त परिवार तक हमारी भावनाएं पहुंचा दें।

*श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)--

मैं भी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से माननीय डालचन्द जी की मौत पर अफसोस जाहिर करता हूं और अपनी ओर से तथा पार्टी की तरफ से उनके प्रति श्रद्धान्जलि अर्पित करता हूं वह हरिजन खानदान से आते थे। मैं पर्सनली उनको नहीं जानता था, लेकिन मैंने सुना था कि राष्ट्रीय आन्दोलन के अन्दर बड़ी तेजी से उन्होंने काम किया और कुरबानियां कीं। वे एक ईमानदार और मजबूत आजादी के सिपाही थे। माननीय मुख्य मंत्री ने जो विचार यहां जाहिर किये उनसे अपने आपको और अपनी पार्टी को जोड़ता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी समवेदना उनके दुखी परिवार तक पहुंचा दें।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

अध्यक्ष महोदय, जो विचार नेता सदन ने वक्तव्य किये उससे मैं अपने को और अपनी पार्टी को सम्बद्ध करता हूं और आपसे प्रार्थना है कि हमारी समवेदना उनके दुखी परिवार तक पहुंचा दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री खेमचन्द (जिला आगरा)--

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता सदन ने जो भावनाएं स्वर्गीय डालचन्द जी के संबंध में व्यक्त कीं उनसे अपने आपको और अपनी पार्टी को सम्बद्ध करते हुए मैं त्रिरत्न से प्रार्थना करता हूं कि उनके संतप्त परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें और आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी समवेदना दुखित परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

सदन में व्यक्त समवेदना के भावों से मैं अपने आपको सम्बद्ध करता हूं। इसमें संदेह नहीं कि हरिजन शताब्दियों से या सहस्राब्दियों से अगर कहा जाय तो गलत न होगा, पददलित रहे हैं और उनको जहां हमारी सहानुभूति और सहायता की आवश्यकता है वहां उनके अन्दर जो नेतृत्व है उसको कायम रखना भी बहुत आवश्यक है। ऐसा नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के उठ जाने से समाज की बहुत बड़ी क्षति होती है। मैं सदन की समवेदना दुखी परिवार तक पहुंचा दूंगा तथा दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये सब सदस्य अपने स्थान पर २ मिनट के लिये खड़े हो जायं।

(सभी सदस्य २ मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये।)

कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा विभिन्न विधेयकों के लिये समय निर्धारण की सूचना के सम्बन्ध में संकल्प

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)--

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन निम्नलिखित कार्यों के सम्बन्ध में कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण से सहमत है :--

उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल-संरक्षण विधेयक, १९६३ (जैसाकि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ) पर विचार तथा उसका पारण।

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद ३४३ के खंड (३) के अन्तर्गत विधि बनाकर अंग्रेजी को अनिश्चित काल के लिये सहभाषा बनाने के सम्बन्ध में कुंवर श्रीपालसिंह द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ५३ के अन्तर्गत दी गई सूचना पर विवाद।

उत्तर प्रदेश वृहत् जोतकर विधेयक, १९५३ पर विचार तथा उसका पारण, और उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (क्षेत्र समितियों को चुनने की) नियमावली, १९६३ में प्राप्त संशोधनों पर विचार।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन निम्नलिखित कार्यों के सम्बन्ध में कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण से सहमत है:--

उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल-संरक्षण विधेयक, १९६३ (जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ) पर विचार तथा उसका पारण।

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद ३४३ के खंड (३) के अन्तर्गत विधि बनाकर अंग्रेजी को अनिश्चित काल के लिये सहभाषा बनाने के सम्बन्ध में कुंवर श्रीपाल सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ५३ के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर विवाद।

उत्तर प्रदेश वृहत् जोतकर विधेयक, १९६३ पर विचार तथा उसका पारण, और

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (क्षेत्र समितियों को चुनने की) नियमावली, १९६३ में प्राप्त संशोधनों पर विचार।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

विभिन्न समितियों के सदस्यों के पद-काल मे वृद्धि करने का प्रस्ताव

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--
मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं....

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)--
एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह प्रस्ताव किस नियम के अन्तर्गत है ?

श्री अध्यक्ष--
मैं सुन तो लूं कि क्या प्रस्ताव है ?

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद--
मेरा निवेदन है कि आपने आज्ञा दी तो आपने प्रस्ताव को जान कर दी या यों ही दे दी ?

श्री अध्यक्ष--
मैं सुन लूं। यह सूचना आ गयी है। मैंने देखा नहीं था।

श्री नेकराम शर्मा--
मेरा प्रस्ताव इस प्रकार है ...

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद--
प्रस्ताव पेश ही नहीं हो सकता। किस नियम के अन्तर्गत यह पेश हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष--
पहले सुन लीजिये।

श्री नेकराम शर्मा--
मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक लेखा समिति एवं प्राक्कलन समिति, जिनके सदस्यों का पद-काल उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २०६ के अनुसार वित्तीय वर्ष होता है और मंत्रियों को परामर्श देने के लिये स्थायी समितियों के निर्वाचन, संघटन तथा कार्य विधि के नियम १ के उपनियम (ङ) के अनुसार उक्त स्थायी समितियों के सदस्यों का कार्य-काल वित्तीय वर्ष होता है परन्तु चूंकि इन समितियों का कार्य-काल एक वित्तीय वर्ष बढ़ाना आवश्यक प्रतीत होता है, अतः यह सदन निश्चय करता है कि उक्त समितियों का निर्वाचन, जिनके कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है वह स्थगित किया जाय तथा संबंधित नियमों को निलम्बित करते हुए १९६२-६३ के लिये निर्वाचित लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा स्थायी समितियों के सदस्यों का पद-काल ३१ मार्च, १९६४ तक के लिये अथवा जब तक पूर्वोक्त नियमों के अन्तर्गत उक्त नियमों के अन्तर्गत नई समितियां नियुक्त न हो जायं तब तक के लिये बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--
मैं यह निवेदन कर दूं कि मोशन फार इलेक्टिंग मेम्बर्स टु कमेटीज तो डिफिकल्ट मालूम होता है, लेकिन मोशन फार सस्पेंशन आफ रूल लायें तो बेहतर होगा।

श्री नेकराम शर्मा--
मैंने इसमें पढ़ा है। आप इसको देखें तो।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)--
नियम को स्थगित करने का रूल ११३ (६) है।

श्री अध्यक्ष---

मैं प्रस्ताव पढ़े देता हूं। प्रस्ताव में वह लिखते हैं "मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक लेखा समिति एवं प्राक्कलन समिति जिनके सदस्यों का पद-काल उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियामावली, १९५८, के नियम २०६ के अनुसार वित्तीय वर्ष होता है और मंत्रियों को परामर्श देने के लिये स्थाई समितियों के निर्वाचन, संघटन तथा कार्य विधि के नियम १ के उपनियम (ङ) के अनुसार उक्त स्थायी समितियों के सदस्यों का कार्य-काल वित्तीय वर्ष होता है, परन्तु चूंकि इन समितियों का कार्य-काल एक वित्तीय वर्ष बढ़ाना आवश्यक प्रतीत होता है, अतः यह सदन निश्चय करता है कि उक्त समितियों का निर्वाचन, जिनके कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है वह स्थगित किया जाय तथा संबंधित नियमों को निलम्बित करते हुए १९६२-६३ के लिये निर्वाचित लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा स्थायी समितियों के सदस्यों का पद-काल ३१ मार्च, १९६४ तक के लिये अथवा जब तक पूर्वोक्त नियमों के अन्तर्गत उक्त नियमों के अन्तर्गत नई समितियां नियुक्त न हो जायं तब तक के लिये बढ़ा दिया जाय।" तो इनका यह प्रस्ताव है ....

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---

मेरा यह निवेदन है कि इसमें कई विषय हैं। अगर कोई नियम निलम्बन का प्रस्ताव है, यह सदन इसको कर सकता है तो यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि इस तरह का प्रस्ताव जो है जो सचेतक कांग्रेस दल के बैठे हैं इस तरह का प्रस्ताव सदन में लायें और आप के द्वारा एलाऊ हो और सदन का नियम भंग हो तो यह बात मेरी समझ में नहीं आती और इसीलिये मैंने निवेदन किया कि यह किसी नियम के अन्तर्गत नहीं आता। सदन में इस पर क्या विचार हो सकता है? यह तो विचार की चीज ही नहीं है। अगर बनारसीदास जी की पीछे से कनाइवेन्स है तो मैं मान सकता हूं।

श्री बनारसीदास---

माननीय नोकराम जी ने जो प्रस्ताव किया है उस पर टम्बेश्वरी प्रसाद जी को अगर आपत्ति है तो मेरा निवेदन यह है कि इसको कल तक के लिये स्थगित कर दिया जाय...

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---

यह किस रूल के अन्तर्गत.....

श्री अध्यक्ष---

टम्बेश्वरी प्रसाद जी, देखिये। इस प्रस्ताव के दो भाग हैं। एक तो यह कि रूल्स निलम्बित किये जायं जो कि इलेक्शन के हैं कि एक साल के लिये ही चुनाव होगा। तो पहला भाग यह है कि उसको निलम्बित किया जाय। फिर दूसरा भाग यह है कि उन्हीं समितियों को रखा जाय। इस पर आप लोग परामर्श कर लें, यह फिर कल ले लिया जायगा।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---

पहले तो आप यह बता दें कि यह किस नियम के अन्तर्गत है तो मैं इसको मान लूं। जब किसी नियम में नहीं है तो कैसे मान लूं? अभी नियमों पर तो इतना बड़ा झंझट हो रहा है।

श्री अध्यक्ष---

सूरत यह है कि नियम निलम्बित करने की भी प्रार्थना है और दूसरा और है। लेकिन इसके ऊपर कल तक विचार कर लें।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---

मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि आप से स्वीकृति ले कर तमाम दलों ने नामिनेशन किया और एक पूरा दल यहां अनुपस्थित है। तो कारण क्या है जिसकी वजह से इस पर विचार होना चाहिये .....

श्री अध्यक्ष---

वही मैं कह रहा हूं कि कल तक विचार कर लीजिये।

मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

वैसे तो मैं इस बहस में हिस्सा नहीं लेना चाहता था, लेकिन एक आर्गुमेंट अभी टम्ब्रेश्वरी प्रसाद जी ने दिया है। वही एक मुख्य कारण बन सकता है इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का। यानी जो दो दल हैं उनमें से एक दल तो शायद सेशन भर के लिये उठ गया और एक दल के आदमियों को निलम्बित कर दिया गया है। तो यदि कोई चुनाव हो तो वह सही चुनाव नहीं होगा। उसमें इस हाउस के सभी दलों का सही प्रतिनिधित्व नहीं होगा। इसलिये मेरा भी विनम्रता से टम्ब्रेश्वरी प्रसाद जी से निवेदन है कि जो एक विशेष परिस्थिति हमारे बीच में उपस्थित हो गयी है और ताकि सभी दलों के सदस्यों को प्राक्कलन और लोक लेखा समितियों में जगह मिले यही मुनासिब होगा कि जो कमेटियां आज हैं उन्हीं का टाइम बढ़ा दिया जाय। तो जो माननीय नेकराम शर्मा जी ने प्रस्ताव रखा है वह मैं समझता हूं कि सदन के सभी दलों के लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिये नितांत आवश्यक है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—

जो प्रस्ताव माननीय नेकराम जी ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री टम्ब्रेश्वरीप्रसाद—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप क्या चाहते हैं?

श्री टम्ब्रेश्वरीप्रसाद—

मैं तो यह चाहता हूं कि यह नियम के विरुद्ध है। इस को लिया नहीं जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

देखिये, इस सदन की जितनी समितियां चुनी जाती हैं वे इन नियमों के अन्तर्गत चुनी जाती हैं। उन्हीं नियमों में यह दिया हुआ है कि सदन को अधिकार है कि वह किसी भी नियम को निलम्बित कर दे एक विशेष प्रक्रिया के लिये। माननीय नेकराम जी का यह प्रस्ताव है कि उन नियमों को जिनके अन्तर्गत यह चुनाव होते हैं विशेष परिस्थितियां होने के कारण निलम्बित कर दिया जाय जैसा कि माननीय नेता सदन ने भी कहा है। ऐसी परिस्थितियों में पहला प्रस्ताव यह है कि वह निलम्बित किया जाय और अगर वह निलम्बित हो जाता है तो नेसेसरी कान्सीक्वेन्स जो फ्लो करता है वह यह कि जो समितियां हैं वह ३१ मार्च, १९६४ तक चलती रहें।

श्री टम्ब्रेश्वरीप्रसाद—

दो बातें बिलकुल उल्टी हैं। माननीय नेकराम जी कहते हैं कि जब प्रस्ताव पास हो जायगा तो नियम अपने आप निलम्बित हो जायगा और आप कहते हैं कि अगर निलम्बन का प्रस्ताव पास हो जाय तो....

श्री झारखंडेराय—

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आप ने मुझे बोलने की आज्ञा दी। मैं केवल एक वाक्य कह पाया कि माननीय टम्ब्रेश्वरी प्रसाद जी बीच में बोलने लगे....

श्री टम्ब्रेश्वरीप्रसाद—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

वह बोल लें।

श्री टम्ब्रेश्वरीप्रसाद—

मैं यह जानना चाहता हूं कि वह क्यों बोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

जहां तक प्रस्ताव का प्रश्न है, उसके दो अंग हैं, वह बिलकुल नियमित है, इसको मैं स्वीकार करता हूं ।

श्री झारखंडेराय—

मान्यवर, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। पारसाल समितियों का निर्माण बहुत देर में हुआ और इमर्जेंसी की वजह से समितियां ठीक से मिल नहीं पाईं, आप के आदेश से दो मास तक कोई मीटिंग नहीं हुई। जो कार्य उनके जिम्मे थे वे हो नहीं पाये, इसलिये मैं समझता हूं कि उनका कार्य-काल बढ़ाया जाय। जो बात मुख्य मन्त्री जी ने कही उसका भी महत्व है कि दो पार्टियां सदन में नहीं हैं और वे चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकती हैं। इसलिये और भी जरूरी हो गया है कि समितियों का कार्यकाल बढ़ाया जाय।

श्री कृष्णपालसिंह (जिला रायबरेली)—

श्रीमन्, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि . . . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अगर आप चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। माननीय सूचना मंत्री जी ने कहा है कि कल तक इसको स्थगित कर सकते हैं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—

पहले गुप्ता जी ने मत नहीं दिया था।

एक सदस्य—

अध्यक्ष महोदय..... .

श्री दीपनारायणसिंह—

श्रीमन्, उस दल के दूसरे सदस्य को बोलने का क्या अधिकार है ?

श्री कृष्णपालसिंह—

श्रीमन्, आपने आज्ञा दी थी कि इस पर विचार किया जायगा और कल बताया जायगा। मैं इतना ही कहूंगा कि अगर इस विषय में पहले बातचीत हो जाती और फिर लाया जाता तो उचित था और अगर आप ऐसा न करें .....

श्री अध्यक्ष—

मैं यह चाहता था, लेकिन माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद जी ने मुझे रूलिंग देने के लिये कम्पेल किया कि यह आर्डर में है या नहीं। अगर आर्डर में है तो इसको वह पेश कर सकते हैं।

श्री कृष्णपालसिंह—

श्रीमन्, मेरा अनुरोध यह है कि. . . .

श्री अध्यक्ष—

देखिये, ...

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—

श्रीमन्, मैंने नहीं बल्कि गुप्ता जी ने कम्पेल किया है।

श्री अध्यक्ष—

अब सिर्फ यह है कि माननीय सूचना मन्त्री जी ने सदन में रख दिया है कि बातचीत कर लें और कल इसको रख सकते हैं। (व्यवधान)

श्री दीपनारायणसिंह—

अध्यक्ष महोदय, अब प्रश्न आना ही चाहिये।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

श्रीमन्, मैं व्यवस्था चाहता हूं . . . . .

श्री अध्यक्ष—

मैं यह समझूं कि हाउस का सेंस यह है कि .....

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—

पहले मेरी बात सुन लीजिये। सदन में दलों का रिप्रेजेंटेशन शक्ति के अनुसार होता है.....

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, आप ने रूलिंग दे दी है तो बहस नहीं हो सकती है।

श्री अध्यक्ष—

वे क्या कह रहे हैं, मालूम तो हो जाय।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—

श्रीमन्, मैं आप के द्वारा माननीय दत्त जी को नियम बता दूं कि रूलिंग के बाद बातचीत हो सकती है। मेरा निवेदन यह है कि आप ने इतने बड़े निलम्बन के नियम को एक मिनट में स्वीकार कर लिया और आप ने व्यक्तिगत चार्ज मुझ पर लगाया कि मैंने ऐसा नहीं करने दिया। उसकी सफाई मैंने दे दी। मैं तो इस तरह की बात कभी नहीं लाना चाहता था। मेरा कोई दबाव आप पर नहीं है।

(शोर)

श्री राजदेव (जिला देवरिया)—

मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। जब आपने निर्णय दे दिया तो क्यों बहस कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष—

उसके बारे में नहीं कह रहे हैं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—

इसमें अल्पमत के संरक्षण की अधिक आवश्यकता होती है।

कोई ऐसी कमेटी जिसका गठन सदन के द्वारा होता है उसमें अल्पमत के संरक्षण की आवश्यकता होती है, न कि बहुमत की। मेरी समझ में नहीं आता कि कांग्रेस दल क्यों व्यग्र है? उसने वाक आउट नहीं कर रखा है। चुनने में भी आसानी है। मेरी समझ में नहीं आता कि चुनाव रोकने के क्या मानी हैं।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

यह प्रस्ताव नियमित घोषित हो चुका है। अब इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में इसकी मेरिट्स पर, इसको स्वीकार किया जाय या न किया जाय उसके सम्बन्ध में माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद बोल सकते हैं। जहां तक प्वाइंट आफ आर्डर का प्रश्न था उस पर मैंने रूलिंग दे दी। अब वह कहना चाहते हैं कि इसको न स्वीकार करें, आपको परसुएड करना चाहते हैं। आपको अधिकार है, मानें या न मानें। पांच मिनट में खत्म कर देंगे।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—

मेरी प्रार्थना है कि आप इसका परिमार्जन कर दें। यह न कहें कि टम्बेश्वरी प्रसाद के कारण ऐसा किया बल्कि यह कहें कि माननीय मुख्य मन्त्री जी के कारण ऐसा किया। इतना आप परिमार्जन कर दें, क्योंकि मेरा दबाव श्रीमन् पर है नहीं। अगर मेरा दबाव है तो इसको आउट आफ आर्डर कर दें। मेरी समझ में नहीं आता कि जो आप नियमों का निलम्बन करवा रहे हैं, और कमेटियों के फार्मेशन में परिवर्तन करवा दे रहे हैं, इसकी क्या आवश्यकता है? इससे अधिक मैं क्या कहूं?

श्री बनारसीदास--

अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय नेकराम ने पेश किया है, ऐसा नहीं है कि नया हो। माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद को मालूम होगा कि पहले अधिवेशन में इस प्रकार के प्रस्ताव पेश किये जा चुके हैं और सदन ने स्वीकार किया है। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि प्रायः सभी नेताओं ने सहमति दी थी। माननीय कृष्णपाल सिंह को एक ही आपत्ति थी, मौलिक रूप से उनका विरोध नहीं था। मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक इस प्रश्न का सवाल है जब कमेटियों का गठन हो जायगा, वह स्वतंत्र सवाल है। जैसा कि नेता सदन ने कहा माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद की भावनाओं का आदर करते हुए, अल्पमत के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए इस प्रस्ताव पर इस दल ने अपनी सहमति प्रकट की है वरना चुनाव से हमको डर नहीं है न आपत्ति हो सकती है। कई दलों के सदस्य निलम्बित हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के चुनाव के अनुसार उनका प्रतिनिधित्व नहीं हो सकेगा। निलम्बित लोग वोट नहीं दे पायेंगे।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---

माननीय बनारसीदास कह रहे हैं निलम्बित लोग वोट नहीं दे पायेंगे। आपका विचार कुछ दूसरा है।

श्री बनारसीदास---

इसलिए माननीय कृष्णपाल सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वह इसमें जो उनका स्वयं कर्त्तव्य है उसके पालन में उन्हें यह प्रस्ताव मान लेना चाहिए।

श्री कृष्णपालसिंह---

माननीय बनारसीदास जी ने सब नेताओं को अपने यहां बुलाया था। समाजवादी दल, प्रजा समाजवादी दल तथा हमारे दल की तरफ से स्पष्ट कह दिया गया था कि नहीं, हम लोग चाहते हैं कि चुनाव हों। उसके बाद नामांकन पत्र दिये गये और नामांकन किया गया। जो निलम्बित हुए, उनके विषय में कल आप ने आज्ञा दी कि उनको यहां आने की आज्ञा नहीं दे सकते, उनकी सूची ले कर अपने दल की तरफ से नामांकन भी करवा दिया, और नामांकन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा भी हो गयी। चूंकि तीन दल उसके विरुद्ध थे, इसलिये तीन दल तो इसका विरोध करेंगे ही। (व्यवधान) निलम्बित सदस्यों के सम्बन्ध में मैं प्रस्ताव रखूंगा। जब निलम्बित सदस्यों को अधिकार है कि वह कमेटियों में आ सकते हैं, तो कमेटियों के चुनाव में भी आ सकते हैं। इसलिए आप इस पर विचार आज स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष---

मेरिट्स पर कोई प्रश्न नहीं है। इस वजह से मैं प्रस्ताव रख रहा हूं।

श्री रक्षपालसिंह---

मैं इसका विरोध करना चाहता हूं। हमारे दल ने वैसे तय किया था कि पुराने सदस्य बदल कर अन्य सदस्य विभिन्न कमेटियों में जायेंगे, कारण यह है कि कई कमेटियां ऐसी हैं जिनकी बैठक मंत्रियों ने एक भी नहीं बुलायी। कुछ सदस्य कमेटियों में लगातार बने रहना चाहते हैं। यह ठीक नहीं है। मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि लोक लेखा समिति एवं प्राक्कलन समिति, जिनके सदस्यों का पद-काल उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २०६ के अनुसार वित्तीय वर्ष होता है और मंत्रियों को परामर्श देने के लिए अस्थायी समितियों के निर्वाचन, संघटन तथा कार्य-विधि के नियम १ के उपनियम (ङ) के अनुसार उक्त स्थायी समितियों के सदस्यों का कार्य-काल वित्तीय वर्ष होता है परन्तु चूंकि इन समितियों का कार्य-काल एक वित्तीय वर्ष बढ़ाना आवश्यक प्रतीत होता है, अतः यह सदन निश्चय करता है कि उक्त

समितियों का निर्वाचन, जिसके कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है वह स्थगित किया जाय तथा संबंधित नियमों को निलम्बित करते हुए १९६२–६३ के लिए निर्वाचित लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा स्थायी समितियों के सदस्यों का पद-काल ३१ मार्च, १९६४ तक के लिए अथवा जब तक उक्त नियमों के अन्तर्गत नयी समितियां नियुक्त न हो जायं तब तक के लिए बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

१९६३–६४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १२—न्याय प्रशासन

श्री अध्यक्ष—

माननीय शिक्षा मंत्री, पहले न्याय मंत्री नम्बर २ पेश कर दें, उस पर विवाद नहीं होगा, तब आपका अनुदान ले लिया जाय।

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं, श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के लिये अनुदान संख्या १२—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत १,६४,५५,८०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के लिए अनुदान संख्या १२—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत १,६४,५५,८०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १७—शिक्षा

शिक्षा मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के लिए अनुदान संख्या १७—शिक्षा के अन्तर्गत २७,९२,६१,१०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

श्रीमान् जी, जो आज बजट मैंने पेश किया है उसके सम्बन्ध में कुछ खास खास बातें मैं माननीय सदस्यों के सम्मुख रखना चाहता हूं। यों बजट की कापियां माननीय सदस्यों के पास हैं और गवर्नमेन्ट की तरफ से, नियोजन विभाग की तरफ से कुछ रिपोर्ट भी छापी गयी हैं, जो माननीय सदस्यों को प्राप्त हुई होंगी। उसमें कुछ बातें इस बजट के सम्बन्ध में दी गयी हैं। तब भी मैं यह आवश्यक समझता हूं कि मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आपके द्वारा कुछ विशेष बातों की तरफ दिलाऊं जो कि महत्वपूर्ण हैं। यह बजट तीसरी पंच वर्षीय योजना का तीसरा बजट है, और यह मेरा सौभाग्य है कि मैं ही इस बजट को तीसरे वर्ष भी सदन के समक्ष रख रहा हूं। इस तीन वर्ष के बीच में जो प्रगति हुई है और जो हमारा आगे के लिए कार्यक्रम है उसके सम्बन्ध में मैं चाहता हूं कि कुछ बातें माननीय सदस्यों के सामने रखूं।

हमारा यह बजट २७ करोड़ ९२ लाख रुपये का है और हमारा कुल बजट इस प्रदेश का इस वर्ष २०६ करोड़ का है। इस अनुपात में हमारा बजट १३.५ प्रतिशत आता है। यह मैं समझता हूं कम है तब भी आजकल की स्थिति को देखते हुए, अन्य विभागों की आवश्यकताओं को देखते हुए १३.५ प्रतिशत का जो बजट है उसके लिये मैं गवर्नमेन्ट

[आचार्य जुगलकिशोर]

का शुक्रगुजार हूं कि उसने इतना बजट स्वीकार कर लिया। विशेष तौर से संकटकाल के कारण हमको बजट में कुछ कमी करनी पड़ी है अन्यथा हमारा बजट सम्भव है ३१ करोड़ तक होता। लेकिन जितना भी इस बजट में रखा गया है, हमने कोशिश की है कि इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा हम अपने प्रदेश को शिक्षा की प्रगति में दे सकें और कुछ विशेष बातें भी जो हमने इस वर्ष अपने बजट में रखी हैं उनको भी हम पूरा कर सकें। वह विशेष बात है हमारे नवयुवकों के लिए मिलिटरी ट्रेनिंग जिसकी व्यवस्था हमने इस बजट के अन्तर्गत की है और उसमें करीबन १ करोड़ २२ लाख रुपया प्लान और नान-प्लान का मिलाकर हम अपने यूनिवर्सिटी स्टेज और सेकेंड्री स्टेज के बालकों पर खर्च करने जा रहे हैं। जैसा कि शायद सभी सदस्यों को मालूम होगा, हमने यह भी निश्चय किया है कि जो गवर्नमेन्ट डिग्री कालेजेज हैं उनके सभी विद्यार्थियों को जो बी० ए० में पढ़ते हैं एन० सी० सी० अनिवार्य होगी और इस प्रदेश में हमारा खयाल है काफी संख्या में हमारे नवयुवक जो स्वस्थ हैं वह इस तरह की ट्रेनिंग पा सकेंगे।

इस बजट के जो विभिन्न भाग हैं उसमें प्राइमरी एजूकेशन के लिए हमने १२ करोड़ ८४ लाख रुपया रखा है जो कि हमारे पूरे शिक्षा बजट का ४६ प्रतिशत अनुपात में है। सेकेंड्री एजूकेशन में ७ करोड़ १८ लाख रुपया रखा है जो कि पूरे शिक्षा बजट का २५.५ प्रतिशत अनुपात में है। और डिग्री कालेज के एजूकेशन के लिए हमने २ करोड़ ७५ लाख रुपया रखा है जो कि हमारे शिक्षा बजट का ९.९ प्रतिशत अनुपात में है। मिलिटरी ट्रेनिंग के लिए जैसा मैंने बताया १ करोड़ २२ लाख रुपया रखा है और इसके अलावा वजीफों के लिए हमने काफी रकम रखी है जिससे कि हमारे गरीब विद्यार्थी कालेजेज और स्कूल्स में ज्यादा संख्या में और विशेषकर वे विद्यार्थी जो साइंस लेना चाहते हैं सहायता प्राप्त कर सकें। उसके लिए हमने ८५ लाख रुपया इस बजट में रखा है।

मैं अब थोड़ा-सा समय इस आदरणीय सदन का लूंगा प्राइमरी एजूकेशन के सम्बन्ध में जो हमारी योजनायें हैं उनको बताने में। हमारा प्रदेश अन्य प्रदेशों के मुकाबिले में, हमें इसमें खेद के साथ कहना पड़ता है कि काफी पीछे है और हमारी कोशिश यही है इस पंचवर्षीय योजना द्वारा कि हम जहां तक हो सके और आगे बढ़कर के उतना पीछे न रहें जितने कि अब तक थे। हमारे यहां सेकिंड प्लान के अन्त तक ४३ परसेन्ट बालिका और बालकों की संख्या हो जायगी जो ११ से १७ वर्ष की उमर तक स्कूल में जा सकते हैं। सारे देश का यह परसेन्टेज ६१ परसेन्ट है। हमारी कोशिश यह है कि अगले वर्ष के बीच में यानी ६३–६४ के अन्त तक हमारे बालक और बालिकाओं की संख्या अनुपात ५४.१४ परसेन्ट हो जाय। इस तरीके से हम अपने बालक और बालिकाओं को यदि शिक्षा दे सके तो १९६६ के आखिर में जाकर हमारी इस संख्या में काफी बढ़ोत्तरी हो जायगी। करीब-करीब वह संख्या ८० परसेन्ट बालक और ४१ परसेन्ट बालिकाओं यानी कुल मिलकर दोनों की संख्या ६१.७ परसेन्ट तक पहुंच जायगी। यह सम्भव नहीं है कि इस पंचवर्षीय योजना में हम वहां तक पहुंच सकें। अगली पंचवर्षीय योजना में हमारी कोशिश यह होगी कि हम पूरे तौर पर अपने प्रदेश में हरएक बालक और बालिका के लिये शिक्षा की पर्याप्त मात्रा में सुविधा उपलब्ध करा सकें।

प्राइमारी एजुकेशन के बारे में मैं सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हम खासतौर से बालिकाओं की शिक्षा के लिये स्कूल खोल रहे हैं। उनके लिये काफी सुविधा हम दे रहे हैं ताकि वह ज्यादा शिक्षित हो सकें। हमने उनकी अध्यापिकाओं के लिये जो गांवों में जाने में संकोच करती हैं, उनके लिये एक्स्ट्रा एलाउन्स और क्वार्टर देने की सुविधा प्रदान की है। ऐसे स्कूलों में जहां पर बालक और बालिका साथ-साथ शिक्षा पाते हैं वहां पर स्कूल मदर के नाम से एक टीचर होगी जो बच्चों की ज्यादा देख भाल करेगी। इस तरीके से हम यह समझते हैं कि यदि हम यह काम करते रहे तो हमारी बालिकायें जो गांव में रहती हैं, उनको विशेषरूप से फायदा होगा और वह ज्यादा संख्या में स्कूलों में जा सकेंगी। यह खुशी की बात है कि आज हम गांवों

में अलग लड़कियों के लिये स्कूल खोलने की हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। वह आज अपनी बालिकाओं को मिक्स स्कूल में भेजने के लिये तैयार हैं। अगर ऐसी मनोवृत्ति बढ़ी तो हम ज्यादा संख्या में अपनी बालिकाओं को स्कूलों में भेज सकेंगे। जहां पर लड़कों के स्कूल हैं वहां पर लड़कियों के लिये स्कूल नहीं हैं। लड़कियां वहां पर स्कूल में जाने से वंचित रह जाती हैं। जहां पर लड़कियों के स्कूल हैं वहां पर लड़के उस स्कूल में नहीं जा सकते हैं। अगर इस प्रकार के कामन स्कूल खुल जायंगे तो लड़के और लड़कियां ज्यादा संख्या में इन स्कूलों में जा सकेंगे। इस प्राइमरी स्तर पर हमारे सामने एक समस्या है। वह समस्या टीचरों की कमी की है। आज भी हमारे प्रदेश में करीब-करीब १६ हजार टीचरों की कमी है। यह कमी इसलिये हो गई है कि हमने पिछले साल काफी जोर लगाया था लड़कों की भर्ती कराने का और जिस संख्या में लड़के भर्ती हुये उतनी संख्या में हम उनको अध्यापक नहीं दे सके। इस वर्ष हमारी कोशिश यह है कि ८ हजार अध्यापक और शिक्षित करें और उनको शिक्षित करके हम गांवों में भेजें और जहां पर स्कूलों में एक ही अध्यापक है वहां पर दो अध्यापक रहें।

इसके साथ-साथ प्राइमरी एजुकेशन के बाद जूनियर हाई स्कूल का प्रश्न आता है। जूनियर हाई स्कूलों के लिये गवर्नमेंट की यह कोशिश है कि जितनी संख्या में हम जूनियर हाई स्कूल गांव में खोल सकें उतने जूनियर हाई स्कूल गांव में खोलने की कोशिश करें, लेकिन इस तीसरी पंचवर्षीय योजना में यह सम्भव नहीं हो पा रहा है। जो हमारा प्लान है उसके मुताबिक इस पंचवर्षीय योजना के समाप्ति के बाद ज्यादा से ज्यादा तादाद में बालक और बालिकाओं के लिये जूनियर हाई स्कूल खोल सकें क्योंकि जो बालक और बालिकाएं पांच वर्ष बाद यानी ६६ के अन्त तक पढ़ चुके होंगे उनको फिर जूनियर हाई स्कूल में जाने का मौका मिलेगा, लेकिन तब भी हमारी कोशिश यह है कि जितनी ज्यादा संख्या में लड़के और लड़कियों को हम जूनियर हाई स्कूल में भेज सकें उतनी संख्या में भेजने की कोशिश करें। प्राइवेट स्कूल्स को हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के द्वारा खोलने की व्यवस्था कर रहे हैं और उनको थोड़ा बहुत अनुदान भी देते हैं और साइन्स पढ़ाने का इंतजाम भी हमने उन स्कूलों में किया है ताकि गांव में रह कर भी हमारे बालक बालिकाएं साइन्स की शिक्षा प्राप्त कर सकें और उसके लिये उनको सुविधा मिल सके। बिल्डिंग के लिये, फरनीचर के लिये, लाइब्रेरी के लिये उनको सुविधा प्रदान करने की कोशिश है और हम चाहते हैं कि जूनियर हाई स्कूल की शिक्षा का स्तर ऊंचा हो।

प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल की शिक्षा के बारे में मैं दो एक बातें और सदन से निवेदन करना चाहता हूं। एक तो ग्रामों में जो स्कूल आजकल चल रहे हैं, हम चाहते हैं कि उनमें ग्राम निवासियों का और ज्यादा सहयोग हमको मिल सके। हमने इस दिशा में यह कदम उठाया है कि हमने जगह-जगह ग्रामीणों की कमेटियां बना दी हैं जिनका काम होगा कि वे उन स्कूलों की देखभाल करें। स्कूल में मरम्मत आदि की अगर आवश्यकता है, या और कोई जरूरत है तो उसके लिये वह अनुदान स्वीकार करें। मैं चाहता हूं कि बालकों के माता-पिता उन कमेटियों के सदस्य बन कर वहां की समस्याओं को हल करने में सहायता करें। हमारी यह भी योजना है कि हम हर स्कूल में मिड-डे-मील का, दूध अथवा अन्य किसी पदार्थ का इंतजाम करें ताकि बच्चों को दिन भर में कुछ मिल सके और हमारा विश्वास है और कोशिश है कि इस काम में यह ग्राम समितियां हमें काफी मदद देंगी। अगर अभिभावकगण इन समस्याओं को हल करने में हमारी मदद नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूं कि इन छोटी-छोटी समस्याओं को हल करने में हमें काफी देर लग सकती है। इसलिये मैं सदन के द्वारा ग्रामीण भाइयों के पास यह सन्देश पहुंचाना चाहता हूं कि वे इस कार्य में हमें सहयोग दें।

इसके अलावा बेसिक एजूकेशन के सिलसिले में दो, तीन बातें मुझे और कहनी हैं। बेसिक एजूकेशन के स्तर को ऊंचा करने के लिये हमारे प्रदेश में पिछले वर्ष एक बेसिक एजूकेशन बोर्ड कायम किया गया था और उसके द्वारा कई कमेटियों की नियुक्ति की गयी है जोकि पाठ्यक्रम के बारे में, स्कूलों के बारे में, उनकी व्यवस्था के बारे में अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही हैं

[आचार्य जुगलकिशोर]

और आशा है जल्दी ही वे रिपोर्टें हमारे सामने आयेंगी। इसी तरह से केन्द्रीय सरकार ने भी एक बड़े पैमाने पर प्राइमरी एजूकेशन कमेटी बनायी है जिसके द्वारा प्राइमरी एजूकेशन की जो समस्यायें हैं उन पर विचार किया जायगा कि किस तरह से उसका स्तर ऊंचा किया जाय। वे इसके लिये प्रयत्न करेंगे और संभव है कि इसके लिये अगर अधिक धन की आवश्यकता हुई तो वह भी प्लानिंग कमीशन से मिलेगा।

हमारी प्राइमरी एजूकेशन और जूनियर हाई स्कूल की शिक्षा के संबंध में जो स्थिति है उसका थोड़ा बहुत परिचय मैंने दिया और मैं यह भी आशा करता हूं कि अगले दो वर्ष में जो कमियां प्राइमरी और जूनियर शिक्षा स्तर पर रह गयी हैं उनको हम जनता के सहयोग द्वारा शीघ्र ही पूरा कर सकेंगे।

इसके बाद का जो स्टेज है, सेकेन्डरी एजूकेशन का, उसमें भी हमारी तरफ से इस बात की कोशिश की जा रही है कि जितने भी स्कूलों को मान्यता प्राप्त हो गयी है उनको हम ग्रान्ट दें और अनुदान की सूची में उनको ले आयें। २४३ स्कूल बाकी रह गये हैं जिनको अनुदान नहीं मिल पाया है। मैं कोशिश करूंगा, यद्यपि अगले वर्ष के लिये केवल ७० स्कूलों को ही अनुदान देने का प्रबन्ध किया गया है, कि सब की समस्याओं का हल हो सके। और यह मैं जानता हूं और माननीय सदस्य भी जानते होंगे कि आज गांव में इस बात की बड़ी कोशिश है कि उनके बच्चों को हाई स्कूल के लिये सुविधायें दी जायें, ताकि उनमें शिक्षा का प्रसार और अधिक हो सके। उसमें भी आप देखें कि साइंस की एजूकेशन के लिये तो और भी ध्यान दिया गया है। आज सौभाग्य से हमारे देश में जनता की मनोवृत्ति साइंस की शिक्षा अपने बच्चों को दिलाने की ओर अधिक है। यह बहुत ही अच्छी बात है। हमारे देश में जो निर्माण-कार्य चल रहे हैं, उसमें टेक्नोलोजिस्ट्स की बहुत जरूरत है और इसमें साइंस की शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इस प्रकार से वह साइंस की शिक्षा प्राप्त करके न केवल देश का ही भला कर सकेंगे वरन् वह अपने लिये भी जीविकोपार्जन का साधन ढूंढ़ने में समर्थ हो सकेंगे। आज हमारे देश को साइंस की शिक्षा पाये हुये लोगों की बहुत आवश्यकता है। इस प्रकार से हमारी यह कोशिश है कि हम ऐसी संस्थाओं को साइंस की शिक्षा के लिये अधिक अनुदान देकर, जो लोग अपने बच्चों को साइंस की शिक्षा दिलाना चाहते हैं, उनको प्रोत्साहित कर सकें।

(इस समय १२ बजकर ३६ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुये।)

श्रीमन्, मैं सेकेंडरी एजूकेशन की २-१ बातों की ओर आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं। वह यह कि हमारे इंटरमीडियेट ऐक्ट के संशोधन के बारे में काफी चर्चा होती है और इस बात की मांग है कि वह संशोधित किया जाय ताकि जो संघर्ष अध्यापकों में और मैनेजमेंट में होता रहता है, वह कम हो सके। जो आदेश गवर्नमेंट की ओर से जाते हैं उनका मैनेजमेंट पालन कर सकें और जो झगड़े होते हैं, वह आसानी से सुलझ सकें जिससे कि जो कार्य करने में रुकावट हो रही है, वह न हो सके। इस दिशा में हमारी कोशिश यह है कि अगले सेशन में हम इंटरमीडियेट ऐक्ट में संशोधन के लिये कुछ प्रस्ताव यहां सदन में लायेंगे। मैं आशा करता हूं कि सभी सदस्यगण उन प्रस्तावों पर विचार करेंगे और जो उचित प्रस्ताव होंगे, उनको स्वीकार करेंगे

इसके साथ ही साथ एक बात और कह देना चाहता हूं। हमारे यहां बोर्ड आफ हाई स्कूल एन्ड इंटरमीडियेट एग्जामिनेशंस भी है। उसके बारे में हमारी कोशिश यह है कि वह अपना रिजल्ट शीघ्र निकाल सकें और उसमें देर न हो, इसके लिये भी प्रबन्ध किया जा रहा है। मुझे मालूम पड़ा है कि फारेन कंट्रीज में कुछ मशीनें ऐसी हैं, जिनसे कि कम्पाइलेशन में जो देरी होती है वह कम हो जाती है और रिजल्ट्स बहुत जल्दी ही निकल आते हैं। संभव है कि वह जून में निकलने के बजाय मई में निकल आये। इस प्रकार से ऐसी मशीन को भी

प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ इस बात पर भी विचार हो रहा है कि जो और दूसरी समस्यायें है इंटरमीडियेट स्टेजेज के स्कूलों की उनको भी दूर किया जा सके। इसके साथ ही हमारे सामने यह भी है कि इंटरमीडियेट पास करने के बाद लड़के कालेजेज की तरफ और यूनिवर्सिटियों की तरफ भी जाने की कोशिश करते हैं। हम यह देखते हैं कि आज कालेजेज में भी स्टूडेंट्स साइंस की शिक्षा लेने के लिये काफी संख्या में जा रहे हैं। आज यूनिवर्सिटीज में ३३,९४० विद्यार्थी हैं और डिग्री कालेजेज में उनकी संख्या ७५,६४२ है। हमारी यह कोशिश है कि यूनिवर्सिटीज में विद्यार्थी कम जायें और डिग्री कालेजेज में अधिक जायें ताकि यूनिवर्सिटी एजूकेशन का फायदा वही विद्यार्थी उठा सकें जो कि उनके योग्य हैं। जो वहां के अनुशासन का प्रश्न है, वह भी कम हो जाय। इस खयाल से हमारी कोशिश इस दिशा में यह है कि हम डिग्री कालेजेज को अधिक सहायता देकर, साइंस फैकल्टीज के लिये, विद्यार्थी को वहां अधिक संख्या में भेजने की कोशिश करें। हमारे यहां १६९ डिग्री कालेजेज हैं। उनमें से ९७ को ग्रांट-इन-एड में ले आये हैं। हम चाहते हैं उनकी जो समस्यायें हैं, उनका निवारण किया जाय ताकि वह अपना कार्य आसानी से कर सकें और जो कार्य उनका शिक्षा क्षेत्र में हो रहा है, उसके करने में किसी प्रकार की बाधायें न उपस्थित हों। हमने अपने यहां मिलिट्री ट्रेनिंग को भी अब बी० ए० के छात्रों के लिये कम्पलसरी कर दिया है ताकि वे अपने कालिज के समय में ही कुछ समय निकाल कर उसको सीख सकें। आज कल इस विशेष संकटकालीन परिस्थिति में तो यह आवश्यक है ही, किन्तु इससे उनका शारीरिक विकास भी होगा और उनके अन्दर एक डिसिप्लिन की भावना भी पैदा होगी जो उनके भविष्य के जीवन में बड़ी लाभदायक सिद्ध हो सकेगी।

हमारे यहां इंटरमीडियेट और हाईस्कूल में, तथा जूनियर और प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने के लिए ट्रेंड अध्यापकों की आवश्यकता होती है। इनकी हमारे यहां कुछ कमी है। हमारी इस ओर भी यह कोशिश रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में ट्रेंड अध्यापक पैदा कर सकें ताकि पढ़ाने का काम हमारे यहां ज्यादा अच्छी तरह से चल सके। इसके लिये कई ट्रेनिंग सेंटर्स हमारे यहां चल रहे हैं। बी० टी० की ट्रेनिंग के लिये भी कई इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं। कुछ तो इनको यूनीवर्सिटीज चला रही हैं, कुछ प्राइवेट भी चल रहे हैं। इनको सरकार मान्यता देती है और जहां आवश्यकता समझती है वहां सहायता भी देती है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अध्यापकों की कमी को दूर करने के लिये इन ट्रेनिंग कालिजों के द्वारा हम पूरा प्रयास कर रहे हैं।

आपको मालूम है कि हमारे यहां इस वक्त ९ यूनीवर्सिटीज हैं। इनमें समय-समय पर साइंस की तरक्की के लिये जो भी आवश्यकता होती है उसको पूरा करने की हम कोशिश करते हैं और उनकी शिकायतों को दूर करते हैं। हमारी बराबर कोशिश इसके लिये यह है कि साइंस की शिक्षा देने के लिये ज्यादा से ज्यादा सुविधायें उपलब्ध करा सकें। हमारे यहां साइंस के टीचर्स की भी कमी है। इस कमी को दूर करने के लिये हम यह इंतजाम कर रहे हैं कि हम इन विद्यार्थियों को कुछ स्पेशल ट्रेनिंग देकर इस योग्य बना सकें कि वे इंटरमीडियेट तक के क्लासेज ले सकें। इस तरह मैं आशा करता हूं कि काफी संख्या में अध्यापक हमारे बीच में होंगे जो हाई स्कूल और इंटरमीडियेट तक को पढ़ाने की जिम्मेदारी ले सकेंगे।

संस्कृत विश्वविद्यालय को चलते हुये करीब ५ वर्ष हो गये हैं। इसके अन्तर्गत कुछ पाठशालायें तथा अन्य संस्थाएं भी हैं। हमारा यह भी प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी यहां शिक्षा प्राप्त करने के लिये आयें। उनका स्तर ऊंचा करने के लिये भी हम कुछ कार्य करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी विद्यार्थी यहां पर शिक्षा पायें उनका दृष्टिकोण इतना व्यापक हो कि वह उससे पूरा फायदा उठा सकें। मुझे इस बात की खुशी है कि सरकार द्वारा उनको पूरी सहायता न मिलने के बावजूद भी यह संस्थायें अपना काम कर रहीहैं और जनता का सहयोग उनको बराबर प्राप्त होता रहा है। लेकिन इसकी शिक्षा के प्रति चूंकि जनता में श्रद्धा की कमी है

[आचार्य जुगलकिशोर]

इसलिये गवर्नमेंट इन पाठशालाओं को मदद करने के लिये इस बात की कोशिश कर रही है कि उनके टीचरों का स्केल बढ़ाया जाय, उसकी बिल्डिंग को पूरा करने के लिये धन दिया जाय तथा जो कुछ और सामग्री की आवश्यकता है उसको भी उन्हें उपलब्ध कराया जाय।

इस प्रकार से यह कोशिश शिक्षा के क्षेत्र में प्राइमरी से लेकर हाईएस्ट स्टेज तक हो रही है। हमें विश्वास है कि जिस तरीके से हम प्रगति करते चले आये हैं, जैसे जैसे हमें आवश्यकता होती जायगी अपने शिक्षित व्यक्तियों के द्वारा हम देश के निर्माण-कार्य को कर सकेंगे।

आज आपातकालीन स्थिति में देश की बड़ी-बड़ी समस्याओं की ओर हमारा ध्यान गया है और शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं निर्माण-कार्यों में भी कुछ कमी आयी है। हमारी पूरी कोशिश है कि देश के जवानों को जिस सामग्री की आवश्यकता है उनको पूरा करते हुए हम देश के निर्माण-कार्यों को भी पूरा कर सकें और शिक्षा को भी अधिक से अधिक धन दे सकें। जहां जहां शिक्षा संस्थाओं की समस्या आती है उनको हल करने की हम कोशिश करते हैं। इस क्षेत्र में जो भी दिक्कतें आयेंगी, आशा है हम सब मिल कर सद्भावना और सहयोग के द्वारा हल कर लेंगे। मैं इन शब्दों के साथ इस अनुदान को सदन की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत करता हूं।

*श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि अनुदान संख्या १७—शिक्षा के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, शिक्षा एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर हमारे राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का भविष्य आधारित है और जनतंत्र की सफलता बहुत कुछ इसी के ऊपर निर्भर करती है। जहां बहुत सा दोष इसलिए किसी समाज को दिया जाता है कि वहां जनतंत्र की सफलता नहीं हो पा रही है वहां यह भी कह देना चाहता हूं कि इसका बहुत बड़ा कारण अशिक्षा है या अच्छी शिक्षा न होना ही है। ऐसी स्थिति में विशेष रूप से जब कि हम प्रजातंत्र की जड़ों को मजबूत करने में लगे हों, शिक्षा के बजट में कटौती करना, कुल बजट का केवल १३ प्रतिशत ही शिक्षा के लिये रखा जाना वास्तव में जनतंत्र के लिये हितकारी नहीं है। यह ठीक है कि हमारे पास पैसे की कमी है और पैसे की कमी के कारण हम बहुत से काम, जिन्हें हम करना चाहते हैं नहीं कर पाते। शिक्षा का एक विशेष महत्व है, शिक्षा के ऊपर ही हमारी सब पंचवर्षीय योजनाओं का भविष्य आधारित है, ऐसे अनुदान के लिये कुछ और रकम बढ़ाने की अपेक्षा कम कर देना मुझे कुछ उचित जान नहीं पड़ता है। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। अंग्रेजी सरकार ने जो शिक्षा प्रणाली अपनायी थी और जिससे औपनिवेशिक मनोवृत्ति का परिचय मिलता है वही शिक्षा प्रणाली किसी न किसी रूप में आज भी हमारे यहां विद्यमान है और हम अपने स्कूल, कालेजों में सिवा इसके कि दफ्तरों में काम करने वाले बाबू उत्पन्न करें, कोई स्वतंत्र प्रकार के विचारक उत्पन्न करने में असमर्थ रहे हैं। ऐसी स्थिति में मेरा यह कहना कि सरकार वास्तव में हमारे जनजीवन को जागरूक करने के लिये, उनमें पॉलिटिकल कांशसनेस लाने के लिये एक राजनीतिक, सामाजिक चेतना लाने में इस शिक्षा के द्वारा असफल सिद्ध हुई है, कोई अनुचित न होगा।

इस संबंध में जो जनसंघ का दृष्टिकोण है उसका भी उल्लेख मैं यहां पर कर देना चाहता हूं। हम यह चाहते हैं कि जो यह शिक्षा प्रणाली है उसमें कुछ परिवर्तन लाया जाय। जो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारी प्राचीन गुरुकुल प्रणाली थी उसको अपनाते हुये नये नये व्यावसायिक और टेक्निकल विषयों की शिक्षा का समन्वय करके ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिये जिससे हमारे बालक और हमारे नवयुवक स्वावलम्बी बन सकें और अपने जीवन को सुधार सकें।

प्राइमरी शिक्षा के संबंध में माननीय मंत्री जी ने काफी रुपया देने का अनुदान सदन के सामने रखा है। वे १३ करोड़ से भी अधिक रुपया प्राइमरी एजूकेशन पर खर्च करने जा रहे हैं, परन्तु प्राइमरी एजूकेशन के ऐचीवमेंट्स क्या हैं, हमने पिछले सालों में जो काम किये हैं वे क्या हैं? इस संबंध में ऐन्युअल रिव्यू आफ डेवलपमेंट ऐक्टिविटीज, १९६१-६२ नाम की किताब जो हमें मिली है उसको मैं कोट करना चाहता हूं। इससे पहले कि मैं और कोई बात कहूं, एक बात की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जितना भी विकास संबंधी साहित्य हमें मिला है वह सब अंग्रेजी में है। हमारे यहां उत्तर प्रदेश में जब हिन्दी का एक विशेष स्थान है, हिन्दी हमारी भाषा है, तो ऐसे समय में अंग्रेजी की पुस्तिकाओं का वितरण कहां तक न्यायसंगत है? इसमें जो प्रोग्रेस दी गयी है वह काफी ज्यादा संख्या में प्राइमरी स्कूलों के खोलने की है। वे नम्बर क्यों बढ़े वह भी सरकारी आंकड़े में दिया गया है। इसमें लिखा हुआ है।

"The most significant event of the year in the sphere of Education was the opening of 6,000 Primary Schools in the rural areas of the State. The original target was 2,000 mixed and 1,000 Girls' schools, but due to shortfalls in other sectors, money was made available for opening of additional 2,500 mixed schools".

यानी दूसरी जगह जब रुपया बच गया तो उसको लेकर ये स्कूल खोल दिये गये। दूसरी तरफ के बचे बचाये रुपये का जब कहीं यूटिलाइजेशन नहीं हुआ तब उसके बाद कुछ स्कूलों के नम्बर बढ़ गये। तो यह कोई बहुत बड़ी सफलता का सूचक नहीं है, क्योंकि कोई टारगेट तो निश्चित था नहीं। यदि टार्गेट निश्चित रहता और उसे पूरा करते तो वह निश्चित रूप से सफलता की बात होती।

दूसरी बात, जो स्कूल खोले गये हैं, उनके आंकड़े अगर आप देखें तो उसमें बच्चों का जो परसेंटेज दिखलाया गया है उसके संबंध में आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं।

"As regards boys, the number enrolled was 3.93 lakhs against the target of 1.67 lakhs".

यानी हमारी सरकार आंकड़ों में विश्वास करती है। पिछले वर्ष भी मैंने इस बजट पर बोलते हुए कहा था यद्यपि सरकार अपने आंकड़ों पर विश्वास करती है, लेकिन ऐक्चुअली उन सब आंकड़ों को हम देखें तो एक एक स्कूल में जहां ९० बच्चों का औसत आता है वहां वास्तव में एक जिले के इन स्कूलों के बच्चों का औसत निकाला जाय तो वह करीब २५-३० बच्चे प्रति स्कूल का औसत निकलता है। यह जांच किसी भी जिले में करायी जा सकती है। जितने हमारे सप्ताह मनाये जाते हैं जिनमें कि बच्चों को भी स्कूलों में लाकर एक प्रकार का आन्दोलन सा किया जाता है उनकी भी कैफियत यही है कि जब मास्टरों पर ऊपर से डांट पड़ती है तो वे बच्चों के ज्यादा एनरोलमेंट कर लेते हैं। तो यह आंकड़े ज्यादा विश्वसनीय हों ऐसा मैं नहीं मानता।

तीसरी बात इसमें देखें"

"As regards organisation of Youth Clubs', the progress for the period under review was 101.4".

मेरे कहने का मतलब यह है कि यूथ क्लबों में बच्चों के आंकड़े डिप्टी इंस्पेक्टर्स आफ स्कूल्स चाह जैसे भेजा करते हैं। मैं भी बहुत से गांवों में गया हूं, लेकिन मैंने यूथ क्लब्स कहीं भी खुले नहीं पाये। मैं नहीं जानता कि यूथ क्लब्स के आंकड़े कहां तक सही हैं और अगर इनकी फिर से जांच हो तो सही स्थिति का पता चले।

[श्री हरीश कुमार गंगवार—[

एक बात इसमें और है "As regards utilisation of funds". जिसके लिये हम अक्सर कहा करते हैं कि बजट में रुपया लिया जाता है लेकिन वह खर्च नहीं हो पाता। इसका एक बड़ा उदाहरण इसमें दिया हुआ है:—

"As regards the utilisation of funds, the position remained unsatisfactory, the major shortfalls being under the Block Budget funds (37.7 per cent) and Education Department funds (46.1 per cent). In the case of construction of community buildings only about 14.8 per cent. of the block funds could be utilized".

तो सिर्फ १४.८ परसेंट हम कम्युनिटी बिल्डिंग्स के बनाने पर खर्च कर पाये हैं। यह एक बहुत सोचने समझने की बात है कि इतना बड़ा हिस्सा आखिर क्यों नहीं खर्च हो पाया जबकि उसको हो जाना चाहिये था। यह इस बात का सूचक है कि इस ओर कोई उचित प्रगति नहीं हो पायी है।

जहां तक प्राइमरी एजूकेशन की बात है, यह कहना मैं मुनासिब समझूंगा कि हमने प्राइमरी एजूकेशन को जिला परिषदों को दे रखा है। उसमें कितनी अव्यवस्था है वह सब जानते हैं। जहां स्कूल खुलने चाहिये वहां स्कूल खुलते नहीं। यह पुरानी बात हो गयी, लेकिन जो सबसे दुख वाली बात यह है कि यह अच्छी बात होते हुये भी कि स्कूल अधिक खुलें, यह बात ठीक नहीं है कि वहां टीचर्स को तनख्वाह न मिले। यह प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण है। आज कौन नहीं जानता कि बीसियों बार यहां प्रश्न किये गये हैं उन्नाव और दूसरी जगहों के बारे में कि ११-११ मास से टीचर्स को वेतन नहीं मिला है। जब प्रश्न होता है तो कह दिया जाता है कि यह लोकल मामला है वह उत्तरदायित्व पूर्ण संस्थायें हैं इसलिये उन्हीं से यह मामला संबंधित है। सरकार ६ हजार स्कूल खोलने के लिये जा रही है और १३ करोड़ रुपये के ऊपर बजट में प्राइमरी शिक्षा पर खर्च करने का प्रबन्ध कर रही है, तब वह कहां तक अपने उद्देश्य को पूर्ण करने में सफल होगी यदि प्राइमरी के टीचर्स को वेतन न मिले। इस बात के लिये मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं।

चौथी बात यह है कि हमारे संविधान के अनुसार १४ वर्ष तक के बच्चों की तालीम मुफ्त होनी चाहिये। हमारी सरकार इस लक्ष्य को पूर्ण करने में पूर्ण रूप से असफल रही है। इस ओर जल्द ध्यान दिया जाना चाहिये। १४ वर्ष तक के बच्चों की तालीम का फ्री इंतजाम करना इस सरकार का मुख्य कर्त्तव्य है, नैतिक कर्त्तव्य है और संविधान के मुताबिक कर्त्तव्य है। जनसंघ की तो यह विचारधारा है कि माध्यमिक शिक्षा तक हमको निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिये परन्तु जो सरकार का कांस्टीट्यूशनल मामला है जब सरकार उसके ऊपर भी ध्यान नहीं दे पा रही है तो हम तो अपनी बात न कहकर इस समय उसी की बात पर केंद्रित करेंगे।

इसके पश्चात्, जिला परिषदों के जो टीचर्स हैं उनके सामने एक और समस्या है। उन्हें काम करते हुये ७—८ साल हो गये, उनको स्थायी नहीं किया जाता और सही तरीके से फाइलें और रिकार्ड नहीं रखे जाते हैं और जिला परिषदों में वह.....

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और २ बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री हरीशकुमार गंगवार—

प्राइमरी एजूकेशन के संबंध में इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए श्रीमन्, मैं बता रहा था कि शिक्षा जैसे विषय पर, और उसमें भी प्राइमरी शिक्षा जो महत्व की है, उसपर कितना

दुर्लक्ष्य किया जा रहा है। यह इससे स्पष्ट है कि जो हमारे टारगेट्स और अचीवमेंट्स हैं वह केवल जहां संख्या का सवाल है उन्हीं स्थानों पर अधिक बढ़ा है। जैसे पृष्ठ २९ पर प्रोग्रेस शो की गई है। तो जो प्राइमरी स्कूल बिल्डिंग्स हैं उनमें २६.१ प्रतिशत और इम्प्रूवमेंट आफ प्राइमरी स्कूल बिल्डिंग्स ४५.६ प्रतिशत और इसी प्रकार अन्य हैं। लेकिन जहां पर नम्बर का सवाल है, जिन चीजों में, जैसे एनरोलमेंट आफ बोआयज और गर्ल्स, तो बौआयज का एनरोलमेंट २३५.३ प्रतिशत हो गया, लड़कियों का १७९.१ प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार आर्गेनाइजेशन आफ यूथ क्लब्स का १०१.४ प्रतिशत हो गया। तो मेरा मतलब यह है कि जहां केवल संख्या से ताल्लुक है, अधिकारियों को केवल संख्या मंगा लेनी पड़ती है। तो वहां तो संख्या २,३ गुनी हो जाती है। लेकिन जहां वास्तविक हमको एचीवमेंट करना चाहिये था उन जगहों पर नहीं बढ़ पाये हैं, उनमें कमी हुई है। इसी प्रकार से कांस्ट्रक्शन आफ प्राइमरी स्कूल बिल्डिंग्स में ३७.७ प्रतिशत, ब्लाक फंड्स में १४.८ प्रतिशत यूटीलाइजेशन हो पाया।

प्राइमरी स्कूल के संबंध में एक बात और है। हमारी सरकार ने जो निर्णय लिया कि तीसरे दरजे से प्राइमरी एजूकेशन में अंग्रेजी पढ़ायी जाय, तो उनके टीचर्स के संबंध में सरकार को विशेष दृष्टिकोण अपनाना चाहिये था। जब हमने एक निर्णय ले लिया, सही या गलत, मैं मैरिट्स में नहीं जाता, तो यह होना चाहिये था कि जब छोटे बच्चों के दिमाग में सही भाषा देनी है तो टीचर्स भी होशियार होने चाहिये। हमने क्या किया कि उन्हीं अध्यापकों को जो पहले से उन स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और हाई स्कूल पास हैं उन्हीं को अंग्रेजी पढ़ाने का काम दे दिया गया और १५ दिन की ट्रेनिंग दे दी। वह अंग्रेजी की ग्रामर तक नहीं जानते। नतीजा यह हो रहा है कि अंग्रेजी सही तरीके से पढ़ायी नहीं जा रही है। उनको पहले आश्वासन दिया गया कि जो अंग्रेजी पढ़ायेंगे उनको १० रुपये महीना अधिक दिया जायगा। वह भी नहीं दिया जा रहा है। इसलिये वह उसको नेगलेक्ट कर रहे हैं। इसलिये तीसरे दर्जे से जो अंग्रेजी शुरू की गई तो इन टीचर्स की ओर कुछ ध्यान दिया जाना चाहिये और वहां प्रेक्टिकल टीचिंग की सही व्यवस्था होनी चाहिये। मंत्री जी ने कहा कि हमें १६ हजार ट्रेंड टीचर्स की आवश्यकता है, इस वर्ष के अन्त में ८००० टीचर्स और ट्रेंड कर लेंगे। तो मेरा कहना है कि हमने बी०टी० एल०टी, बी०एड० ट्रेनिंग का कोर्स ९,१० महीने का रखा है। हमारे पास टीचर्स की कमी है और प्राइमरी एजूकेशन पर ही सब बातें निर्भर करती हैं तो हमको ट्रेनिंग का पीरियड १२ महीने रखना चाहिये। क्योंकि जहां तक मेरा अनुभव है, नार्मल जे० टी० सी० स्कूल्स में ६,७ महीने से ज्यादा काम नहीं होता और २,३ घंटे होते हैं। तो ऐसी सूरत में जब टीचर्स की कमी है अनर्गल रूप से २ साल का समय ट्रेनिंग में नष्ट कर रहे हैं। इसलिये १ साल की ट्रेनिंग नार्मल और जे०टी०सी० की कर देनी चाहिये एफीशियेंसी उसमें कम नहीं होगी, क्योंकि जो कोर्स दो साल का है वह वास्तव में एक ही साल का है और पहले भी इतना ही होता था। प्राइमरी टीचर्स की तनख्वाह की ओर ध्यान देना चाहिये और शिक्षकों को कुछ सुविधायें देनी चाहिये। एक बात और जो इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वह यह है कि जब इलेक्शन का समय आता है तो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स के ऊपर काफी कुठाराघात किया जाता है, जिसकी शिकायतें अमूमन आती रहती हैं कि उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने को बाध्य किया जाता है और किसी विशेष दल की सहायता करने को बाध्य किया जाता है। तो इस प्रकार की कड़ी हिदायतें होनी चाहिये कि यह काम न लिया जाय।

जूनियर हाई स्कूल के संबंध में माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि उनकी आवश्यकता नहीं है। सन् ६६ के बाद जरूरत पड़ेगी तो खोलना शुरू करेंगे। जूनियर हाई स्कूलों की आवश्यकता अब भी है। थोड़े बहुत खुलने चाहिये।

श्रीमन् हायर सेकेंड्री एजूकेशन में भी काफी सुधार की आवश्यकता है। अध्यापकों के जो ग्रेड्स रिवाइज किये हैं उनको उसी प्रकार के ग्रेड्स दिये जाने चाहिये जो गवर्नमेंट अपने स्कूलों में टीचर्स को देती है। उनको पढ़ाने में सुविधायें होना चाहिये। ज्यादातर समय वे फाइल वर्क में बिता देते हैं। डिपार्टमेंटल सर्कुलर आते हैं उनका जवाब देना पड़ता है।

[श्री हरीशकुमार गंगवार—]

इसलिये टीचर्स बच्चों को सही तरीके से तालीम नहीं दे पाते। उनसे यह काम हटा लेना चाहिये और केवल पढ़ाई का काम लेना चाहिये। अध्यापकों का इससे भला होगा और मैनेजमेंट के जो झगड़े हैं उनमें भी कुछ सुधार होंगे। मगर देखने में यह आया है कि जो ऐक्ट पास हुए उनसे मैनेजरों और प्रबन्धकों को मदद मिली और अध्यापकों का भला नहीं हो पाता। हमारे नियमों में यह है कि किसी टीचर को गलत तरीके से मुअत्तल किया गया, निकाला गया और आदेश विभाग की तरफ से दिया जाता है कि उसको बहाल कर दिया जाय और मैनेजमेंट उसको वापस नहीं लेता, अड़ा रहता है। इटावा के टीचर श्री दान बहादुर पाठक का केस है। उनको सस्पेंड कर दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर ने आदेश दिया। डायरेक्टर के आदेश गये, लेकिन उनको एप्वाइंटमेंट तो मिला, काम नहीं मिला और तनख्वाह आज तक नहीं मिली। सरकार को जब मूव किया जाता है तो कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इससे अध्यापकों का भला नहीं हो सकता है। सेक्योरिटी आफ सर्विसेज का प्राब्लम बना हुआ है। वह हल नहीं हुआ। फिर आपने एक नियम बना दिया है कि जो नियम के विरुद्ध काम करेगा, अध्यापकों की तनख्वाह नहीं देगा तो स्कूल को जो ग्रांट दी जाती है इंस्पेक्टर उसमें से कटवा कर तनख्वाह दिलवा देंगे। कोई भी उदाहरण दिया जाय जिसमें ऐसा किया गया हो।

नाजायज दबाव के कारण रिकगनीशन दे दिया जाता है। उसका असर दूसरी इंस्टीट्यूशंस के टीचर्स पर पड़ता है। आर्ट्स साइड में अगर रिकगनीशन हैं और ज्यादा रिकगनीशन दे दिये जाते हैं तो लड़के स्कूलों में नहीं रह जाते। बरेली में महावीर सरन हिस्ट्री के प्रोफेसर मनोहर भूषण इंटर कालेज के थे, उनको नोटिस दे दिया गया और वह दर-दर की ठोकर खा रहे हैं। आर्ट साइड को रिकगनीशन देते वक्त इस बात का खयाल रखना चाहिये।

हाई स्कूल बोर्ड के विषय में मुझे यह कहना है कि इनविजिलेशन के पैसे ३,४ साल के बाकी हैं वे दिये जायं। इनएफिशियेंसी की वजह से ऐसा है। बोर्ड के पास काम अधिक है जिससे ज्यामैट्री में एक पेपर में कुछ छपा और दूसरे में कुछ छपा। क्षेत्रीय परिषदें इस संबंध में स्थापित कर देनी चाहिये। मैं समझता हूं कि अध्यापकों की हालत को सुधारने का विशेष प्रयत्न करना चाहिये। मैनेजमेंट की हालत पहले ही सुधरी हुई है। ज्यादा ध्यान दिया जाय तो और अच्छी हो जायगी।

भाषा का जहां तक प्रश्न है वह किस प्रकार पढ़ाई जाती है? वह लोग पढ़ा रहे हैं जो एम० ए० अथवा डी० ए० संस्कृत में हैं, लेकिन प्रथमा और मध्यमा पास नहीं हैं और जिन्हें व्याकरण का कोई ज्ञान नहीं है। ऐसी सूरत में वह भाषा के साथ, संस्कृत के साथ न्याय नहीं कर पाते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हुआ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

केवल एक प्वाइंट कह कर समाप्त कर दूंगा।

श्री अधिष्ठाता—

मैंने आपको काफी समय दे दिया।

श्री जगदीशनारायण सिनहा (जिला सहारनपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैंने माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा प्रस्तुत मांगों के संबंध में दिये गये ब्यौरे को बड़े ध्यान से सुना। मैं उन्हें बधाई देता हूं कि आज जबकि हमारे तमाम एफर्ट्स इस बात पर लगे हैं कि हम डिफेन्स की तरफ अपना ध्यान दें तब भी पिछले वर्ष के मुकाबले में २ करोड़ की बढ़ोत्तरी शिक्षा के बजट में उन्होंने रखी और उस रुपये को ऐसे अच्छे कामों में लगाने की बात की है जैसे कि गरीब छात्रों को छात्र-वृत्ति देंगे और आज जो हमारे सामने आपत्ति

है उसके लिये यह जरूरी है कि हम विद्यालयों में और यूनिवर्सिटियों में साइन्स की तरफ ज्यादा ध्यान दें, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी रकम साइन्स के डेवलपमेंट के लिये करीब ३४ विद्यालयों को प्रदेश में दी है जिसमें बालिकाओं के भी विद्यालय शामिल हैं। उन्होंने यह भी किया कि जो गांवों में मिक्स्ड स्कूल खोले जा रहे हैं उनमें एक ऐसा तरीका निकाला जिससे कि लड़के, लड़कियां साथ पढ़ सकें और वहां पर एक माता की नियुक्ति कराई जो इस बात में सहायता दे सके कि जो ग्रामीण लोगों में एक विचार होता है कि लड़के, लड़कियां साथ न पढ़ें या जो उनकी सिक्योरिटी की बात होती है उसमें मदद दे सके। यह भी एक बड़ा सफल कदम है। इसके लिये भी मैं उन्हें बधाई देता हूं।

आज शिक्षा के संबंध में जो सब से बड़ी बात शिक्षकों की या जो उधर ध्यान देते हैं उनकी जबान पर रहती है वह यह कि आज हमारे यहां डिसिप्लिन की बहुत बड़ी समस्या है। एक शिक्षक के नाते मैं यह समझ पाया हूं कि इसका हल एक बड़ी मात्रा में इससे हो सकता है कि स्कूलों और कालेजों में खेलने के मैदान हों। आज खेल विद्यालयों से बिल्कुल लुप्त हो गये हैं क्योंकि उनके पास खेलने के लिये स्थान नहीं है। लड़कों लड़कियों के लिये पढ़ने के बाद खेलना बहुत जरूरी है। जब उसका प्रबन्ध नहीं होता तो फिर वे इधर-उधर अपनी एनर्जी को बरबाद करते हैं और यही कारण है कि डिसिप्लिन की एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है। मैं समझता हूं कि अगर प्ले-ग्राउन्ड का प्रबन्ध हर विद्यालय में हो, और विद्यार्थियों की एनर्जीज डाइवर्ट हों तो फिर डिसिप्लिन वाली दिक्कत हमारे सामने न आये।

दूसरे, अभी मंत्री महोदय ने बताया कि १ करोड़ २० लाख रुपया उन्होंने फौजी तालीम के लिये रखा है। यह जरूरी था क्योंकि देश को एक चैलेन्ज मिला है और उसके लिये पूरी तैयारी करनी है। लेकिन अगर खेल-कूद के लिये मैदान न हो तो एन० सी० सी०, राइफल सेन्टर, जूनियर्स के लिये एन० सी० सी०, यह सब होगा कहां? इसके लिये स्थान की जरूरत है। तो मेरा यह सुझाव है कि गांवों के विद्यालयों को कम से कम ३ हजार रुपये, जो द्वितीय श्रेणी या तृतीय श्रेणी के कस्बे या शहर हैं उनके विद्यालयों के लिये ५ हजार रुपये और कैंवाल टाउन्स में उससे कुछ अधिक रकम निश्चित रूप से प्लेग्राउंड के लिये दी जाय ताकि उनमें खेल-कूद और मिलिटरी ट्रेनिंग की सुविधा हो सके। अगर एकदम से सभी विद्यालयों में यह नहीं किया जा सकता तो थोड़े-थोड़े विद्यालयों को यह रकम दे कर प्ले-ग्राउन्ड बनाना बहुत जरूरी है।

पिछली दफा मंत्री महोदय ने यह घोषणा की थी कि २० रुपये अध्यापकों को डी० ए० मिलेगा। मैं समझता हूं कि इससे किसी विद्यालय के अध्यापकों को २ रुपये, किसी में ५ रुपये और किसी में ७ रुपये डी० ए० में वृद्धि हुई है, इससे अधिक अधिक नहीं। लेकिन इसका नतीजा यह हुआ कि लड़के और लड़कियों की डी० ए० फीस दूनी कर दी गयी है।

जो आठ आने देते थे उनको रुपया देना होता है, जो १२ आने देते थे उनको डेढ़ रुपया देना होता है, उसका परिणाम यह हुआ कि विद्यार्थियों में अध्यापकों के प्रति दुर्भावना हो गई यह हुई कि इन्होंने अपना वेतन बढ़ाने के लिये इस तरह का कदम उठाया है। बहुत थोड़ी रकम मिली और इस तरह की दुर्भावना हो गई, इससे निश्चय ही शिक्षा के क्षेत्र में वातावरण खराब हुआ है। मंत्रीजी इसको गम्भीरता से सोचें और अध्यापकों के प्रति उनका सिमपैथेटिक दृष्टिकोण बने तो बहुत ही लाभप्रद होगा।

डिसेंट्रेलाइजेशन की बात बहुत कही जाती है कि प्लानिंग के मातहत शिक्षा आ जाय और जिला परिषद् विधेयक में इस प्रकार का नियम भी है जिससे प्रमुखों को यह अधिकार दिया जा रहा है कि वह अध्यापकों का ट्रांसफर कर सकें और एस० डी० आई० उनके मातहत काम करे। मैं समझता हूं कि शिक्षा का विषय काफी गम्भीर है और इसी से देश का बनना और बिगड़ना होता है। इस तजुर्बे में यह आया है कि २।३ महीने में एक एक प्रमुख ने १५०।२०० तबादले अध्यापकों के कर दिये और अध्यापक का ध्यान इधर ही हो गया है कि वह मारा मारा

[श्री जगदीश नारायण सिनहा]

फिरे और कहीं एक जगह से दूसरी जगह न भेज दिया जाय। यह तजुर्बा गलत है। जो पुराना ढांचा है वह ठीक है और यह विषय अध्यक्ष, जिला परिषद्, और डी० आई० आफ स्कूल्स के मातहत रहना चाहिये ताकि यह तजुर्बा और खराबी न ला सके।

पंजाब में दसवीं क्लास तक फीस माफ करने की बात चल रही है और हमारे यहां केवल छठी क्लास तक माफ है। इसलिये पहले सातवीं तक माफ करने की बात सोची जाय और स्टेजेज में लेकर आठवीं क्लास तक पूरी फीस माफ हो ताकि सभी को पढ़ने में सुविधा हो सके।

*श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)--

मान्यवर, मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे समय दिया। मैं पहले अपने शिक्षा मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं अपने क्षेत्र की तरफ और मैं यह कहूंगा कि मेरी गवर्नमेंट की यही है माया और यही छाया है। पहले तो शेर यह है कि --

'यह शौक बला उनको था दो चार खदेड़े हल्के थे।

कुछ लोग शोहरत से ही तूफान का नजारा कहते हैं।"

जो हमसे पहले सदस्य रह चुके हैं और हमारे हिन्दुस्तान की जनता जो इस सरकार से बहुत खुश है, उससे आपने वायदा किया था कि आठवीं क्लास तक फ्री और कम्पलसरी एजूकेशन कर देंगे, लेकिन आज तक आपने उनको पूरा नहीं किया। इसलिये मैं अंग्रेजी की मिसाल पेश करना चाहता हूं--

"To forget is a crime, to be lazy is a great crime, to neglect and offer excuses is the greatest crime, action without delay is soul of efficiency".

दूसरा प्वाइंट मेरा यह है कि ऐजूकेशनल इंस्टीट्यूशन्स में ड्रेस होनी चाहिये। ऐसी नहीं होनी चाहिये कि हमारी तरह कोई कुछ पहन कर आ रहा है कोई कुछ। खाकी यूनीफार्म होनी चाहिये और हर वक्त उनको सचेत रहना चाहिये कि अगर कोई शक्स हमला करे तो उसको मुंह तोड़ जवाब दें। यूनिटी आफ क्लास,नो डिस्टिंक्शन बिटवीन रिच ऐंड पुअर। गरीब और अमीर में कोई डिस्टिंक्शन नहीं होना चाहिये। अगर हम यह कपड़े पहन कर आते हैं और समझते हैं कि मैं अमीर हूं तो मैं अमीर नहीं हूं। अमीर वह है जो दिल से अमीर होता है।

अब मैं तीसरे प्वाइन्ट पर आता हूं जिसकी बहुत आवश्यकता है। टू क्रिएट ऐन आयडिया आफ नैशनल यूनिटी। मैं तो यही दिलोजान से चाहता हूं कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान एक हो जायं। वही नहीं, बल्कि मैं यह चाहूंगा कि दुनियां में अन्तर्राष्ट्रीय सरकार होनी चाहिये। किसके खिलाफ जंग होनी चाहिये? वार अगेंस्ट पावर्टी, इल्लिटरेसी ऐंड डिजीज। यह तीन मेरे मुख्य ध्येय हैं। मैं नहीं जानता कि मैं कब कामयाब होऊंगा क्योंकि जिससे कहता हूं वह यही सोचता है कि यह 'एलिस इन वंडरलैंड का ड्रीम है'।

हाई स्कूल के बाद लड़कों को बहुत दिक्कतें होती हैं। वह अंग्रेजी से बिलकुल अनभिज्ञ हैं। मैं चाहूंगा कि वह दुनिया की हर जबान सीखें, ,अलिफ बे, क, ख, ए० बी० सी० ही समझ लें। किसी जबान से नफरत न रखें। इंसान वही है जो हर जबान को जानता हो। सब्जेक्ट समझना आसान है। लेकिन विदेशी जबान होने से दिक्कत खड़ी हो जाती है। लड़कों को वही शिक्षा देनी चाहिये जिसकी तरफ उसका रुझान हो। यह नहीं कि दिल लगता हो या न लगता हो, पढ़ना ही पड़ेगा। उसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिये। जो आज कल के एम० एल० ए० हैं वह नहीं जानते कि किसी अंग्रेजी लफ्ज के हिज्जे क्या हैं। जबरदस्ती तालीम ठूंसी जाती है। जबरदस्ती न की जाय। मैं विलायत की मिसाल पेश करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे देश में तालीम फ्री हो।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जमींदारी खत्म हो गयी है, और सीलिंग लगा दी। गांवों में ८० फीसदी गरीब हैं और अच्छे अच्छे अपने बच्चों को तालीम नहीं दे सकते। आखिर में मैं इतना कहना चाहता हूं।

Necessity is the plea for every infringement of human freedom. It is an argument of tyrant. Everything that enlarges sphere of human powers that shows man he can do what he thought he could not do is available.

इतना कह कर मैं शान्त हो जाता हूं।

श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी (जिला चमोली)——

माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रत्येक विषय के अनेक पहलू होते हैं और शिक्षा के संबंध में या शिक्षा शास्त्र के संबंध में कुछ विचार व्यक्त करना वैसे बहुत बड़े शिक्षा शास्त्रियों का काम है, यह एक बड़ा गहन विषय है जिस पर देश का वास्तविक निर्माण निर्भर करता है। प्रत्येक देश का निर्माण सरस्वती की उपासना के पवित्र विद्यालयों द्वारा होता है। जिस प्रकार एक स्वर्णकार विभिन्न आभूषणों को ढालता है उसी प्रकार सरस्वती मंदिर मनुष्यों को ढालते हैं। जब कि इन शिक्षा संस्थाओं द्वारा उत्तम मनुष्यों का निर्माण नहीं होगा, जिनको संसार और देश की आवश्यकता है, तब तक हमारा भौतिक निर्माण किया कराया, धरा धराया रह जायगा। आज चाहे यूरोपीय लोगों को अपनी शिक्षा पद्धति पर गर्व हो लेकिन मैं सोचता हूं कि आज की शिक्षा पद्धति में कुछ कमी के कारण भी यह युद्ध के बादल मंडराते रहते हैं। कुछ और कारण भी युद्ध के हैं। हर व्यक्ति में युद्ध की भावनाएं भड़कती रहती हैं। विज्ञान ने चाहे कितनी ही उन्नति कर ली हो लेकिन उनकी शिक्षा में एक बड़ी कमी है। हमारी देश की शिक्षा पद्धति में एक बहुत बड़ी कमी है। देश की आकांक्षाओं के अनुरूप शिक्षा पद्धति का निर्माण नहीं हुआ है। सरकार ने अनेक कमेटियां बनायीं। मैं नहीं जानता कि उनकी क्या रिपोर्ट है और सरकार किस नतीजे पर पहुंची? लेकिन मेरी निश्चित राय है कि हमारी शिक्षा पद्धति में बहुत बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है—जो हमारे भारतीय राष्ट्र, हमारी परम्पराओं और आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुकूल हो।

लार्ड मैकाले कूट नीति में बहुत दक्ष थे। उन्होंने ऐसी शिक्षा पद्धति चलायी जिसकी परम्परा आज भी चल रही है, उसने भारतीय मन और वाणी को इस तरह से जकड़ दिया है कि उसके जादू के असर से मुक्त होना कठिन हो गया है।

अब मैं थोड़ा सी अपने क्षेत्र के संबंध में कुछ कठिनाइयों और आवश्यकता की चर्चा करना चाहता हूं। मेरा जिला चमोली है जो सीमांत जिलों के अन्तर्गत है। यह सीमान्तक तीन जिले उत्तर काशी, पिठौरागढ़ और चमोली शिक्षा में बहुत पिछड़े हुए हैं। यों तो गढ़-वाल, टेहरी, जिला देहरादून यह भी शिक्षा की दिशा में बहुत पिछड़े हुए हैं। लेकिन चमोली उच्च शिक्षा में, टेक्निकल शिक्षा में और साइंस की शिक्षा में तो बहुत ही पिछड़ा हुआ है। मेरे खयाल से सीमान्त के निर्माण के लिये, उसकी उन्नति के लिये जो सबसे अच्छा कदम सरकार ने उठाया वह यह उठाया कि बार्डर डिवीजन का निर्माण उसने किया। यह उसका बहुत ही अच्छा कदम है। मैं नहीं जानता पहाड़ों में भी कुछ लोग सुखी और अमीर होंगे लेकिन मैंने यह देखा कि इस देश में कुछ वर्गों ने और शहरी कुछ वर्ग जो है उसने कोई भी समय आया हमेशा फायदा उठाया है। जब मैं पहाड़ या बार्डर की बात करता हूं तो उसका मतलब देहाती क्षेत्र से होता है। पहाड़ के देहाती क्षेत्र की जो हालत है वह आपके पूर्व और बुन्देलखंड से भी गयी गुजरी है। जहां तक चमोली जिले का प्रश्न है उच्च विज्ञान के सहित एक उच्च डिग्री कालेज की वहां आवश्यकता है। यद्यपि कांग्रेस गवर्नमेंट के जमाने में हमारे बार्डर के जिलों में और चमोली जिले में भी शिक्षा की दिशा में बहुत काफी प्रगति हुई है, प्राइमरी, जूनियर और हायर सेकेंड्री शिक्षा इन तीनों दिशाओं में प्रगति हुई है लेकिन औद्योगिक टेकनिकल और साइंस की शिक्षा में वह बहुत पिछड़ा हुआ है। इसलिये एक तो इंडस्ट्रिअल कोई इंस्टीट्यूट वहां होना चाहिये, टेकनिकल स्कूल खुलने चाहिये और साइन्स के सहित एक डिग्री का कालेज शीघ्रातिशीघ्र खोलने की कृपा की जानी चाहिये। मैंने पिछले साल भी यह निवेदन किया था।

[श्री योगेश्वर प्रसाद खंडूड़ी]

इसके अतिरिक्त हमारा चमोली जिला कन्याओं की शिक्षा की दिशा में जिससे मातृ-जगत का निर्माण होता है और जिसकी नितान्त आवश्यकता है, उसमें बहुत ही पिछड़ा हुआ भाग है। इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि सरकार कन्या शिक्षा की दिशा में प्राथमिक, जूनियर और माध्यमिक इन तीनों स्तर की शिक्षा के लिये गर्ल्स कालेज वहां पर देने की कृपा करे।

इसके अतिरिक्त उस जिले के हरिजनों की तरफ भी ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। हरिजन वैसे ही हर प्रकार से पिछड़ा हुआ है, लेकिन उस जिले का और बार्डर का हरिजन तो बहुत ही पिछड़ा हुआ है। उसकी दशा में सुधार लाने के लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हरिजनों की शिक्षा के लिये कुछ विशेष व्यवस्था की जानी चाहिये। अभी तक चमोली के रहने वाले जैसे भोटिया लोग हैं वैसे ही इन जिलों के हरिजन आज भी खानाबदोश हैं, गुफाओं में निवास करते हैं, कोई निश्चित घर उनके लिये नहीं होता है, झोंपड़ी भी नहीं होती है, ६ महीने नीचे के हिस्सों में जाकर रहते हैं और ६ महीने ऊपर की घाटियों में रहते हैं। नीति और माणा की घाटियों में इनके लिये शिक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है, वहां के हरिजनों की शिक्षा के लिये भी प्रबन्ध करने की आवश्यकता है।

मैं श्रीमन्, एक निवेदन और करना चाहता हूं कि आज सैनिक स्कूल का सवाल चल रहा है। वैसे हमारा इससे ज्यादा संबंध नहीं है लेकिन मैं यह समझता हूं कि प्रान्तीय सरकार की राय तो ऐसे मामलों में अवश्य ही ली जाती होगी। यहां पर मैंने सुना और हरएक सदस्य का कर्त्तव्य है अपने अपने क्षेत्र के लिये वह कहता है लेकिन मुझे दुख है कि पहाड़ के संबंध में बहुत ही कम बातें कही जाती हैं। मुझे दुःख होता है कि कभी कभी बड़े विचित्र ढंग के प्रश्न किये जाते हैं सीमान्त की स्थिति के बारे में। हमारा कर्त्तव्य है कि हम अपने देश की सारी परिस्थिति से अवगत हों। मुझसे यह प्रश्न किया गया कि क्या बद्रीनाथ उत्तर प्रदेश में है, क्या चाइना बद्रीनाथ के नजदीक आ गया है? यह हमारा ज्ञान है। मैंने काफी बड़ी अवस्था तक देखा है कि अंग्रेज बड़े आदमियों को कितना बड़ा शौक था घूमने का, वह नीति और माराना बार्डर तक घूमता था। लेकिन आज के अफसरों को अपने देश का ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रह गई है, इस तरह की हालत है। तो मेरे निवेदन का अभिप्राय यह है कि शिक्षा की दिशा में तो बहुत पिछड़े हुए हैं ही लेकिन अन्य बातों में भी हम बहुत पिछड़े हुए हैं। श्रीमन्, शिक्षा का स्वरूप क्या हो.....

श्री अधिष्ठाता—

आप समाप्त करें आधे मिनट में।

श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी—

वह शिक्षा ऐसी होनी चाहिये कि जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो। आज होता यह है कि जितने लड़के एम० एस० सी०, बी० ए० व एम० एस० सी० व बी० एस० सी० पास करते हैं वह भी सौ पचास की नौकरी के लिये घूमते हैं और हाईस्कूल पास भी १००—५० की नौकरी के लिये घूमते हैं। जब शिक्षा का ऐसा स्वरूप हो, वह कैसी शिक्षा है? कम से कम इस शिक्षा का यह दृष्टिकोण होना चाहिये कि पढ़े-लिखे लड़के अपने पैरों पर खड़े हो सकें और उनमें इतनी योग्यता हो कि वह अपने जीवन का निर्वाह कर सकें।

*श्री मेघनाथसिंह सिशोदिया (जिला मेरठ)—

अधिष्ठाता महोदय, शिक्षा के बजट पर जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है मैं उसका समर्थन करता हूं। अभी माननीय शिक्षा मंत्री ने इस बजट को पेश करते हुये इस बात का बहुत ज्यादा राग अलापा है कि इस बजट के अन्दर विज्ञान के लिये विशेषता रखी गई है। पहली बात जिस पर बहुत अधिक जोर दिया गया वह यह है कि हमने विज्ञान की पढ़ाई के ऊपर बहुत जोर दिया है। ग्रान्ट नम्बर ५ डेवलेपमेंट आफ साइन्स टीचिंग को अगर इस बजट में देखा जाय तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह बात सिद्ध है कि डेवलेपमेंट आफ साइन्स टीचिंग इन एडेड हायर सेकेन्डरी स्कूल्स कोड नम्बर ६१२०३ में एक पैसा भी नहीं बढ़ाया गया है। १९६२–६३ के मुकाबले में १९६३–६४ में किसी तरह से भी कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई है। इसी प्रकार से नान गवर्नमेंट सेकेन्डरी स्कूलों की लायब्रेरी के इम्प्रूवमेंट के लिये भी कोई पैसा नहीं बढ़ाया गया है। इस बजट के निरीक्षण करने पर यह पता चलता है कि १९६२–६३ में उसके लिये ६,१५,००० रुपया रखा गया था, लेकिन १९६३–६४ में उसको कम करके २,१८,७०० रुपया रखा गया है। इस ग्रान्ट के अन्दर दो तिहाई कटौती कर दी गई है। मैं नहीं समझता कि सरकार किस तरह से प्रान्त में लायब्रेरीज को प्रोत्साहन दे रही है।

इसी प्रकार से मंत्री जी कहते हैं कि स्कालरशिप पर बहुत जोर दिया गया है, लेकिन बजट को देखने से यह प्रतीत होता है कि सन् १९६२–६३ के बजट में स्कालरशिप के लिये, जो सरकार को सेकेन्डरी स्कूलों के लड़कों को देना था, १८ लाख रुपया रखा गया था और अब १९६३–६४ के लिये १४,११,००० रुपया रखा गया है। इसमें बहुत काफी कटौती सरकार द्वारा कर दी गई है। इसी प्रकार से आर्ट्स् कालेजों के लिये बिल्डिंग और इक्विपमेंट की ग्रान्ट के लिये १९६१–६२ में ६,३७,५२९ रुपया रखा गया था और १९६२–६३ में उसके लिये ४ लाख रुपया रखा गया था और अब १९६३–६४ में वह केवल १ लाख रुपया रह गया है। इस ग्रान्ट के अन्दर स्कालरशिप की ग्रान्ट के लिये बराबर रुपया कम किया गया है।

इस बजट के अन्दर जो विभिन्न यूनिवर्सिटीज को ग्रान्ट का वितरण किया गया है उसमें मुझे एक बात बहुत अखरती है। आगरा यूनिवर्सिटी जो बड़ी युनिवर्सिटी है उसको कम ग्रान्ट दी गई है और दूसरी यूनिवर्सिटी के मुकाबले में। इस तरह से सरकार पक्षपात करती है और कुछ यूनिवर्सिटी को ज्यादा ग्रान्ट देती है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को २२,६२,५०० रुपया दिया गया। लखनऊ यूनिवर्सिटी को २६,२३,००० रुपया दिया गय ।। गोरखपुर यूनिवर्सिटी को १२,६९,२०० रुपया दिया गया और आगरा को सब से कम २ लाख १४ हजार रुपया दिया गया है। इस तरह से आगरा यूनिवर्सिटी के साथ अन्याय किया जाता है। यह सरकार शिक्षा की संस्थाओं के साथ भी पक्षपात बरतती है। यह हमारी शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। जो ग्रान्ट हम लाइब्रेरी के लिए कम करते जाते हैं तो उससे शिक्षा के क्षेत्र में कितनी वृद्धि होगी?

एक बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि इलाहाबाद में रिकग्नीशन कमेटी की बैठक होती है। वह इस तरह की बैठक होती है कि जिसमें किसी को रिकग्नीशन नहीं मिलता है। मजबूरन उन संस्थाओं को आर्ट्स् में ही रिकग्नीशन लेना पड़ता है। उन लड़कों को भी आर्टस् कालेजों में दाखिला ही लेना पड़ता है जो कि साइन्स में पढ़ना चाहते हैं। किसी भी नये इंस्टीट्यूशन को बोर्ड पहली बार साइन्स में रिकग्नीशन नहीं देता है। एग्रीकलचर में भी किसी को रिकग्नीशन नहीं मिलता है। वह आर्टस् में पहले मान्यता प्रदान करता है। जो लड़का नाइन्थ में आर्टस् लेता है उसको आर्टस् में ही बी०ए० एम० ए० करना पड़ता है। वह अन्त त क उसी विषय का विद्यार्थी रहता चला जाता है। वह साइन्स नहीं पढ़ सकता है। इसलिये ब र्ड को सरकार की तरफ से यह आदेश होना चाहिये कि वह पहली बार मान्यता के लिये कोई प्रतिबन्ध न रखे। अगर कोई संस्था विज्ञान या एग्रीकल्चर के लिये मान्यता प्राप्त करना चाहता है तो उसको उसकी मान्यता मिलनी चाहिये। हर एक आदमी आज यह जानता है कि पहली बार उसको आर्ट में मान्यता लेनी पड़ेगी। अगर सरकार की तरफ से पहली बार ही साइन्स या एग्रीकलचर में मान्यता प्राप्त होने की सुविधा हो जाय तो इससे बहुत अधिक संख्या में लोग साइन्स साइड में जा सकेंगे और बी० एस०सी० और एम० एस-सी० पास कर सकेंगे।

मैं इस बजट के संबंध में कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। इस बजट के अन्दर दो एक बातें ऐसी रखी गई हैं कि जिनके विषय में मैं गवर्नमेंट को धन्यवाद देना चाहता हूं। मेडिकल फेसिलिटीज का प्रबन्ध किया गया है और यदि यह पूर्ण रूप से दी जा सकी, तो इनके लिये सरकार अवश्य ही धन्यवाद की पात्र होगी। लेकिन कुछ ऐसी मदें हैं कि जिनमें अवश्य ही कटौती हो सकती थी। डिप्टी डाइरेक्टर आफ एजूकेशन का पद एक शोभा का पद है और उसकी

[श्री मेघनाथसिंह शिरोदिया]

वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं है। उसे क्यों रखा गया है यह मैं समझ नहीं पाता। किसी बड़े जिले में एक इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स डेढ़-दो सौ स्कूलों का अकेले इंस्पेक्शन नहीं कर सकता। लेकिन इसके बाद भी ऐसे जिलों में स्टाफ में कमी की गयी है। मेरा सुझाव है कि बड़े जिलों में एडीशनल इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स रखे जाने चाहिये।

दूसरी चीज यह है कि बड़े और छोटे जिले में कोई भेद नहीं किया जाता है। हर जगह ४,५ क्लर्क दिये जाते हैं और स्टेशनरी भी बराबर-बराबर दी जाती है। आप मेरठ की समानता बांदा से कैसे कर सकते हैं? लेकिन उसका नतीजा यह होता है कि मेरठ में काम पूरा नहीं हो पाता, इसलिये कि वहां स्टाफ कम है। स्टेशनरी भी कम पड़ जाती है। वहां भी दो स्टेनो रहते हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि बड़े जिले में ४ या ६ स्टेनों रहना चाहिये और छोटे जिलों में दो। स्टाफ भी इसी प्रकार से ज्यादा या कम रहना चाहिये।

टीचर्स अपने एसोशियेशन के जरिये सरकार के सामने अपनी बात रख सकते हैं, उससे अपनी बात मनवा सकते हैं, लेकिन मजदूर और क्लर्क, जिसके हाथ में सरकार की सारी बागडोर है, उसकी गवर्नमेंट में कोई सुनने वाला नहीं है। एक डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर के आफिस का क्लर्क एक मामूली हाई स्कूल टीचर के ग्रेड में ही रहता है और डेढ़ सौ रुपया महीना पाता है। जिनके हाथ में बड़ी जिम्मेदारी है उनको इतनी कम तनख्वाह दी जाती है। उनकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। जरूरत इस बात की है कि हायर सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस के क्लर्क्स का ग्रेड इंटरमीडियेट कालेजेज टीचर्स का ग्रेड होना चाहिये और डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर आफ स्कूल के क्लर्क का ग्रेड लेक्चरर का ग्रेड होना चाहिये। यह गवर्नमेंट का बेजा पक्षपात है कि उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि इस ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता---

आपके दो मिनट और बाकी हैं।

श्री मेघनाथसिंह शिरोदिया---

मुझे दस मिनट और दे दीजिये।

श्री अधिष्ठाता---

मेरे लिये कठिनाई होती है इस समय जब आप प्रार्थना करें और मैं उसे स्वीकार न कर सकूं। बोलने वाले बहुत हैं और इसलिये ८ मिनट के करीब सब लोग बोलने का प्रयत्न करें।

श्री मेघनाथसिंह शिरोदिया---

फीस के मुताल्लिक मेरा सुझाव है कि आपने दर्जा ६ तक फीस माफी कर दी है। यह ठीक है, लेकिन सातवें दर्जे में एक दम से एक लड़के को ६ रुपया फीस देनी पड़ती है। इसलिये मेरा सुझाव है कि सातवें क्लास की फीस ३ रुपया और आठवें क्लास की फीस ४ रुपया कर देनी चाहिये।

इंटरमीडियेट बोर्ड के संबंध में मेरा सुझाव है कि इसका जो मौजूदा ढांचा है वह बेकार है। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। पहले भी उसमें ६ प्रिंसिपुल्स का प्रतिनिधित्व था, आज भी उतना ही है जबकि शिक्षा संस्थायें पहले के मुकाबले में २५ गुना अधिक हो गयी हैं। स्कूलों के मैनेजमेंट को उसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता। ऐसी ऐसी संस्थाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाता है कि जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है और यही कारण है है कि बोर्ड का काम इतना बढ़ गया है कि वह स्वयं अपना इंतजाम नहीं कर पाता। आपने सुना होगा कि अभी हाल ही में परचे बदले गये। मेरा सुझाव है कि केवल इंटरमीडियेट की परीक्षा ही बोर्ड द्वारा होनी चाहिये। परचे जो बदले गये उसमें कर्मचारियों का कोई दोष नहीं है। अभी अभी मैंने खैर जा कर देखा, लेकिन वहां पुलिस ने उसका पता लगाने के लिये खास प्रयत्न नहीं किया जो उसे करना चाहिये था। उस संबंध में आज जो शिक्षा

शिक्षा मंत्री जी ने गलत बयानी की है कि खैर में कुल आदमी पकड़े गये है यह ठीक नहीं है। वहां केवल एक पोस्ट मास्टर का लड़का पुलिस ने गिरफ्तार किया है और किसी को गिरफ्तार नहीं किया।

रिआर्गनाइजेशन स्कीम के बारे में मुझे कहना है कि यह बेकार है। इससे कोई फायदा नहीं होता। स्कीम आफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में यह कहना है कि इसको चेंज जैसा आप करना चाहते हैं वह ठीक है, लेकिन.....

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं इस अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। शिक्षा संबंधी अनुदान पर जब बोलने का अवसर मिला तो मैं अपने प्रदेश में शिक्षा संबंधी नीति में परिवर्तन करने पर विचार कुछ कहता रहा हूं।

परन्तु आज मैं यह समझता हूं कि देश के अन्दर जो आपात्कालीन स्थिति घोषित है उसमें हमको नीति सम्बन्धी मौलिक प्रश्नों को अधिक नहीं उठाना चाहिये। वह लम्बी चीजें, हैं। अगर हम किसी बात के लिये १०-२० वर्ष रुक सकते हैं तो उसके लिये हम २–४ वर्ष और भी रुक सकते हैं। इसलिये हमको बजट को आज की परिस्थिति में देखना होगा। दो विशेष परिस्थितियाँ आज हमारे प्रदेश के सामने हैं, जिनको हमें ध्यान में रखना होगा। उसी हिसाब से बजट की मांग को भी देखना होगा कि यह ठीक है या नहीं। एक तो यह परिस्थिति कि हमारा प्रदेश, सबसे तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत से प्रदेशों से शिक्षा में पिछड़ा हुआ है। हमारे बराबर, के जो प्रदेश हैं, उनसे पिछड़ा हुआ है। तमाम देश की शिक्षा का जो औसत है, उससे भी हमारा प्रदेश पिछड़ा हुआ रहा है। यदि हम आंकड़ों को देखें तो ज्ञात होगा कि दूसरी और तीसरी योजना में ६ से ११ साल की आयु के बच्चों के लिये १९६०–६१ में ४५.७ प्रतिशत के लिये शिक्षा सुविधाओं का प्राविधान था। १९६५–६६ में ६१.७ हो जायगा। यदि देश के तमाम बच्चों का हिसाब लगायें तो १९६०–६१ में ६१.१ था और १९६५–५५ में वह ७६.४ होगा। इस हिसाब से हम बहुत पिछड़े हुए थे। इसी तरह से आप ११ वर्ष की आयु से १४ वर्ष की आयु के बच्चों को देखें। हमारे प्रदेश में दूसरी योजना के अन्त में १८.६ से तीसरी योजना के अन्त तक वह संख्या २०.५ पहुंच जानी चाहिए। जब तमाम देश में २२.८ से २८.६ तक पहुंचने का प्राविधान है। १४ साल से १७ साल की आयु में, हायर सेकेंडरी एजूकेशन में आप देखें तो हमारे प्रदेश में १२.२ से १५.३ तक पहुंचना चाहिए। जबकि पूरे देशों को तीसरी योजना के अन्त में १५.६ प्रतिशत पहुंचना चाहिए। इस प्रकार से आप देखेंगे कि हमारा प्रदेश हायर सेकेंडरी एजूकेशन में दूसरे प्रदेशों से पिछड़ा हुआ नहीं था। हमारे प्रदेश का प्रतिशत दूसरी योजना के आरम्भ में तमाम देश के प्रतिशत से बढ़ा हुआ था। वह संख्या ११.५ और१२.२ है। दूसरी योजना में तमाम प्रदेश में १५.६ ०/० परन्तु हमारा १५.३ ही रह जायगा। यह सब परिस्थितियां उस समय शिक्षा की है, जबकि साधारण बजट था। जबकि आपत्तिकालीन स्थिति नहीं थी। आज की परिस्थितियों में भी यह प्रयत्न किया गया है कि शिक्षा के प्रयत्नों में कमी नहीं आये। इस योजना के तीसरे वर्ष के अन्दर हम प्रारम्भिक शिक्षा में ५४ प्रतिशत करने जा रहे हैं। अब मैं यह नहीं समझता कि हम यह प्रयत्न पूरा कर सकेंगे या नहीं।

श्रीमन्, दूसरी विशेष परिस्थिति यह है कि हमारा प्रदेश एक सीमा प्रान्त है। तमाम देश के लिये सीमा प्रदेश है। जिस देश ने हमारे देश के विरुद्ध कार्यवाही की है, वह हमारे सिर पर रहता है। हमें उसका भी मुकाबला करना है। शिक्षा विभाग में जहां तक सुरक्षा का संबंध है, दो प्रकार के कार्य हो सकते हैं। एक तो लांग टर्म और दूसरा शार्ट टर्म अर्थात् दीर्घकालीन और अल्पकालीन। लांग टर्म में हमारे यहां इस वर्ष एक सैनिक स्कूल रक्खा गया है।

[श्री जगदीशप्रसाद]

यह इस प्रदेश के लिये बड़ा लाभ-कर है। मैंने यह भी देखा कि हमारे यहां पर एन० सी० सी०, ए० सी० सी०, प्रान्तीय शिक्षा दल आदि चल रहे हैं। परन्तु उनकी रफ्तार आज के समय को देखते हुए संतोषजनक नहीं है। अभी जैसा कि मैंने कहा कि आपात्कालीन स्थिति में हम मौलिक प्रश्नों को पीछे डाल सकते हैं, साधारण शिक्षा भी पीछे पड़ सकती है, परन्तु यह नहीं पीछे पड़नी चाहिए। आप आंकड़ों को देखें तो ज्ञात होगा कि १९६०-६१ में एन० सी० सी० में हमारे प्रदेश में ११ हजार बच्चे थे। जब कि उस आयु के ८ लाख बच्चे थे। हायर सेकेंडरी में उनकी संख्या ८ लाख और एन० सी० सी० में ११ हजार थी। ए० सी० सी० में कुल ८० हजार और प्रान्तीय शिक्षा दल में ६२ हजार बच्चे थे। यह संख्या कुल १ लाख ५३ हजार है। हम इतने बच्चों से यह आशा करें कि वह आगे चल कर जवान होकर सैनिक शिक्षा के योग्य होंगे, इसके लिये यह संख्या बहुत कम है। यह बहुत पिछड़ी हुई चीज है और मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह कहूंगा कि वे इस प्रतिशत को और बढ़ाने का प्रयास करें।

स्काउटों के बारे में भी मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। १९६०-६१ में ८२ हजार बच्चे इसमें थे। ७ करोड़ कुछ लाख की संख्या में इनकी यह इतनी कम संख्या बहुत कम है इसको भी बढ़ाने के लिये माननीय शिक्षा मंत्री जी को प्रयत्न करना चाहिये। मैं भी स्काउटिंग में रहा हूं और भी बहुत से माननीय सदस्यों को उसमें रहने का अनुभव होगा, आज के समय में उसकी बहुत आवश्यकता है। मैं तो चाहता हूं कि इस प्रान्त का हर बच्चा शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त इस योग्य हो कि उसे सुरक्षा के काम में लगाया जा सके। हमारे प्रदेश में एक बहुत बड़ी समस्या अनुशासन की भी रही है। इस समस्या का हल करने में भी यह चीज बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। मेरा संबंध स्काउट और सेवा दल से बहुत रहा है, और जिन साथियों का इनसे संबंध रहा होगा उनको अनुशासन में रहने का बहुत अभ्यास हुआ होगा। वहां रह कर अनुशासन में रहने की एक आदत पड़ जाती है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इस ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाय।

श्रीमन्, इस वर्ष के आय-व्ययक में पिछले वर्ष की तुलना में शिक्षा के लिये १९७ लाख रुपये ज्यादा रखे गये हैं। मैंने जब इसका ब्रेक-अप किया और देखा तो मालूम हुआ कि इसमें १४० लाख की रकम तो ऐसी मिली जिसको मैं समझता हूं कि एकदम करना ही चाहिये था, ५ लाख ५९ हजार की ऐसी रकम है जो कभी सरकार ने सन् १९५९ में वायदा किया था अध्यापकों के ग्रेड आदि बढ़ाने का वह ग्रेड अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उसके संबंध में है, इस के लिये मैं उनको बधाई देता हूं। एक इसमें अनुदान बढ़ाया गया है, बेरोजगारी दूर करने की जो योजना थी, उसके अनुसार बहुत से प्राइमरी स्कूल खोले गये थे, उस संबंध में, उसके लिये मैंने उस वक्त के माननीय शिक्षा मंत्री जी को भी बधाई दी थी, अब भी देता हूं। उस योजना से केन्द्रीय सरकार ने अपना हाथ हटा लिया है, अब वह उसमें भाग नहीं लेती, वह सारा खर्चा सरकार ने अब अपने कन्धों पर ले लिया है, यह अच्छी बात है। उत्तराखंड का जो १० लाख ३१ हजार खर्चा था, जो वहां की शिक्षा योजना थी उस पर, वह भी इस विभाग में आ गया है, जिसका आना उचित ही था और जिसका समर्थन होना चाहिये था। समय कम है, दो तीन बातें और कहूंगा।

मैनेजर्स के बारे में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कुछ जिक्र किया। मैं मूल चीजों पर नहीं जाऊंगा, इतना अवश्य कहूंगा कि इस संबंध में जो ऐक्ट पास हुआ उसके पास होने के बाद, जैसा कि आपकी रिपोर्ट में भी लिखा है कि टीचर्स और मैनेजर्स के सम्बन्ध अच्छे करने के लिये परन्तु मैं कहता हूं और अनुभव से कहता हूं कि टीचर्स और मैनेजर्स के सम्बन्ध खराब हुये हैं। आपकी इस गला घोट नीति ने, इन्स्टीट्यूशन्स को मजबूर कर दिया कि वह आपकी बात को मानें। आपने अनुदान बन्द कर करके अपनी बात मनवाई है और वह मानने पर मजबूर थे। इस संबंध में मैं यही कहूंगा कि आपको उनका सहयोग लेना चाहिये।

एक बात यह कही गयी कि हम प्रारम्भिक शिक्षा के संबंध में स्थानीय समितियां बनाने जा रहे हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि अगर उन समितियों को शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के आदेश पर चलाना है, तो वे कृपा करके इनको न बनायें, और अगर सम्मान के साथ काम कराना है तो उनको बनायें।

श्रीमन्, एक बात यह कही गयी कि विश्वविद्यालयों में कम विद्यार्थी जायं। यह बात मैं भी कई बार कह चुका हूं। किन्तु देखना यह है कि विद्यार्थी वहां जाते क्यों हैं। विद्यार्थी वहां इसलिये जाते हैं कि इन्टर पास करने के बाद उनको कोई रास्ता और नहीं दीखता, उनके सामने कोई रोजगार नहीं होता, वे बेकार होते हैं, इसलिये वे समझते हैं कि चलो मां-बाप को राजी करके दो तीन साल और पढ़ लो एम० ए० कर लो और रिसर्च आदि ही अगर हो सके तो कर लो। इसलिये वे यूनिवर्सिटी में जाते हैं। इस हिसाब से आपको सोचना होगा। इस के दो ही इलाज हो सकते हैं। एक तो यह कि जिस सबजेक्ट में वे जाते हैं उसमें मार्क्स निर्धारित कर दिये जायं कि इतने मार्क्स उस सबजेक्ट में होंगे तो लिया जायगा अन्यथा नहीं लिया जायगा। दूसरा यह कि उतनी एजूकेशन के बाद ही उसको कोई न कोई रोजगार मिल जाना चाहिये। तभी यूनिवर्सिटीज की तरफ जो रश होता है उसको आप बन्द कर सकते हैं, केवल हमारे कहने से वह बन्द होने वाला नहीं है।

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अपने राज्य में जो शिक्षा की स्थिति है, यदि उसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया एक वाक्य में बतलाऊं तो मैं यही कहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में आज जो गुणात्मक स्थिति है उसका ह्रास हो रहा है तथा संख्यात्मक प्रगति संतोषजनक नहीं है। श्रीमन्, १५ वर्षों के बाद भी शिक्षा को जितना महत्व हमारे देश में और खासकर हमारे प्रदेश में मिलना चाहिये था, उतना सरकार नहीं दे रही है। यह बात जरूर है कि शिक्षा में सरकार का हर वर्ष कुछ न कुछ रुपया बढ़ता ही गया है, लेकिन देश और प्रदेश की आवश्यकताओं को देखते हुए, जिस अनुपात में बढ़ना चाहिये था, वह नहीं बढ़ा है।

हमारे प्रदेश के अन्दर, अभिभावकों और अध्यापकों के अन्दर, हर देशवासी के अन्दर इस बात की चिन्ता व्याप्त है कि शिक्षा का स्तर दिन पर दिन गिरता जा रहा है। इसके लिये हम इस बात को देखें कि हमारे प्रदेश में लाखों विद्यार्थी बोर्ड आफ हाई स्कूल और इंटरमीडियेट की परीक्षाओं में बैठते हैं और अगर उनके पिछले १० सालों के रिजल्ट्स को देखा जाय तो मालूम होगा कि वह ३९ से ४३ प्रतिशत हो रहा है। कितनी चिन्ता की बात है कि हजारों विद्यार्थी प्रति वर्ष लाखों रुपया खर्च करने के बाद इस प्रदेश में फेल होते हैं। अगर अन्य प्रदेशों के आंकड़ों को भी देखें तो जैसी स्थिति हमारे प्रदेश में है, वैसी कहीं नहीं है।

३–४ दिनों से मैं स्कूलों में प्रधानाध्यापकों से बातचीत कर रहा था। सबसे बड़ी बात एक राय से उन्होंने इसके बारे में बतायी कि हमारे विद्यार्थियों और अध्यापकों का अनुपात बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। एक एक अध्यापक ६०–६० और १००–१०० विद्यार्थी पढ़ाता है इसलिये जितना ध्यान उसको प्रत्येक विद्यार्थी पर देना चाहिये, नहीं दे पाता है। दूसरी बात यह है कि आज स्कूलों के अन्दर साइंस, एग्रीकल्चर और आर्टस् अथवा नर्सरी क्लासेज के लिये जिस साज सज्जा की आवश्यकता है, उसकी बहुत कमी है। तो अध्यापकों की कमी के कारण और साज सज्जा की कमी के कारण हमारी शिक्षा का स्तर दिन पर दिन गिरता जा रहा है।

श्रीमन्, शिक्षा के स्तर गिरने की दूसरी बात यह है कि हमारी प्राइमरी एजूकेशन बहुत ही ज्यादा नेगलेक्टेड है। इसमें स्कूलों की संख्या बढ़ी है, अध्यापकों की संख्या बढ़ी है, लेकिन इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि उन स्कूलों में जिस प्रकार के अध्यापक पढ़ाते हैं, जिस प्रकार का कोर्स प्रेस्क्राउब्ड है, उसका असर ऊपर जाकर पड़ता है क्योंकि उन प्राइमरी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

स्कूलों के बच्चे ही जूनियर हाई स्कूलों में , हाई स्कूल में और इन्टरमीडियेट में तथा यूनिवर्सिटी में जाते हैं। जब किसी चीज की बुनियाद कमजोर हो जाती है तो उसका असर जीवनपर्यन्त रहता है। प्राइमरी स्कूल से पहले प्री प्राइमरी एजूकेशन, नर्सरी एजूकेशन, किंडर गार्टन एजूकेशन पर जोर देना चाहिये था, लेकिन वह नहीं दिया गया है। उसको बिलकुल नेगलेक्ट किया गया है। माननीय शिक्षा मंत्री जी का मैं बहुत आदर करता हूं, किन्तु मेरी उनसे यह शिकायत है कि उन्होंने प्राइमरी एजूकेशन, नर्सरी एजूकेशन, के० जी० की ओर ध्यान नहीं दिया है। कितनी दयनीय स्थिति है इस प्रदेश के अन्दर उन संस्थाओं की जहां कि प्राइमरी यानी नर्सरी एजूकेशन के लिये महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है। मुझे बतलाया गया कि इलाहाबाद में केवल २५ महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है। और यहां १५ महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है। जहां इस प्रदेश की करीब साढ़े ७ करोड़ की आबादी में करोड़ों बच्चों को ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिये वहां केवल ४०–४५ महिलाओं को नर्सरी एजूकेशन के लिये ट्रेनिंग मिलती है। इससे बढ़ कर दयनीय स्थिति और कोई नहीं हो सकती कि उनके लिये स्थान नहीं है, और सरकार स्थान प्राप्त करने में उनकी मदद नहीं करती। नर्सरी स्कूलों के लिये कोई सुपरवाइजर नहीं है।

अभी स्टेट नर्सरी संस्थाओं की एक कांफ्रेंस हुई थी जिसमें एक जिम्मेदार व्यक्ति से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आचार्य जी को भी यहां के लिये इनविटेशन गया है और सरकार के सामने हम एक मांग पत्र, स्थान व साज सज्जा के लिये, इमोशनल ट्रेनिंग, साइकोलाजिकल ट्रेनिंग और फिजिकल ट्रेनिंग के लिये पेश करने वाले हैं। जो ग्रेजुएट महिलायें हैं उनकी इस प्रदेश के अन्दर कितनी दयनीय स्थिति है, लेकिन आज तक सरकार का ध्यान इस ओर बहुत कम गया है। दुनिया के तमाम देशों में बच्चों की शिक्षा पर विशेष महत्व दिया जाता है क्योंकि वह उनका एक फार्मेटिव स्टेज होता है जिसका असर उनके जीवन पर पड़ता है। मैं पूछता हूं कि इन स्कूलों के सम्बन्ध में सरकार ने पिछले १५ सालों में क्या किया है? मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि सरकार ने अपनी शिक्षा नीति पर एक बार ही नहीं, बल्कि अनेक बार विचार किया, कमीशन भी बनाया, कई कमेटियां बनीं, लेकिन सरकार की शिक्षा नीति उस दिशा में आगे बढ़ी नहीं है, जिससे हमें इधर उधर भटकना पड़ रहा है। आचार्य नरेन्द्रदेव कमेटी जो बनी थी उसकी कुछ सिफारिशों को लिया गया लेकिन एक स्टेज पर आकर उसे छोड़ दिया गया। माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी के जमाने में इंटरमीडियेट शिक्षा के ४ ग्रुप बने---साहित्यिक, साइंटिफिक, कामर्स और कांस्ट्रक्टिव। लेकिन इससे सरकार की जो असली मंशा थी उसको बिलकुल ही तिलांजिल दे दी गयी और उसका नतीजा यह हुआ कि अस्थिरता की एक भावना पैदा हो गयी। किसी को भी पता नहीं कि किधर जाना चाहिये। कभी तो केन्द्रीय सरकार अंग्रेजी शिक्षा के नाम पर हस्तक्षेप करती है और कभी यहां की सरकार कुछ करती है। हाई स्कूल तक बच्चे बगैर अंग्रेजी के पढ़ते हैं और इंटर में जाने पर उनके लिये अंग्रेजी लेना आवश्यक हो जाता है। कभी तो केन्द्रीय सरकार कहती है कि तीन वर्ष का डिग्री कोर्स होना चाहिये, लेकिन राज्य सरकार कहती है कि हम अपने यहां कोई नया परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं। ६ महीने के बाद ही जब केन्द्रीय सरकार का डंडा पड़ता है तो राज्य सरकार उसके सामने झुक जाती है। मैं कहता हूं कि क्या यह डेमोक्रेटिक सेट अप अपने मुल्क में लाने के लिये सोच समझ कर बढ़ाया हुआ कदम है? मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि नहीं है।

किसी भी राष्ट्र या राज्य के अन्दर शिक्षा के द्वारा ही सिद्धान्त को बढ़ावा मिलता है। चाहे वह धार्मिक राज्य हो या सेकुलर राज्य हो, सब जगह इस नीति पर चल कर ही सफलता मिलती है। अशोक ने भी बौद्ध धर्म के सिद्धान्त को निकाला और उसे अपने राज्य में चलाया। अकबर द्वारा भी शिक्षा के द्वारा ही अपने दीन इलाही के सिद्धान्त को चलाने की कोशिश की गयी। दुनिया के हर राज्य में यही चीज देखने को मिलती है।

पिछले साल मुझे कुछ कम्युनिस्ट देशों में जाने का मौका मिला और वहां मैंने पाया कि छोटे बच्चों से लेकर यूनिवर्सिटीज स्टेज तक के विद्यार्थियों को समाजवादी सिद्धान्त की शिक्षा छोटी बड़ी कहानियों के द्वारा दी जाती है जिससे वे उस विषय के अच्छे ज्ञाता हो जाते हैं। मैं यह नहीं कहता कि आप भी उस सिद्धान्त में विश्वास करें, लेकिन ४ साल पहले ही यहां की टेक्स्ट बुक में कुछ ऐसी कहानियां लिखी गयी थीं, जो सेकुलर सिद्धान्त के विरुद्ध समझी गयीं और मुझे खुशी है कि उस तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करने पर उन चीजों को उनमें से निकाल दिया गया, लेकिन जो सरकार का लक्ष्य होना चाहिये उस लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिये कोई प्रयास नहीं है। श्रीमन्, आज हालत हमारे प्रदेश के अन्दर क्या है? यदि १९६१ की जनगणना को देखें तो हमारा प्रदेश हिन्दुस्तान में जैसे अन्य क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ है वैसे ही शिक्षा के क्षेत्र में भी पिछड़ा हुआ है। पूरे प्रदेश के अन्दर जबकि २३ फीसदी लोग शिक्षित हैं हमारे प्रदेश के अन्दर केवल १७.५ प्रतिशत। लड़कियों की शिक्षा की स्थिति और दयनीय है। केवल ७.३ लड़कियां साक्षर कही जा सकती है, शिक्षित हम उनको नहीं कह सकते। इस देश के १४ राज्यों में शिक्षा के क्षेत्र में हमारा १२ वां नम्बर है। क्या यह गौरव की बात है कि सबसे बड़ा प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक पिछड़ा हुआ है जबकि सबसे अधिक साधन सम्पन्न है? यही स्थिति जो पर कैपिटा हम खर्च करते हैं उसमें भी है। उसमें हमारा ९वां नम्बर है। अपना प्रदेश ४.३ रुपये प्रति व्यक्ति शिक्षा पर खर्च करता है जब कि अन्य प्रदेशों में ९.४ रुपये प्रति व्यक्ति तक खर्च किया जा रहा है। इस प्रकार से हम इस बात को मानते हैं कि हम २७ करोड़ से अधिक रुपया इस वर्ष शिक्षा पर खर्च करने जा रहे है, लेकिन आन्ध्र प्रदेश में २२ करोड़, पंजाब के अन्दर १४ करोड़ और वेस्ट बंगाल में साढ़े २१ करोड़ खर्च हो रहा है। हमारी आबादी दूसरे प्रदेशों के मुकाबिले में दुगुनी या ढाई गुना से भी ज्यादा है, लेकिन शिक्षा के ऊपर हम खर्च कर रहे हैं निश्चित रूप से उनका ५० या ६० फीसदी, तो यह दयनीय स्थिति तो है ही। आज दुनिया के अन्दर अन्य प्रदेशों में शिक्षा को जो महत्ता दी गयी है मैं चाहता हूं कि इसकी थोड़ी सी झलक हमको भी मिलनी चाहिये। रूस के अन्दर ५८.७५ डालर प्रति व्यक्ति, चेकोस्लोवाकिया में ७२.४ डालर प्रति व्यक्ति, पोलैंड में ७९.५७ डालर, यू० के० में २३.२५ डालर प्रति व्यक्ति खर्च होता है, लेकिन अपने प्रदेश में हम १.०५ डालर प्रति व्यक्ति खर्च कर रहे हैं। कितनी दयनीय स्थिति है हमारे देश के अन्दर जबकि हम पिछड़े हुये हैं।

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि शिक्षा का सम्बन्ध हमारी जिन्दगी से होना चाहिये "Education should be closely linked with life in production, agriculture and industry."

इस डेवलपिंग एकानामी के जमाने में शिक्षा का जिन्दगी से गहरा सम्बन्ध होना चाहिये, जिससे हम ऐसे व्यक्ति उत्पन्न कर सकें जिससे देश के अन्दर बहुमुखी प्रतिभा का विकास हो सके। लेकिन आज १५ साल के अन्दर हम क्या नक्शा अपने प्रदेश और देश का देख रहे हैं? लखनऊ यूनिवर्सिटी में आज एकजामिनेशंस होते हैं तो लड़के लड़कियों से सीढ़ी पर छेड़-खानी करते हैं और लड़कियों के अन्दर एक भय का वातावरण उत्पन्न हो जाता है कि वे क्या करें। वे सुरक्षित नहीं हैं। और जब कोई अध्यापक उनको रोकता है तो लड़के उसके घर में जाकर छुरा मारते हैं। आज यह कितनी भयावह स्थिति है, इस पर हमें सोचना चाहिये। अगर इस पर हमने बुद्धिमानी से विचार न किया तो भटकते भटकते हम ऐसी जगह पहुंच जायेंगे जहां अपने किये हुये पर हमें पश्चाताप करना पड़ेगा। मैं इसीलिये कहता हूं कि चाहे हमें और दूसरे अनुदानों में कितनी ही कटौती करनी पड़े, लेकिन बजट में कुछ ऐसी चीजें है जिन पर हमें अधिक ध्यान देना ही पड़ेगा जैसे शिक्षा के प्रोडक्शन को बढ़ाने की तरफ ध्यान देना। अगर हमारी शिक्षा की तरफ अधिक ध्यान नहीं दिया गया तो आज जो शक्तियां देश के अन्दर पैदा हो रही हैं और राष्ट्रीय एकता जिस तरह से छिन्न-भिन्न होती हुई नजर आ रही है उसके रहते हुये हमारा जो लक्ष्य है वह एक एक करके बिखर जायगा। यदि हमने अपने नवजवानों को ऐसी शिक्षा नहीं दी तो बहुत बुरी हालत इस देश की हो

[श्री चन्द्रजीत यादव]
जायेगी। हमें अपने बच्चों को और नवजवानों को ऐसी शिक्षा देनी है जिन पर हमारे देश और प्रदेश का भविष्य निर्भर है जिससे देश का बहुमुखी विकास हो। इस लिये सरकार को इस बात पर गम्भीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिये। आज हालत यह है कि एक्जामिनेशन किसी विषय पर होता है और एक्जामिनर किसी विषय का आता है। जैसे म्यूजिक के इम्तिहान में वोकल म्यूजिक का तो इम्तिहान हो रहा है लेकिन इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक का एक्जामिनर एक्जामिन करता है।

श्री अधिष्ठाता---
आपका समय समाप्त।

कुमारी श्रद्धादेवी (जिला मेरठ)--
अधिष्ठाता महोदय, मैं शिक्षा मंत्रीजी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करती हूं। अभी चन्द्रजीत यादव जी ने पोलैंड, रूस और अन्य प्रदेशों की शिक्षा का जिक्र किया कि वहां पर कितने कितने प्रतिशत खर्च होता है। जरा वह भी बता देते कि वहां पर उन देशों में प्रति व्यक्ति कितना टैक्स लिया जाता है और जरा यह भी बता देते कि उन देशों में यह शिक्षा की प्रगति ४४-६३ और सौ वर्षों में हुई है तो वे हम पर बड़ी कृपा करते। मेरा जरा दुर्भाग्य है कि मैं आज क्योंकि कहा गया था कि आंकड़े ज्यादा न बोलूं तो मैं आंकड़े नहीं लाई और जबानी मैं करेक्ट नहीं दे सकती इसलिये इसके लिये तो मैं उनसे कहूंगी कि पूरी तस्वीर देखने पर वह हार मान जायेंगे। हमारे प्रदेश में टैक्स बहुत कम हैं और जन संख्या ज्यादा है अन्य सूबों के मुकबले में और प्रति व्यक्ति टैक्स का हिसाब बहुत कम आता है और इसी कारण से उसी अनुपात में हमारे यहां हर विभाग में कम व्यय होता है लेकिन फिर भी जो उन्होंने हमारी प्रगति की तारीफ की उसकी मैं प्रशंसा करती हूं माननीय चन्द्रजीत जी यादव जी की। शिक्षा के विषय में सन ४६ से प्रदेश में कितनी प्रगति हुई उसके विषय में मैं दो तीन आंकड़े दूंगी। हमारे यहां छात्रों की संख्या ४५-४६ में केवल १६,२६,००० थी और अब वह बढ़ कर ७० लाख के करीब है, इसी तरह से टीचर्स की संख्या उस वक्त में ६०,००० थी और अब ४ लाख के करीब है। सन ४५ में शिक्षा का बजट केवल २ करोड़ के करीब था और अब वह २७ करोड़ से भी अधिक का हो गया है। हमारे यहां ६३-६४ तक लड़के ७५ प्रतिशत और कन्यायें ३१, प्रतिशत शिक्षित हो जायंगी। जैसा कि शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि अभी हम अधिक प्रगति नहीं कर सकते इसके बहुत से कारण हैं, उन्होंने कहा कि हाईस्कूल में विज्ञान की शिक्षा बढ़ाई जाय इसके लिये वह बधाई के पात्र हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग ने स्कूलों को अनेक प्रकार की ग्रान्ट्स देकर बहुत अच्छा कार्य किया है, प्रदेश के पर्वतीय भाग में शिक्षा की प्रगति के लिये बहुत कुछ किया जा रहा है, ग्रामों में महिला टीचर्स के लिये १०-१५ रुपए की जो आवास की सुविधा दी गई है उसके लिये भी मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। हरिजन शिक्षा के विषय में भी मेरा ख्याल है कि काफी बजट का बड़ा भाग व्यय होता है। २ करोड़ ५१ लाख रुपया हमारी थर्ड फाइव ईयर प्लान में हरिजनों पर खर्च किया जायगा....

श्री अधिष्ठाता---
जरा सदन में बातें कम हों।

कुमारी श्रद्धादेवी---
इसी तरह से हमारे शिक्षा विभाग ने एन० सी० सी० के द्वारा ८८ हजार नवयुवकों को सैनिक शिक्षा दी है, ए० सी० सी० द्वारा १२ हजार को और प्रान्तीय शिक्षा दल के द्वारा १५ हजार को सैनिक शिक्षा देकर देश की एक बड़ी मांग को पूरा किया है। जैसा कि माननीय चन्द्रजीत जी ने और दूसरे साथियों ने कहा यह ठीक है कि हमारी शिक्षा की प्रगति उस दिशा में जरा धीरे धीरे हो रही है जिसमें कि हमें बहुत तेजी के साथ बढ़ना चाहिये था। आज हम एक ऐसे दौड़ में गुजर रहे हैं कि अगर हम इस दौड़ में पीछे रह गये तो हम बहुत पिछड़ जायेंगे। हमारे लक्ष्य समाज के निर्माण में ऐसे होने चाहिये कि जिसमें अभाव, असमानता,

बेकारी और बीमारी अतीत की वस्तु हो जायं। हम चाहते हैं कि मौलिक शिक्षा हमारे यहां लोगों को मिले और जो आज की पद्धति है उसमें परिवर्तन आये। गांधी जी एक ऋषि थे, भविष्य दृष्टा थे तथा महापुरुष तो थे ही। उनके सामने एक वैज्ञानिक युग की कल्पना थी, उन के सामने हाइड्रोजन और एटम का युग था। वे सोचते थे सद्यो-जात ये भारत-शिशु, हाल ही में आजाद हुआ, यह भारत बच्चा अन्य वैज्ञानिक सदियों से समुन्नत देशों के साथ दौड़ने की शक्ति पैदा करेगा अतः उ होंने ऐसा रास्ता निकाला जिससे कि भारत एक शिशु की तरह उस दौड़ में संसार के साथ साथ चले सके। इसीलिये उन्होंने बेसिक शिक्षा की योजना सामने रखी और बुनियादी शिक्षा की तरफ उनका ध्यान गया। बुनियादी शिक्षा का अर्थ जो आज कल तकली और खिलौने बनाने से लिया जाता है, मैं समझती हूं गांधी जी की भावना का हनन है। बुनियादी शिक्षा के माने उत्पादक नवयुवक पैदा करना था। मेरा खयाल है जितने हमारे स्कूल हैं उनकी प्रयोगशालायें खेत हों, सभी कल कारखाने हों। बुनियादी शिक्षा की परीक्षा होनी चाहिये, जो नवयुवक २५ साल का हो कर स्कूल, कालेज से निकले तो वह उत्पादक हो, श्रमिक हो, स्वावलम्बी हो, स्वाभिमानी हो और आत्मविश्वासी हो। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि जो गांधी जी चाहते थे उसके लिये प्रत्येक जिले में मार्डन टेक्निकल स्कूल होने चाहिये।

जो हमारे शिक्षा विभाग के सचिवालय का संचालन है उसका संचालन शिक्षित वर्ग द्वारा ही होना चाहिये न कि आई० सी० एस० और आई० ए० एस० आदमियों द्वारा, यह गुरु वर्ग के लिए अपमान की चीज है। मैं शिक्षा के बजट के अवसर पर स्व० मा० मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को श्रद्धांजलि अपनी तथा गुरुजन वृन्द की ओर से अर्पित करती हूं क्योंकि उन्होंने एक क्रान्तिकारी कदम उठाया था। केन्द्रीय शिक्षा विभाग के सचिव प्रोफेसर हुमायूं कबीर को बनाया, तथा डाक्टर प्रेमकृपाल रहे, डाक्टर ताराचन्द रहे और श्री सैउद्दीन साहब को भी रखा। मैं चाहूंगी मंत्री जी इस दिशा में सोचें। मैं अपने शिक्षा विभाग के डायरेक्टर महोदय के बारे में कह सकती हूं कि इस विभाग के अन्दर कर्मचारियों के कैरेक्टर रोल ६,६ साल से नहीं लिखे गये हैं। हमारे डायरेक्टर महोदय कभी शिक्षा संस्थाओं में नहीं जाते। अपने इन्सपेक्टरों को नहीं जानते हैं गुरुजन मिलने आते हैं तो मिलते नहीं हैं। प्राइमरी टीचर्स के बारे में मेरा सुझाव है कि प्राइमरी स्कूल्स के जो टीचर्स हैं उनके लिये जो प्रौवीडेंट फंड कटता है वह इंम्योरेंस में जाय। मतलब यह कि प्रौवीडेंट फंड कम इंश्योरेंस कम पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिये। आशा है मंत्री जी पेंशन की व्यवस्था प्राइमरी टीचर्स के लिये करेंगे। कृपया कहां से आये मैं बता सकती हूं। कई ऐसी मद हैं जिनके बारे में हम इन्तजार कर सकते हैं कैसे काटा जाय, कहां से काटा जाय यह मैं मिलकर बता दूंगी।

माननीय चन्द्रजीत यादव जी ने कहा परीक्षाफल हमारे यहां बड़ा खराब रहता है। ४० फीसदी बच्चे पास होते, ६० फीसदी फेल होने वाले हैं। जीवन व धन बरबाद होता है। जैसा माननीय कैरो साहब मुख्यमंत्री पंजाब ने किया है जिनका रिजल्ट ९५ फीसदी हो उनको डबल इन्क्रीमेंट दिया जायगा, ६० प्रतिशत पर १ इन्क्रीमेंट, ५० फीसदी तक कोई इन्क्रीमेंट नहीं और ४० फीसदी हो तो मान्यता बन्द कर दी जाय, क्या फायदा बच्चों के जीवन से खिलवाड़ करने से। हमारे यहां २००० हायर सेकेण्डरी स्कूल हैं। माननीय शिक्षामंत्री जी ने प्राइमरी शिक्षा के सुधारक की देखरेख के लिये गांव वालों की गांव कमेटियां तथा जिला स्तर पर जिला कमेटियां बना कर क्रान्तिकारी कदम उठाया। मेरा सुझाव है डिस्ट्रिक्ट लेविल पर एक डिस्ट्रिक एजूकेशन काउन्सिल हायर सेकन्डरी शिक्षा के लिये बना दी जाय। इसके लिए शिक्षा मंत्री एक ऐक्ट लायें ताकि हमारी जो हायर सेकेन्डरी एजूकेशन हो उसकी सुव्यवस्था हो और जो इतनी बड़ी परीक्षा की मशीनरी है जो कंट्रोल नहीं हो पाती उसकी भी सुव्यवस्था हो जाय, जैसे प्राइमरी शिक्षा को अंग्रेजों ने म्युनिस्पल बोर्ड और जिला परिषद् के अन्तर्गत देकर प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था की है। उसी भांति 'डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन कौंसिल्स' बनाकर हायर सेकेन्डरी शिक्षा की सुव्यवस्था की जाय।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। श्री मनु, शिक्षा, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रगति की जननी है। जिस देश की शिक्षा

[श्री रघुवीरसहाय कैथवार]

सभ्यता और शिष्टाचार उन्नतिशील होती है वह देश संसार के सभी देशों में श्रेष्ठ माना जाता है। हमारे देश का इतिहास बतलाता है कि हमारे देश की शिक्षा संसार में सर्वोच्च थी और अनेक देशों ने उसका अनुसरण करके अनेक प्रकार की प्रगति की। लेकिन आज हम शिक्षा के मामले में जो पिछड़ते जा रहे हैं उसके अनेक कारण हैं। श्रीमन्, जब इस देश में विदेशी शासन था, उस समय भी शिक्षा का एक लक्ष्य था। अतः उस समय भी शिक्षा का एक मापदण्ड व प्रगति थी जितनी कि विदेशी शासन के होते हुए आशा नहीं की जा सकती थी, लेकिन आज जब शिक्षा का लक्ष्य नहीं है और कोई निर्धारित नीति नहीं है तब फिर शिक्षा की प्रगति होना संभव कैसे हो सकता है ?

सरकार की शिक्षा नीति अनिश्चित है इसके बारे में चन्द तथ्य मैं पेश करना चाहता हूं और वे ये हैं कि सरकार ने शिक्षा विभाग में एक जाइन्ट डायरेक्टर का पद मुकर्रर किया और फिर उसको तोड़ दिया। तोड़ने के कुछ समय बाद एडीशनल डायरेक्टर का पद बनाया और उसको भी तोड़ा और तोड़ने के बाद एडीशनल डायरेक्टर का पद कायम किया है। इन मौजूदा एडीशनल डायरेक्टर को डिप्टी डायरेक्टर सर्विसेज प्रथम का बंगला दिलाने के लिये इन डिप्टी डायरेक्टर का पद खत्म करके उन्हें इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स, बनाकर गोरखपुर भेज दिया। जब वह बंगला एडीशनल डायरेक्टर को मिल गया तो फिर वह डिप्टी डायरेक्टर का पद कायम कर दिया गया है। इसी तरह से एडीशनल डिप्टी इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स के पद कायम किये गये और उनको थोड़े दिन बाद तोड़ दिया गया और सब डिप्टी इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स के पद कायम किये गये और फिर उन्हें खत्म कर दिया गया। इस तरह से जनता के लाखों रुपये इन पदों को कायम करने और तोड़ने में खर्च करने के साथ ही अधिकारियों व कर्मचारियों का मन हटने के डर से काम में नहीं लगता जिससे शिक्षा की अवनति हो रही है। मंत्री जी स्वयं सोचें कि सामान्य शिक्षा के लिये ऐसा करना कहां तक उचित है ?

श्री चिरंजीलाल जाटव (जिला एटा)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। हाउस में बातचीत हो रही है। मेरी प्रार्थना है कि बातचीत न हो तो भाषण सुनने में आसानी होगी।

श्री अधिष्ठाता—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। इसे मुझ पर छोड़ दिया जाय। माननीय सदस्यों से मैं प्रार्थना करूंगा कि महत्वपूर्ण अनुदान चल रहा है शिक्षा का, उसे शांति से सुनिये।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

जैसा मैंने बताया कि कोई निर्धारित लक्ष्य शिक्षा का नहीं है, उसका एक तथ्य यह भी है कि जब हमारे माननीय सम्पूर्णानन्द जी शिक्षा मंत्री थे तो उस समय शिक्षा परिषद् में जौहरी साहब सेक्रेटरी थे और जब माननीय पं० कमलापति त्रिपाठी शिक्षा मंत्री रहे तब श्री निवास जी शर्मा शिक्षा परिषद् के सेक्रेटरी हो गये।

श्री अधिष्ठाता—

रघुवीर सहाय जी, मैं चाहूंगा कि व्यक्तिगत नाम आप न लें।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

श्रीमन् ये तथ्य हैं, आप देखें कि अब श्री हरिश्चन्द्र जी शर्मा सेक्रेटरी हैं और ऐसा करने का मुख्य कारण है कि चूंकि ८० लाख रुपया सालाना ये सेक्रेटरी बांटते हैं लिहाजा हर मंत्री अपने काबू का आदमी इस पद पर रखता है।

वित्त मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

शर्मा जी जो हैं, वह क्या बनिये हैं ?

श्री रघुवीर सहाय कैथवार---

माननीय वित्त मंत्री जी, ब्राह्मण बनिये का सवाल नहीं है। अपने गुट के आदमी को रखने का सवाल है। अपनी नीति के मुताबिक अपने आदमी को रख कर हर शिक्षा मंत्री अपने गुट के आदमियों और संबंधियों का ही हित विशेष करते स्वयं ही आये हैं। तात्पर्य यह कि जब शिक्षा का संचालन करने वाले मंत्री गण कुनबा परवरी गुटबन्दी की शिक्षा के शिकार हैं तो लाजिमी है कि उनके आधीन अधिकारी व कर्मचारी भी उनका अनुकरण करें और करते हैं। इसी का यह नतीजा है कि जो शिक्षा विभाग पवित्र माना जाता था वह आज जातिवाद और भ्रष्टाचार का अखाड़ा बना हुआ है और हर जिले में जिस सवर्ण वर्ग के शिक्षा अधिकारी हैं वहां वे अपने जाति के लोगों को और अपने रिश्तेदारों की शिक्षा प्रगति को प्राथमिकता देते हैं और यही कारण है कि ८० फीसदी पिछड़ी और हरिजन कौमें शिक्षा के क्षेत्र में सब से पीछे हैं। जब तक यह जातिवाद व कुनबापरस्ती की प्रणाली शिक्षा विभाग से खत्म नहीं की जाती इन पिछड़ी कौमों की प्रगति होना असंभव है। तो मेरी शिक्षा मंत्री जी से प्रार्थना है कि वे शिक्षा की उच्च प्रणाली को नियंत्रित करके सभी वर्गों को समान रूप से शिक्षा देने की व्यवस्था करें।

जहां तक शिक्षा विभाग में प्राइमरी, जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल और उसके ऊपर की शिक्षा को कामयाब बनाने के लिये और साइंस को विशेष रूप से प्रोत्साहन देने के लिये कहा गया उस विषय में यह कहूंगा कि हमारे जिला फतेहपुर में सिर्फ सरकारी स्कूल में साइंस का एक क्लास और वहां भी साइंस का केवल एक सेक्शन है और जिले में पचीसों हाई-स्कूल तथा इंटर स्कूल होने पर भी किसी में साइंस का क्लास नहीं है। अगर साइंस की शिक्षा को प्रोत्साहन देना है तो कम से कम शहर फतेहपुर के तीन इंटर कालेजों में से हर स्कूल में एक सेक्शन साइंस का तो स्थापित होना ही चाहिये।

जहां तक अध्यापकों की कमी की बात है, मेरा कहना है कि हजारों हाईस्कूल और जूनियर हाईस्कूल पास युवक मारे मारे फिर रहे हैं। प्राइमरी शिक्षा हाईस्कूल और इंटर वाले अध्यापक उतनी अच्छी तरह से नहीं दे सकते हैं जितनी अच्छी तरह से पुराने मिडिल पास या जूनियर हाईस्कूल वाले दे सकते हैं। परन्तु सरकार ने जूनियर हाईस्कूल पास को नार्मल में लेने से खत्म सा कर दिया है और जिन हाईस्कूल वालों को लेती है वे थोड़े दिन उसमें रहने के बाद अच्छी जगह पाने पर छोड़ कर वे चले जाते हैं। इसके अलावा छोटी कक्षाओं को वे उतने अच्छे ढंग से नहीं पढ़ा सकते जितने कि मिडिल व जूनियर हाईस्कूल वाले पढ़ा सकते हैं, इसीलिये प्रारम्भिक शिक्षा भी ठीक तरह से नहीं चल पाती है।

जहां तक हरिजन शिक्षा की बात है, सरकार उनको शिक्षित बनाने और उनका १८ परसेंट रिजरवेंशन पूरा करने के प्रयत्न की बात अक्सर कहा करती है और प्रश्न करने पर कह दिया जाता है कि शिक्षित हरिजन उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन मैं सरकार से अर्ज करूं कि शिक्षा परिषद् में न तो हरिजन रिजरवेंशन है और न उसकी ४९ समितियों में एक भी हरिजन है। इसके अलावा ११,३२२ एक्जामिनर्स, ३७० डिप्टी एक्जामिनर्स और २६९ हेड एक्जामिनर्स में से भी कोई हरिजन नहीं है। शिक्षा विभाग जो हरिजनों की प्रगति का सबसे बड़ा ठेकेदार विभाग है उसमें ७० गोपनीय विभाग के क्लर्कों में केवल एक हरिजन क्लर्क है। तो जो प्रगति करने का ठेकेदार विभाग है जब उसकी यह स्थिति है तो दूसरे विभागों की क्या स्थिति हो सकती है और यही कारण है कि आज १५ साल की कोशिश के बावजूद २.३ से ज्यादा हरिजनों को न तो स्थान प्राप्त हो सके हैं और न हर संस्था व समिति में उनको संरक्षण प्राप्त है। केवल व्याख्यानों व कागजों पर ही हरिजन उत्थान सीमित है। अतः शिक्षा मंत्री जी को हरिजन शिक्षा की सफलता और उनके सुरक्षित अधिकार दिलाने की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये।

(लाल बत्ती जलने पर)

श्री अधिष्ठाता---

अब आप इधर संकेत को भी देखिये।

श्री गिरधारीलाल (जिला वाराणसी)---

श्रीमन्, इस महत्वपूर्ण बजट पर अधिकांश सदस्य बोलना चाहते हैं और सुझाव देना चाहते हैं। इसलिये अगर आप ५ मिनट का समय हर एक के लिये कर दें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री मन्नालाल (जिला खीरी)---

समय तो आपने पहले ही कम कर दिया है। अब ५ मिनट कर देने से कोई क्या बोल पायेगा ?

श्री अधिष्ठाता---

ठीक है, यह प्रत्यक्ष है कि ज्यादा माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं और ५ मिनट, मैं सहमत हूं एक माननीय सदस्य से कि बहुत कम होते हैं। अगर सदन की अनुमति हो तो ७ मिनट इसके बाद कर दिये जायं। उसके बाद एक या दो मिनट का समय बढ़ाना मेरे हाथ में है।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)---

अधिष्ठाता महोदय, शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस पर बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं इसलिये प्रार्थना है कि आप सदन का समय बढ़ाने का कष्ट करें।

श्री अधिष्ठाता---

आप स्थान ग्रहण करें। मैंने माननीया राजेंद्रकुमारी बाजपेयी जी को बुला लिया है। उसके बाद सोचा जायगा।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)---

अधिष्ठाता महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो मांग प्रस्तुत की है उसके समर्थन में मैं खड़ी हुई हूं। यह प्रसन्नता की बात है कि नेशनल इमरजेंसी के समय में भी हमारे बजट में वृद्धि की गई है। १९४७ से लगातार यह विभाग प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुये कुछ न कुछ प्रति वर्ष बजट में वृद्धि करता चला आ रहा है और २७ करोड़ का बजट अब पहुंच गया है। लेकिन हमें अफसोस है जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि ३१ करोड़ तक हम बजट को ले जाना चाहते थे लेकिन ३ करोड़ की कमी की गई और इस कमी करने की जल्दबाजी में विभाग ने कुछ ऐसी गलती कर डाली जिसकी ओर मैं मंत्री जी तथा वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं और वह इस आशा से जो प्रश्न मैं यहां पर उठा रही हूं, वह इतना महत्वपूर्ण है कि उसके लिये शिक्षा मंत्री जी को वित्त मंत्री जी की सहायता लेनी पड़ेगी। इसलिये मैं अनुरोध करूंगी कि वे इस पर विशेष रूप से ध्यान दें।

श्री अधिष्ठाता---

सभी मानते हैं कि यह महत्वपूर्ण अनुदान है। मैं आशा करूंगा कि सदन में शांति रहे।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी---

हमारे बजट के पैरा ३ डेवलपमेंट स्कीम्स के पृष्ट ३५ पर एक ओमीशन हो गया है। हम सभी जानते हैं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से ह्यूमैनिटी और साइंस को बढ़ाने के लिये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वहां के एनशियंट हिस्ट्री एन्ड आर्केलोजीकल विभाग को एक विशेष अनुदान दिया गया था और उसके अन्तर्गत जैसे एम०ए० में पढ़ाई होती है एक विशेष कोर्स को यूनिवर्सिटी ने लिया और १९५९ से यह शुरू किया गया है। इस स्कीम के अन्तर्गत ११०० विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं और २३ से अधिक स्टाफ की संख्या है। इस स्कीम के अन्तर्गत गवर्नमेंट ने यह स्वीकार किया है कि ६३--६४ में स्टेट गवर्नमेंट इस स्कीम को फाइनेंस करेगी तो एक लिस्ट स्वीकार की गई है और दूसरी लिस्ट जिसमें ११०० विद्यार्थी अफेक्टेड हैं, उसको छोड़ दिया गया है। शायद आर्केल्योजी के नाम पर, खुदाई के नाम पर सोचा गया कि इमर्जेन्सी के जमाने में इसको रोक सकते हैं और स्टोन वर्क को डिस्टर्ब न किया जाय, लेकिन यह विभाग उतना ही महत्वपूर्ण

और लोकप्रिय बन गया है जितने यूनिवर्सिटी के दूसरे विभाग हैं। ३१ मार्च के बाद इस बजट में जब इन चीजों को नहीं रखा गया है तो बहुत सी ऐसी पोस्ट्स होंगी जिनके लिये कठिनाई होगी। चाहिये तो यह था कि तृतीय योजना के अन्तर्गत उन सब जगहों को परमानेंट करने के लिये विशेष आर्थिक व्यवस्था की जाती। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहती हूं कि वह डिपार्टमेंट को फिर से आदेश दें कि यह जो बहुत बड़ा ओमिशन हो गया है फिर से उस पर विचार किया जाय और इसके लिये विशेष आदेश जारी किये जायं। माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में प्राइमरी एजूकेशन के संबंध में कुछ बताया। कहा कि इसकी प्रगति हो रही है। लेकिन पूरे बजट भाषण में जहां उन्होंने यह कहा कि हमारी शिक्षा इतनी बड़ी और इतनी बढ़ने जा रही है, शिक्षकों के संबंध में एक शब्द भी नहीं कहा। मेरी समझ में नहीं आता कि अगर हम स्कूल और कालेजों की संख्या बढ़ाते हैं लेकिन उनको चलाने वाले जो शिक्षक हैं अगर उनके प्रति समाज में आदर नहीं उत्पन्न करते हैं, तो इस इकोनामिक सोसाइटी में शिक्षा की अच्छी हालत नहीं होगी। वह समाज में आदर पा सके, तब तक शिक्षा में हमें कैसे सफलता मिल सकती है। उनको हम इतना दें जिससे समाज में उनका आदर बढ़े। प्राइमरी के अध्यापकों की तनख्वाह काफी कम है और १९६०–६१ के प्राइस इंडेक्स को देखते हुए जब तक नीची से नीची तनख्वाह १०० रुपये न हो तब तक कोई व्यक्ति मामूली तरह से भी अपनी जिन्दगी बसर नहीं कर सकता। अध्यापकों की जो दयनीय दशा है उसकी तरफ माननीय मंत्री को अवश्य ध्यान देना चाहिये।

एक शब्द और कहना चाहती हूं। हमारे यहां जे०टी०सी० और जे०वी०टी०सी० के ग्रेड को लेकर गड़बड़ी सी है। दोनों की एक तरह की क्वालिफिकेशंस हैं। उनको ठीक करने की ओर भी डिपार्टमेंट को आदेश दिया जाय।

अधिष्ठाता महोदय, हमारी जो डिप्टी डाइरेक्टर फार वीमेन हैं, जिनका इलाहाबाद में दफ्तर है वहां कुछ ऐसा चांस है कि पहले भी जो निदेशिका थीं वह भी कुमारी थीं और इस बार भी कुमारी हैं। इसी का नतीजा है कि जो विभाग का आदेश है कि जिन स्त्रियों के पति जिस स्थान पर हों वहीं पर उन स्त्रियों की पोस्टिंग हो, इस आदेश का पालन नहीं किया जाता है। जो विवाहित स्त्रियां आज काम करने निकली हैं वह अपने पति की इनकम में सप्लीमेंट करना चाहती हैं।

श्री अधिष्ठाता—

आप का समय समाप्त।

श्री महादेव (जिला फैजाबाद)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस सात मिनट में केवल एक बात की तरफ माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह यह है कि अनुशासन, शिक्षा का स्तर, अध्यापकों का वेतन, इत्यादि तमाम समस्यायें प्रबन्ध के पीछे, शिक्षा के साथ लगी हुई हैं, लेकिन इन समस्याओं के मूल में वह समस्या है जिसकी तरफ माननीय चन्द्रजीत यादव ने इशारा किया। वह यह है कि विचारों की क्राइसिस, जैसा कि जेल मंत्री कहा करते हैं। वह सभी क्षेत्रों में है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक है। उसका नतीजा हो रहा है कि हम अंधे की लकड़ी हांकते चले जा रहे हैं। जब तक हमारा दृष्टिकोण इस संबंध में स्पष्ट नहीं होता तब तक हमारी प्रगति, चाहे जिस दिशा में हो, कुंठित रहेगी। शिक्षा की समस्या आज की दुनिया में डेढ चावल की खिचड़ी की तरह से अलग नहीं पकायी जा सकती। हमारी गरीबी की समस्या, हमारी आबादी की समस्या, हमारी बेरोजगारी की समस्या, हमारी प्रांतवाद की समस्या, इन सारी समस्याओं का हल शिक्षा के साथ नत्थी है। अकेले आप उसे कैसे हल करना चाहते हैं? लेकिन चूंकि पिछले पंद्रह साल से प्रयास चल रहा है, तो जब कभी कोई किसी विभाग को लेता है तो वह अपनी अलग खिचड़ी पकाता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी डेढ़ चावल की खिचड़ी अलग पक रही है। प्राइमरी एजूकेशन में ऐसा हो, सेकेंड्री एजूकेशन में ऐसा हो, यूनिवर्सिटी एजूकेशन में ऐसा हो, ऐसे प्रगति हो, लेकिन यह प्रगति किस दिशा में हो यह पता नहीं। डाक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, डाक्टर

[श्री महादेव]

राधाकृष्णन कह रहे हैं, आचार्य बिनोवा भावे कह रहे हैं कि हमारी शिक्षा किधर जा रही, हमारे देश की समस्याओं के बिलकुल विपरीत जा रही है, लेकिन कहीं से इस सवाल का जवाब नहीं आया कि जांय किधर ? यह सब मान रहे हैं कि गलत दिशा में जा रही है, लेकिन उस दिशा का किसी तरफ से इशारा नहीं हो रहा है कि किस दिशा में जाना चाहिये ।

आज से साल आठ साल पूर्व आचार्य नरेंद्रदेव जी से मेरी दो घंटे बातें होने के बाद उन्होंने मेरा एक विनम्र सुझाव स्वीकार कर लिया । लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उनके थोड़े दिन बाद ही उनका देहांत हो गया । मैंने उनसे कहा था कि जो कुछ हो रहा है वह हो रहा है, मेरी दो बातें आप कृपया स्वीकार कर लें । एक तो यह कि प्राइमरी स्कूल को केंद्र बनाकर गांव का विकास, उसका उत्पादन, उसकी शिक्षा, उसकी सर्वांगीण उन्नति का सारा काम उसी स्कूल के सुपुर्द कर दीजिये । यहां तक कि लेखपाल का भी काम और सुपरवाइजर का काम सब आप उसके सुपुर्द कर दीजिये और २४ घंटे का टाइम टेबिल आप उसको दे दीजिये, और वह टीचर तबादले में न जाय । इसके बाद आप देख लीजिये दो साल के अन्दर गांव की प्रगति क्या होती है । एक माध्यमिक शिक्षालय को ले लीजिये और उसमें विज्ञान की भी शिक्षा दीजिये, कला साहित्य की भी शिक्षा दीजिये, लेकिन उसके साथ-साथ एक खोज और निर्णय कर लीजिये कि उसके साथ इतने साधन उसको और दे दीजिये, ऐग्रीकल्चर के भी, डेयरीफार्म के भी और उद्योग के भी कि विद्यार्थी और शिक्षक मिलकर के तीन चार साल के अन्दर वह स्वावलम्बी हो जायं । अगर यह संभव हो जाता है तो आपकी शिक्षा की बहुत बड़ी समस्या हल हो जाती है, और बेरोजगारी की भी समस्या हल हो जाती है । मेरा विश्वास है, मैं उसको कर के थोड़ा बहुत देख चुका हूं, अगर इस तरह से आप व्यवस्था करें तो आपकी समस्यायें हल हो सकती हैं । आप शिक्षा के स्तर की बात करते हैं । न हमारे शिक्षकों को, न गार्जियन्स को, न एजूकेशनिस्ट्स जो कहे जाते हैं उनको यह पता है कि शिक्षा का स्तर किस मापदंड से वह मापेंगे, लेकिन शिक्षा के स्तर की बात कहेंगे । अंग्रेजी अच्छा बोलने लगे, उसको शिक्षा का स्तर कहेंगे, या पैंट ठीक से पहनना सीख जाय, उसको शिक्षा का स्तर कहेंगे या मुख पर पाउडर पोतना सीख जाय उसे शिक्षा का स्तर कहेंगे हमारा आपका दिमाग साफ नहीं है कि किस माने में हम शिक्षा का स्तर सोचते हैं । तो हमें न शिक्षा के स्तर के बारे में ज्ञान है, न हम यह सोचते हैं कि शिक्षित नवयुवक जायगा और फिर भी शिक्षा के स्तर की बात हम करते हैं । इसका नतीजा यह हो रहा है कि हमारी समस्यायें अलग-अलग बिखरी पड़ी हुई हैं । अगर हमने १५ साल के अन्दर यह कर लिया होता कि शिक्षा को केंद्र मानकर सारी समस्याओं को हल करने का प्रयास किया होता तो बहुत सी हमारी समस्याओं का समाधान हो गया होता ।

मैं एक मिसाल देता हूं । पंद्रह साल से प्रांतीयता की बातें चल रही हैं । अगर पंद्रह साल के अन्दर हमने यह लागू कर दिया होता कि हर हिन्दी भाषी को एक प्रांतीय भाषा को पढ़ना अनिवार्य होगा तो हमारी हिन्दी की समस्या बहुत कुछ हल हो गई होती । लेकिन वह हमने नहीं किया । हम कैसे अहिन्दी भाषियों को हिन्दी सिखाना चाहते हैं जब तक कि हम उनकी भाषा न सीखें, कैसे हम हिन्दी को वृद्धि देना चाहते हैं, कैसे उसको उस सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं ? आज तो हिन्दी भाषी जानता भी नहीं कि तामिल के लेखक कौन कौन हैं, उसका साहित्य क्या है और हिन्दी को राजगद्दी पर बैठाना चाहता है । तो यह छोटी छोटी बातें अगर हम उस समय सोचकर पंद्रह सालों के अन्दर किये होते तो हमारी बहुत सी समस्यायें आज हल हो गई होतीं ।

अब सात मिनट के समय में मैं शिक्षा मंत्री के सामने आंकड़े क्या पेश करूं । लेकिन दो तीन चीजों की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । एक तो माध्यमिक शिक्षक जो प्राइवेट स्कूल का है उसका वेतन कम राजकीय स्कूलों के टीचरों के बराबर होना चाहिये और उनके साथ अभी जो अन्याय हो रहा है उसको आप जल्द से जल्द खत्म करने की कृपा करें ।

क्योंकि इसका मनोवैज्ञानिक असर है।

दूसरी बात यह है कि जहां और लोगों को प्राविडेन्ट फंड की सुविधा है वहां माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों के लिये वह सुविधा नहीं है। अभी मैंने एक सवाल किया था कि उन लोगों को प्राविडेड फंड की सुविधा नहीं है। मंत्री जी ने बतलाया कि नियम में है। ताज्जुब होता है कि नियम में है, लेकिन १७००, १८०० स्कूल चल रहे हैं किसी में निम्न कर्मचारियों के लिये भी प्राविडेन्ट फंड की सुविधा नहीं है। क्या यह सरकार अपना ध्यान उस तरफ आकर्षित नहीं करना चाहती ? इन कर्मचारियों के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई। जनता और कर्मचारियों के लिये सुविधा है तो इनके लिये भी वह सुविधा होनी चाहिये।

जहां तक प्रशासन योजना का संबंध है मुझे एक बात निवेदन करना है। जिस तरह से यह प्रशासन योजना बनी है उसमें इन्सपैक्टर के लिये अधिकार दे दिये, डाइरेक्टर को अधिकार दे दिये लेकिन शिक्षक को उसमें कोई सुरक्षा नहीं है। यह प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त के खिलाफ है। एक तरफ तो आप प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त चाहते हैं और दूसरी तरफ शिक्षा संस्थाओं का सरकारी करण चाहते हैं। शिक्षा संस्थाओं को सरकारी नियन्त्रण के अन्दर लाना चाहते हैं। यह दोनों बातें एक दूसरे के विरुद्ध हैं। किसी दिन आपको इसके लिये खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर आप शिक्षक की सुरक्षा चाहते हैं तो हर एक प्रजातान्त्रिक तरीका था कि शिक्षक का भी कहीं हाथ होता। क्यों आप सरकारी नियन्त्रण में लेना चाहते हैं ? क्यों नहीं आप मैनेजमेंट कमेटी में या शिक्षा संगठन में उसकी मिलीजुली कौंसिल बनाते जो जिले के स्तर पर भी हो और प्रान्तीय स्तर पर भी और वह मिलीजुली कौंसिल निर्णय दे ? अगर वह उनके विषय में कोई निर्णय दे सके तो यह एक प्रजातान्त्रिक ढंग से उनकी सुरक्षा की व्यवस्था हो सकती है।

शिक्षा उपमंत्री (श्री केशभान)––

अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश की शिक्षा में मात्रात्मक विकास हुआ है, किन्तु गुणात्मक विकास नहीं हुआ है, ऐसी शिकायत की जाती है। परिस्थिति भी ऐसी है कि मात्रात्मक विकास इस समय हो और गुणात्मक विकास न हो। शिक्षा जीवन में प्रगति लाने के लिये एक साधन है। जीवन कोई विज्ञान नहीं है। जीवन एक कला है। विज्ञान के लिये कोई मापदंड हो सकता है। जीवन प्रगति के लिये कोई मापदंड नहीं हो सकता है। इसलिये जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने पूछा कि जीवन में गुणात्मक प्रगति हुई है या नहीं इसका क्या मापदंड है। मेरा कहना यह है कि इसका मापदंड नहीं हो सकता है। एक बात अवश्य है कि हमारा देश ऐसा है जहां की व्यवस्था ऐसी है कि लोग यहां एक निश्चित लक्ष्य जीवन को मान लेते हैं और उसी निश्चित लक्ष्य की ओर वे चलने लगते हैं। अपने मापदंड के अनुसार वे कह सकते हैं कि इसमें प्रगति होती है या नहीं। अभी एक माननीय सदस्य ने किसी ने समाजवादी या साम्यवादी देश की शिक्षा व्यवस्था की चर्चा करते हुये कहा कि वहां पर एक रुपता है, एक लक्ष्य निर्धारित है जिसके अनुसार वहां शिक्षा दी जाती है। यह ठीक है। पूरे समाज के लिये वहां पर उस राज्य में एक मापदंड है। वहां एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है जिसके पालन के लिये वहां के लोग स्वतन्त्र नहीं हैं। प्रजातान्त्रिक प्रणाली में हमें यह भी देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार कहीं ऐसा लक्ष्य लाद रही हो जिसको जनता गले से नीचे न उतार सके।

शिक्षा विद्यालयों का संबंध छात्रों से, अभिभावकों से, शिक्षकों से और सरकार से होता है। जिसमें हर सरकार कोर्स निर्धारित कर सकती है, विद्यालयों की संख्या बढ़ा सकती है और एक नीति भी निर्धारित कर सकती है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वह जनता को कुछ स्वतन्त्रता जरूर दिये रहे कि हम तो आज लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसको अपनाने की स्वतन्त्रता देते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। अभी एक बात यह कही जाती है कि आठवीं कक्षा के पास होने पर या दसवीं कक्षा के पास होने पर एक विद्यार्थी को कला, वाणिज्य, कृषि या विज्ञान में क्या पढ़ने जाना चाहिये उसको यह स्वतन्त्रता नहीं होनी चाहिये। उसके लिये उसकी मनोवैज्ञानिक परीक्षा लेकर निर्धारित करना चाहिये कि उसको किस वर्ग में जाना चाहिये। ठीक है। मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से यह सही जान पड़ता है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे देश में हमें यह निर्धारित करने के लिये जितने साइकोलोजिस्ट की जरूरत होगी वह हमारे पास

[श्री केशभान]

नहीं हैं, लेकिन यदि मान लें कि वह हमारे पास हों तो मैं देखता हूं कि अभी कुछ स्कूलों की कक्षा ८ में जितने छात्र या छात्रायें हैं और उनके लिये जो हमारे साइकोलाजिस्ट उन्हें बताते हैं कि उनको इस वर्ग में जाना चाहिये, तो अधिकांशतः यह देखा जाता है कि उनके अभिभावक उनकी बात मानते नहीं। वे यह नहीं देखते कि उन के छात्र या छात्रा का ऐप्टीट्यूड किधर है, बल्कि वह अपने दृष्टिकोण से, धनोपार्जन के दृष्टिकोण मे जो लाइन अधिक उपयोगी प्रतीत होती है, उसमें ही अपने छात्रों को भेजते हैं।

(इस समय ३ बजकर ५८ मिनट पर, श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

हमें समय की आवश्यकता होगी कि अपने अभिभावकों को हम बतला सकें कि जिस प्रकार का एप्टीट्यूड छात्रों में है उस से भिन्न शिक्षा देकर भले ही हम उनसे धनोपार्जन करवा लें, लेकिन उससे उन छात्रों के मन की संतुष्टि नहीं हो सकती और मेरा यह विश्वास है कि जब धीरे-धीरे शिक्षा के विकास के साथ साथ, उसके द्वारा अभिभावकों में भी यह भाव घर करेगा कि अपने विद्यार्थियों को हम अपने अनुसार नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के ऐप्टीट्यूड के अनुसार शिक्षा दिलाकर हम उनको अधिक उपयोगी बना सकते हैं, तब और तब ही हम उस लोकतांत्रिक सरकार द्वारा यह आशा कर सकेंगे कि हम जो लक्ष्य बनाते हैं उसे वह स्वीकार करेंगे और तब हम गुणात्मक परिवर्तन करने की बात सोच सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान) जो अध्यक्ष के पद पर काम करता है उनका अध्यक्ष के नाम से संबोधन हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह देखता हूं कि अभिभावक, शिक्षक, सरकार और छात्र, इनमें कामन ग्राउन्ड कहां है कि जिस पर सभी लोग सहमत हैं। सभी लोग सहमत हैं केवल इस पर कि छात्रों को शिक्षा मिलनी चाहिये। जितने बच्चे हैं उनको अधिक से अधिक संख्या को शिक्षा मिलनी चाहिये। मात्रा में सभी लोग एक राय हैं। अभी गुण में एक राय नहीं हो पायी है, न हमारी मेजारटी हो पायी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमने समाजवादी समाज की रचना करने का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, लेकिन जहां हमने एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया है वहां हम ने यह भी निर्धारित कर लिया है कि हम किस ढंग से इस लक्ष्य तक पहुंचेंगे। हमारी कांग्रेस की या किसी और पार्टी की पुस्तक में लिख देने से या प्रस्ताव पास कर देने से ही लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। हम को आवश्यकता होगी कि हम जनसाधारण के स्तर तक यह बात ला सकें। समाजवादी समाज की रचना के लिये जिस प्रकार की मनोवृत्ति और विचार की जरूरत होती है। ऐसे विचार और मनोवृत्ति हम ज्यों ज्यों और जिस गति से पैदा कर सकेंगे देश में वैसी ही गति से हमारी शिक्षा भी उसके अनुकूल परिवर्तित हो सकेगी।

इस समय हमारा ध्येय केवल यह है कि शिक्षा की मात्रा बढ़े। हमारे सामने दो विकल्प हैं। अगर धनाभाव के कारण हम बहुत प्रगति नहीं कर पाते, हमारे जितने विद्यालय हैं उनको हम आवश्यकता के अनुसार पूरा धन नहीं दे पाते, उनको साधन संपन्न नहीं कर पाते तो क्या कुछ को साधन संपन्न बना कर बाकी को छोड़ दें? दूसरे यह कि जो छूट गये हैं उनको भी न सही सम्यक शिक्षा के साधन, लेकिन उनको ६० फीसदी या ५० फीसदी तो दिया ही जाय। कम से कम ४०, ५० फीसदी उनकी आवश्यकता का जरूर दें। यह हमारे हिन्दुस्तान की मांग है। हमारी अर्ज (urge) कि सब को शिक्षा दी जाय। यह मात्रात्मक विकास हमारी अर्ज। (urge) है। जिस समय हिन्दुस्तान जगा था, हम करवट लेने लगे थे उस समय हममें यह इच्छा पैदा हुई थी कि हमको आजाद होना चाहिये। आजाद होने के बाद कैसी सरकार होनी चाहिये, कैसी व्यवस्था होनी चाहिये, यह बाद की चीज थी। लेकिन उस समय हमारे मन में यह भावना थी कि हमको आजाद होना चाहिये। कैसे आजाद होंगे, आजाद हो कर कैसी सरकार बनायेंगे, यह सारी बात हमने सोच नहीं ली थी, लेकिन वह हमारी एक भीतरी अर्ज थी और उसने ही हमको १५ अगस्त, १९४७ की आजादी दिलायी। वैसे ही, अध्यक्ष महोदय, मेरा विश्वास है कि शिक्षा हमारे बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। आज के हिन्दुस्तान के बच्चों में भी, यहां के अनपढ़ नागरिकों में भी शिक्षा

दिलानें की अर्ज जाग उठी है, ठीक वैसे ही जैसे स्वतंत्रता प्राप्त करने की अर्ज जाग उठी थी। आज हमारा विश्वास है। यद्यपि धन की कमी हमारे मार्ग में है जिससे कठिनाई पड़ती है, परन्तु हमको विश्वास नहीं अटल विश्वास है कि हम अपना ध्येय अवश्य पूरा कर सकेंगे। जो हिन्दुस्तान की जिंदगी है, जो हमारा आने वाला भविष्य है, उसका निर्धारण आज का वर्तमान कर रहा है। उस दिशा में हमारी बुद्धि और हमारा हृदय दोनों ही सक्रिय हैं। आज मात्रात्मक विकास हो रहा है। हम शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि शिक्षा का विकास सेन्ट पर सेन्ट हो जाय। गांव-गांव में हर बालक पढ़ा-लिखा हो। हर गांव में हायर सेकेन्डरी स्कूल हों। हम इस दिशा में प्रगतिशील हैं। निश्चय ही हमारा यह लक्ष्य पूर्ण होगा। निश्चय ही हमारी आत्मा हमको गुणात्मक विकास के लिये प्रेरित करेगी। वह समय आ जायगा, जब कि समाजवादी समाज की रचना के लिये, हमारे मन में जो भाव पैदा हो रहे हैं, वह दिन पर दिन बढ़ते चले जायेंगे।

आप देखें कि सन् १९१९ में कितने लोगों के मन में हिन्दुस्तान की आजादी के लिये प्रेरणा थी और १९४२ में कितने लोगों के मन में प्रेरणा जागी। लगभग हम यह कह सकते हैं कि वह भावना सारे देश के अन्दर जाग्रत हो उठी थी। गुणात्मक विकास के लिये समाजवादी समाज की रचना के लिये हमको बुद्धि से ही नहीं, मूल भूत विचारों से ही नहीं, बल्कि अपने भीतर के अन्तरात्मा का भी सहारा लेना होगा। तभी हम उस ध्येय की सिद्धि में सफल हो सकते हैं, तभी हम जन जन के जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं। यह हो सकता है कि हमारे मार्ग में कुछ रुकावटें आयें, परन्तु इसमें संदेह नहीं है कि हम अपना मात्रात्मक विकास करने के बाद गुणात्मक विकास करने में सफल होंगे।

अध्यक्ष महोदय, हमारे विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता की बात कही गई है। परन्तु मैं उससे सहमत नहीं हूं। आज हमारे विद्यार्थी को घर में, जन साधारण में विद्यालयों में, आप्त जन समुदाय में अनुशासन की शिक्षा दी जानी चाहिये। उसकी प्रारम्भिक शिक्षा परिवार से शुरू होती है। समाज द्वारा जो शिक्षा दी जाती है उससे वह पराभूत होता है और उसको अपना लेता है। तब घर की शिक्षा हवा हो जाती है। विद्यालय के उसके गुरुजनों की शिक्षा के बाद उसके आप्तजनों की अनुशासन संबंधी शिक्षा उसके लिये महत्व रखती है। बहुधा यह शिकायत की जाती है कि विद्यार्थी को जो अनुशासन संबंधी शिक्षा दी जाती है, उसको वह नहीं अपनाता है। परन्तु मैं आपके सामने जो उदाहरण प्रस्तुत करता हूं, उससे आपका यह भ्रम अवश्य दूर हो जायगा। जब पिछले महीनों में हमारे देश पर इमर्जेन्सी की स्थिति आई थी, जो कि आज भी है, जब चीन ने हमला किया था, तो वही विद्यार्थी समाज जिस प्रकार से जाग उठा था, वह सर्वथा सराहनीय है। जिस प्रकार आप जागे, हम जागे, उसी प्रकार वह भी जागा, वह सोता नहीं रहा। उसने भी सक्रिय भाग उसमें लिया था। वह स्वयं अपने आप अनुशासित हो गया था। मैं यह कह देना चाहता हूं कि हमारे बीच में और आपके दिल में जो अनुशासन का रूप होगा, वह विद्यार्थी अपनायेगा। हम सभी, घर, समाज और विद्यालय उसके लिये विद्यालय हैं, जो कि उसको अनुशासन की शिक्षा देते हैं। यदि हम ऐसा समझेंगे तो निश्चय ही उनमें अनुशासनहीनता नहीं रहेगी।

*श्री मन्नालाल——

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज १५ वर्ष की आजादी के बाद भी शिक्षा के स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ है, बल्कि वह गिरा ही है। विद्यार्थियों की संख्या अवश्य बढ़ी है। परन्तु आप देखें कि प्राइमरी अध्यापकों में उदासीनता ही दिखलाई पड़ती है। इसका उदाहरण मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं। जिला उन्नाव के प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को ७–७ महीने का और बहुत से अध्यापकों को १५ महीने तक का वेतन नहीं दिया गया है। उनको दीवाली बिना दिया जलाये हुये, होली बिना दो पैसे का रंग खेले हुये ही, मनानी पड़ी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मन्नालाल]

प्रत्येक के घर में दीवाली मनायी गयी, होली मनायी गयी, मगर इन गरीब अध्यापकों के बच्चे रोते और सिसकते रह गये। यह माननीय शिक्षा मंत्री का शिक्षा का विकेन्द्रीकरण है।

दूसरा उदाहरण मैं अपने क्षेत्र का, जहां से मैं चुन कर आया हूं, रखना चाहता हूं। वहां से चूंकि मैं जनसंघ पार्टी की ओर से चुन कर आया हूं इसलिये हमारी बिरादरी के समस्त अध्यापकों को ८० और ९० मील की दूरी पर ट्रान्सफर करके भेज दिया गया है। मैंने इस संबंध में प्रश्न भी किया था, और उसका शिक्षा मंत्री जी ने उत्तर भी यह दिया था कि ऐसा कोई ट्रान्सफर नहीं हुआ है। मैं उनके सम्मुख ३–४ नाम बताना चाहता हूं, वे उसकी जांच करा कर देख लें कि उनका उत्तर सही है या मेरी सूचना सही है। एक अध्यापक श्री सुमेरचन्द हैं जो कबिराहा में हैं, निघासन तहसील में, वे रहने वाले हरदोई–सीतापुर सरहद के हैं। दूसरे श्यामाचरण हैं, तीसरे मीनानन्दलाल हैं, चौथे छोटे लाल हैं। यदि इन चारों की जांच करायेंगे तो आपको पता चल जायेगा कि उनको ८० से १५० मील तक की दूरी पर रखा गया है। हमारे जिला खीरी में बाकी कांग्रेस विधायक कोई इस प्रकार का व्यवहार नहीं करते हैं, केवल एक ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने उस क्षेत्र में बिरादरी वाद पैदा किया है और लोगों का ट्रान्सफर कराकर अपने भाई भतीजों को अपने गांव के पड़ोस में मील डेढ़ मील की दूरी पर रखवाया है। माननीय मंत्री जी इस पर विचार करें, इस बिरादरी वाद से जनता में बड़ा असंतोष है।

तीसरा उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं शाहजहांपुर जिले के एक गांधी फैज आम डिग्री कालेज की। वहां के छात्रों ने भारत माता का एक चित्र बनाया। वहां के प्रोफेसर्स ने तथा प्रिन्सिपल ने उसका विरोध किया और उस संबंध में दो तीन लड़कों को स्कूल से निकाल भी दिया और आज भी वे इस बात पर तुले हुये हैं कि उस भारतमाता के चित्र को वहां से हटा दिया जाय। अभी २२ तारीख को शिक्षा मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया कि वहां के अध्यापक इस बात पर तुले हुये हैं कि भारत माता के चित्र को हटा दिया जाय। क्या यह अराष्ट्रीयता की भावना नहीं है, यह अराष्ट्रीयता नहीं है? हमको कहा जाता है कि जनसंघ साम्प्रदायिक पार्टी है, मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी में क्या यह अराष्ट्रीयता की भावना नहीं है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे इसकी जांच करायें, वहां पर दूसरा मैनेजमेंट बनाया जाय, या सरकार उसको अपने हाथ में ले, वहां तब तक सहायता देना बन्द कर दे, जब तक यह चीज समाप्त न हो जाय।

एक बात और मैं अपने यहां के जे० पी० इन्टर कालेज, मोहमदी खीरी, की कहना चाहता हूं। वहां पर कुर्मी जाति के प्रिन्सिपल हैं जिन्होंने अपने यहां कुर्मीजाति का नारा लगा-कर सभी कुर्मी अध्यापक रखे हैं। उन्होंने वहां के अछूत लड़कों को एक-एक महीने का वजीफा लेकर सुरक्षा कोष में जमा किया है और वह करीब १ हजार के हुआ है जिसकी कि कोई रसीद आदि भी उनको नहीं दी गयी है। पता नहीं वह रुपया सुरक्षा कोष में जमा भी हुआ या नहीं। उनके खिलाफ पहले अछूतों को वजीफा न देने का आरोप भी लगा था जो सत्य पाया गया। कुछ कांग्रेसियों ने मिल कर उनको बचा लिया और एक गरीब निर्दोष क्लर्क को बर-खास्त किया गया। आज वही प्रिन्सिपल मोहमदी स्कूल में विराजमान हैं। सिवाय गांव सभा से लेकर जनरल इलेक्शन लड़ाने के वह और कोई काम नहीं करता। शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। यही कारण है कि मोहमदी स्कूल में लड़कों और अध्यापकों में लाठी चली, अध्यापक अध्यापक में जूते चले। जिला खीरी के डिस्ट्रिक्ट इंसपेक्टर आफ स्कूल्स को तथा डायरेक्टर को भी शायद इसकी सूचना होगी। अतः इस प्रकार की अनियमितताओं को समाप्त करना चाहिये।

अब मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

दसवीं कक्षा तक शिक्षा निःशुल्क दी जाय। कक्षा ३ से अंग्रेजी हटायी जाय। क्योंकि उस अवस्था में बच्चे हिन्दी को ही ठीक तरह से नहीं पढ़ पाते हैं तो फिर अंग्रेजी को किस प्रकार

से पढ़ पायेंगे ? जितने स्कूल और कालेज बिरादरी के नाम पर चलते हैं उनको हटाकर किसी महापुरूष के नाम पर उनका नाम रख दिया जाय। जिला बोर्ड के अध्यापकों में कम से कम २–२ प्रतिनिधि जिला बोर्ड में लिये जांय। शिक्षा पद्धति बहुत ही दोषपूर्ण है, इसको बदला जाना चाहिये क्योंकि जब तक वह नहीं बदलेगी तब तक लोगों में राष्ट्रीय भावना पैदा नहीं हो सकती और तब तक हमारे देश का कुछ भला नहीं हो सकता। शिक्षापद्धति में फौजी तालीम अनिवार्य करदी जाय। आजकल हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी है कि अब भी बहुत से स्थानों पर हरिजनों को चुल्लू से पानी पीना पड़ता है। समाजवाद और अछूतोद्धार का नारा लगाने वाली सरकार अभी इतना भी नहीं कर पायी है। हाईस्कूलों और कालेजों के प्रिन्सिपलों के ट्रांसफर एक स्थान से दूसरे स्थान पर किये जायं। आशा है माननीय मंत्रीजी मेरे इन सुझावों पर ध्यान देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्तरिम जिला परिषद् में जितने भी मेंबर चुन कर जाते हैं उनमें से अधिकांश स्कूलों के मास्टर के ट्रान्सफर्स में हस्तक्षेप करते हैं। मैं माननीय मंत्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि यह अधिकार डिस्ट्रिक्ट इंसपेक्टर आफ स्कूल के हाथ में होना चाहिये, उनके हाथ में नहीं होना चाहिये। इससे गरीब अध्यापकों की कोई सुनवाई नहीं होती है और उनको शिकार होना पड़ता है। इसके अलावा हाईस्कूल और इन्टरमीजियेट बोर्ड बहुत बड़ा है उसको छोटा करके रीजनल बेसिस पर कर दिया जाय। इससे शिक्षा में लाभ होगा।

श्रीमती रामरती (जिला फैजाबाद)——

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूं। अभी माननीय मंत्रीजी ने उन सभी बातों की अपने भाषण में चर्चा कर दी, जिनको वे भविष्य में करने जा रहे हैं। मान्यवर, देश का धन सोना चांदी नहीं होता बल्कि सुशिक्षित नागरिक ही देश की सम्पत्ति माने जाते हैं। शिक्षा ही ऐसी वस्तु है जो मनुष्य को बुद्धिमान बनाती है, हमारी आत्मा को विकसित करती है। मान्यवर, ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में हमारे देश में शिक्षा के अत्यन्त ही सीमित साधन थे। तीन तीन मील के फासले पर प्राइमरी स्कूल था और ४–४ मील के फासले पर जूनियर हाई स्कूल पाये जाते थे और जिले के स्तर पर देखा जाय तो अधिक से अधिक ५ या ६ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पाये जाते थे। आज जब उस समय की परिस्थितियों की तरफ ध्यान जाता है तो देश के नागरिकों के सामने से वे परिस्थितियां अब बिलकुल गायब हो गयी हैं।

जहां तक स्त्रियों का संबंध है, हमारी सरकार ने स्त्रियों के लिये समाज में केवल समानता का अधिकार ही नहीं दिया है, बल्कि उसे कार्य रूप में भी परिणत किया है। आज हम देखते हैं कि हमारे देश और प्रदेश में स्त्रियों के लिये कितने प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाईस्कूल और उच्चतर माध्यमिक स्कूल खोले गये हैं। इसके अलावा हमारी सरकार ने उन बालिकाओं के लिये जो निर्धन व असहाय हैं वजीफे तथा पुस्तकों की भी सहायता देकर उन्हें कितना अधिक प्रोत्साहन दिया है, इससे हम सभी माननीय सदस्य परिचित हैं। आज हमारी महिलायें समाज में हर तरफ आगे बढ़ी हैं।

जहां मैं सरकार का यह एक अच्छा और प्रशंसनीय कदम समझती हूं वहां मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान कुछ और विषयों की ओर ले जाना चाहती हूं। मैं माननीय मंत्री-जी को सूचित करती हूं कि अब तक उन्होंने गांव-गांव में जो प्राइमरी स्कूल्स खोले हैं वे अधिक मात्रा में हैं जिनकी इतनी आवश्यकता नहीं है। आज आवश्यकता इस बात की है कि वे गावों में बालिकाओं के लिये अधिक मात्रा में जूनियर हाई स्कूल खोलें। जो बालिकायें प्राइमरी तक शिक्षा प्राप्त कर लेती हैं वे घरों में ही बैठी रहती हैं और उनके सामने एक परेशानी यह आती है कि वे गृह विज्ञान तथा शिल्प कला सीखने से वंचित रह जाती हैं। लड़कियों के लिये यह उम्र ऐसी होती है जब कि वे इस आयु में कला बड़ी सुविधा से सीख लेती हैं। अभी तक ये लड़कियां इन पाठशालाओं से निकलने के बाद आगे पढ़ने में असमर्थ रहती हैं। जो लड़की आगे शिक्षा लेना चाहती है उसको लाचार होकर लड़कों के स्कूल में पढ़ना पड़ता है जिसका नतीजा यह होता है कि

[श्रीमती रामरती]
एक तरह से उनकी शिक्षा की इच्छा तो पूरी हो जाती है, लेकिन इस शिक्षा के ग्रहण करने के बाद भी गृह विज्ञान तथा कला विषय की शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रह जाती हैं। जो लड़की लड़कों के स्कूल से पास भी कर लेती हैं तो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जाने पर उसे गृह विज्ञान तथा कला की शिक्षा लेने की इजाजत नहीं मिलती क्योंकि नीचे की सीढ़ी में उस विषय की शिक्षा उसे नहीं मिली होती है। ऐसी स्थिति में लड़कियों को बड़ी परेशानी होती है क्योंकि इस विषय को न सीखने के कारण वे फेल हो जाती हैं और उनका सारा समय बर्बाद हो जाता है। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी से मैं निवेदन करती हूं कि वे लड़कियों के लिये अधिक से अधिक मात्रा में गांवों में जूनियर हाई स्कूल खोलें ताकि उनकी समस्या का हल हो सके क्योंकि स्त्रियों के लिये यह कला उनके जीवन से अधिक संबंध रखती है।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है माननीय मंत्री जी से और जिसे सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कर्मचारियों व अध्यापकों के सामने वेतन की समस्या आये दिन बनी रहती है। दो दो महीने पर उनको वेतन मिलता है और यह एक बहुत बड़ी कठिनाई का प्रश्न उनके सामने हो जाता है।

इसके साथ ही मैं आपका ध्यान सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के स्टाफ व क्लर्कों की तरफ ले जाना चाहता हूं। वहां एक प्रकार से उनके दो वर्ग बना दिये गये हैं जिनमें जमीन और आसमान का अन्तर है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के क्लर्कों आदि का वेतन मैनेजिंग कमेटी की इच्छा के ऊपर ही निर्भर रहता है। मैनेजिंग कमेटी जो चाहती है उनको वेतन भत्ता आदि देती है, वही नियत करती है और वही उनको मिल पाता है। इसलिये मैं मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि वे उन तमाम विद्यालयों को आदेश दें कि जो अधिकार राजकीय माध्यमिक विद्यालय के हैं वही उनको भी मिलने चाहिये।

इसके अलावा मैं मंत्री जी से यह भी निवेदन करती हूं कि जब मेरा ध्यान इस विभाग के उच्चाधिकारियों की तरफ जाता है तो मैं देखती हूं कि उनमें आये दिन संघर्ष होते रहते हैं और उसका नतीजा यह होता है कि वे आपसी संघर्षों में फंसे रहकर एक दूसरे की फायलों को दबाने में ही लगे रहते हैं और उसके कारण विभाग के कार्यों पर आघात होता है।

श्री उपाध्यक्ष---
आपका समय समाप्त। श्री खेमचन्द....

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)---
मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय २ घंटे बढ़ा दिया जाय क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण अनुदान है और बहुत से लोग बोलने वाले हैं।

श्री उपाध्यक्ष---
हिम्मतसिंह जी, पहले श्री खेमचन्द जी को बोलने दीजिये। जब तक वे बोलते हैं तब तक आप सलाह कर लीजिये।

श्री खेमचन्द (जिला आगरा)---
माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अनुदान प्रस्तुत किया। मैंने उनकी गम्भीर वार्ता को बहुत ध्यानपूर्वक सुना। साथ ही साथ जो कटौती का प्रस्ताव इधर से प्रस्तुत किया गया है उसको भी सुना और उसी के साथ साथ मैंने उप शिक्षा मंत्री जी के भावनात्मक वक्तव्य को भी सुना। शिक्षा के विषय में भगवान बुद्ध ने एक जगह कहा है, महामंगल" में :---

"बाहुसच्चं च सिप्पञ्च, विनयो च सुसिक्खितो,
सुभाषिता च या वाचा, एवं मंगलमुत्तमं ॥"

शिक्षा, मंगल का प्रथम साधन है और उसके लिये जो शिक्षार्थी है उसके बहुश्रुत, शिल्प विद्याओं का ज्ञाता, सुशिक्षित एवं सुन्दर भाषा का प्रकट करने वाला होना चाहिये तभी मंगल की सिद्धि होती है। इस मंगलमय साधन पथ पर चलने के लिये हमारे प्रदेश का जो प्रयास है वह संतोषजनक नहीं है। उसकी पुष्टि स्वयं शिक्षा मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में की है। अन्य प्रदेशों की तुलना में हमारे प्रदेश में शिक्षा की जितनी प्रगति होनी चाहिये थी, वह नहीं हुई। हमारा प्रदेश, सब प्रदेशों से, अन्य प्रदेशों के मुकाबले में, जैसा माननीय चन्द्रजीत जी यादव ने प्रकट किया है, पीछे है और अन्य प्रदेशों की तुलना में उसका १२वां नम्बर है। यह वास्तव में चिन्ता का विषय है और इसको उसी प्रकार देखना पड़ेगा।

माननीय शिक्षा मंत्री जी ने दो एक बातों पर जोर दिया लेकिन उन्होंने उन गरीब अध्यापकों पर जोर नहीं दिया जो कि आधारभूत प्राथमिक शिक्षा का भार अपने ऊपर ले कर चल रहे हैं। जो यह उत्तर प्रदेश वार्षिक विवरण आया है उसमें उनके लिये कहा गया है कि उनका वेतन ५० रुपये से प्रारम्भ होगा। यह बढ़ती हुई मंहगाई का समय और उसमें वह शिक्षक जिस पर राष्ट्र निर्माण का भार है ५० रुपये से उसका वेतनक्रम आरम्भ हो, इतनी दयनीय दशा कहीं पर नहीं हो सकती है। वैसे मैंने सुना यहां पर गुरुकुल प्रणाली की बात कही गयी। गुरुकुलों में शिक्षक दान और भिक्षा पर निर्भर रहता था, किन्तु आज जब उनकी जीविका का प्रश्न उनके सम्मुख है तब उनका ख्याल हम नहीं कर पा रहे हैं जिससे कि हम उनको उतना दे सकें कि वे निर्भय और निश्चिन्त होकर अपने इस महत्वपूर्ण कार्य को ठीक तरह से सम्पादित कर सकें। इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षा और जूनियर हाई स्कूल के विषय में जो हमारे लक्ष्य थे उन तक भी हम नहीं पहुंच सके हैं और इससे भी हमें असंतोष ही होता है। शिक्षा मंत्री जी ने इस बात पर जोर दिया कि वैज्ञानिक शिक्षा के आधार पर हमें आगे बढ़ना चाहिये और विज्ञान को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देते हुये हम चलें, यह बिल्कुल ही वांछित और अभीष्ट लक्ष्य है और विज्ञान की, जैसी आज संसार में प्रगति हुई है उसी तरह से हमारे देश में उसकी प्रगति होनी चाहिये और विद्यार्थियों का उसकी ओर अधिक से अधिक रुझान होना चाहिये। लेकिन मैं बताऊं कि आगरा हायर सेकेन्डरी स्कूल में मैं गया तो मुझे बताया गया कि वहां लैब्स पर्याप्त नहीं हैं और वहां विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है और उन्हें साज-सज्जा पूरी नहीं मिल पा रही है। माध्यमिक स्तर पर या यूनिवर्सिटी स्तर पर विद्यार्थियों की संख्या इतनी बढ़ी है, फिर भी वहां विज्ञान के विद्यार्थियों के लिये ठीक प्रकार से साज-सज्जा की सुविधा होना चाहिये जिससे वे अध्ययन को पूरा कर सकें। शिक्षा हमारी संस्कृति का आधार है और उसमें भी जब पक्षपात की बात होती है तो बड़ा दुख होता है। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि जहां तक अनुसूचित जातीय विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने का प्रश्न है उनको नियमित रूप से छात्रवृत्ति मिलनी चाहिये और जो मेरीटोरियस या मेधावी छात्र हैं उनको उसमें शामिल न कर के उनको अलग से मेधावी छात्रवृत्ति देना चाहिये। जहां तक वैदेशिक शिक्षा का प्रबन्ध है वह केन्द्रीय सरकार करती है परन्तु प्रादेशिक सरकार उस शिक्षा के लिए लोन ग्रान्ट करती है। जो प्रादेशिक सरकार वैदेशिक शिक्षा के लिये लोन ग्रान्ट करती है उसमें भी उनके लिये अलग से प्राविधान होना चाहिए ताकि वह भी विदेश में जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें।

[श्री देवेन्द्रसिंह के पुकारे जाने पर]

श्री गिरधारीलाल (जिला वाराणसी)--

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपसे निवेदन करना है कि ऐसा व्यक्ति, जो बहुत कम बोलता है और ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता है, उसको बावजूद ३ घंटे तक खड़े होने के बोलने के लिये नहीं बुलाया जाता.....

श्री उपाध्यक्ष--

इतने समय में १–२ ही तो बोल सकते हैं....

श्री गिरधारीलाल---

या तो समय बढ़ायें, या हम समझेंगे कि हमें न बोलने के लिये विवश किया जा रहा है और हम सदन से चले जायं....

श्री देवेन्द्र सिंह (जिला नैनीताल)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने का अवसर प्रदान किया। शिक्षा का हमारे देश में और प्रदेश में बड़ा महत्व है। एक कृषि प्रधान देश होने के नाते देश में उद्योगों का अभाव होने के कारण हमें शिक्षा के ऊपर अधिक बल देना चाहिये और उसकी उन्नति से ही हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे यहां ८० प्रतिशत जनता देहात में निवास करती है। हमें अपने यहां के लिये ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहिये जिसके मातहत हम देहात की जनता का भी उपकार कर सकें और इस प्रगतिशील दुनिया के साथ वह भी अपने को आगे बढ़ा सके। यह एक बहुत गम्भीर विषय है। जिस शिक्षा के द्वारा हम आज अपने देश को दुनिया के देशों के साथ ले जा सकते हैं उस शिक्षा का आधार साइन्स होना चाहिये। साइंस की शिक्षा के आधार पर हम देश को मौजूदा परिस्थिति में दूसरे देशों के मुकाबले में आगे ले जा सकते हैं। आज तक हमारा जो शिक्षा का माध्यम रहा उसमें कई अवगुण विद्यमान थे। हमारी शिक्षा केवल क्लर्क या छोटी-छोटी नौकरियों के लिये या एक सीमित दायरे में बड़ी नौकरियां प्राप्त करने के लिये ही रही है। लेकिन आज हमें अपने आउटलुक को चेंज करना है, शिक्षा की बेसिक पालिसी को बढ़ाना है, एक नया मोड़ शिक्षा में लाना है और एक नया कदम उठाना है।

मान्यवर, शिक्षा की उन्नति के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम अच्छे टीचर्स प्राप्त कर सकें। जब तक अच्छे टीचर्स उपलब्ध नहीं होंगे तब तक हमारी शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं हो सकता है। आज हम देखते हैं कि जब देश में और कोई नौकरी नहीं मिलती है तो लोग इस विभाग में आते हैं। इसलिये हमें ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जिससे इस विभाग में अच्छे से अच्छा स्टफ आ सके और हमारे बच्चों को अच्छी तालीम मिल सके। हमारे अध्यापक बहुत ही लो पेड हैं जिनके ऊपर देश की बागडोर का दारोमदार है, देश का भविष्य उन पर निर्भर है और जिनके ऊपर बुनियादी तालीम की जिम्मेदारी है, वे वेतन कम होने की वजह से दिन रात रोजी के चक्कर में पड़े रहते हैं और उनका मन पढ़ाने में नहीं लग सकता है। इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं। मैं निवेदन करूंगा कि हमारी बुनियादी जड़, हमारी एजूकेशन की फाउंडेशन मजबूत हो और यह तभी हो सकती है जब नीचे के दर्जे के टीचर्स का वेतन अच्छा हो और वे क्वालीफाइड हों और उनके अन्दर एक ऐसी लगन होनी चाहिये जिससे हम एजूकेशन सिस्टम को बदल सकें।

मान्यवर, हमारे देश में जो इन १०-१५ सालों में शिक्षा में उन्नति हुई है वह सराहनीय है। मैं मंत्री जी को इसके लिये धन्यवाद देता हूं और आज से १५ साल पहले जो हमारी शिक्षा का स्तर था उस को देखें तो हमें पता लगेगा कि हम बहुत आगे बढ़ गये हैं। मान्यवर, तृतीय पंचवर्षीय योजना में पहाड़ी इलाके के लिये एक यूनिवर्सिटी का प्राविजन था और पिछले वर्ष हम मंत्री जी से मिले थे और उन्होंने बहुत सहानुभूतिपूर्वक विचार विमर्श किया था मुझे आशा है कि वे इस पर शीघ्र विचार करेंगे। हमारे यहां एक डिग्री कालेज गवर्नमेन्ट का था। उसका पहले वेतनक्रम बहुत अच्छा था जिसकी वजह से शिक्षा के बहुत अनुभवी लोग वहां आते थे और शिक्षा देते थे। लेकिन कुछ वर्षों से उस वेतनक्रम को कम कर दिया गया है जिसकी वजह से अच्छा स्टाफ दूसरे प्रदेशों में तथा अन्य यूनिवर्सिटीज में जाने लगा है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस बात को देखने की कृपा करें ताकि वहां पर जो अच्छा स्टाफ है वह बाहर जाने न पाये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो तीन चीजें आपके सामने रखूंगा। पिछले वर्ष एक टेक्नोलाजी स्कूल जिला नैनीताल में खुलने जा रहा था लेकिन नहीं खुल सका और वह किसी दूसरे प्रदेश में चला गया। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस प्रकार का कोई दूसरा इंस्टीट्यूट

खोला जाय। घोड़ाखाल में सैनिक स्कूल खोला जाय यह वहां की जनता चाहती है। सरकार इस ओर ध्यान देगी।

श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)--

श्री उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है परन्तु सरकार की दृष्टि से यह सबसे अधिक अपेक्षित विभाग है। इसकी उपेक्षा प्रान्तीय सरकार भी करती है और केन्द्रीय सरकार भी। आपत्कालीन स्थिति में अगर व्यय कम करने का विचार आये तो सबसे पहले शिक्षा व्यय में कटौती करने की ओर ही ध्यान गया जब कि अन्य विभागों में धन का दुरुपयोग निरन्तर जारी है। वास्तव में सरकार को शिक्षा नीति में आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तानाशाही देशों में बुलेट के भय से काम लिया जाता है, लेकिन जनतंत्र में अन्तरप्रेरणा से काम किया जाता है। इसलिये हमें जनतंत्र के लिये शिक्षा पद्धति को बिलकुल बदलना ही चाहिये। आज कल जो शिक्षा का स्वरूप है वह सूचनात्मक है और शिक्षात्मक बिलकुल नहीं है। शिक्षा के दोषों की ओर दृष्टिपात करते हुए जब अनुशासनहीनता की बात कही जाती है, शिक्षा के स्तर के गिरने की बात कही जाती है तो मैं कहता हूं कि आज के पाठ्यक्रम में यह व्यवस्था कहां है कि छात्रों के मानस में सद्गुणों का विकास शिक्षा के द्वारा किया जाय? कुछ सूचनायें विभिन्न विषयों द्वारा दी जाती हैं। इन सूचनाओं के लिये लिख कर परीक्षा उत्तीर्ण करना ही छात्र का एक मात्र ध्येय होता है चाहे टीचर्स द्वारा, चाहे नोट्स द्वारा इन्हें प्राप्त किया जाये या नकल कर दी जाय, छात्र के लिये किसी प्रकार कोई अन्तर नहीं होता। कहा गया है कि विद्यालयों में साज-सज्जा की कमी है। शिक्षक छात्रों की संख्या अधिक है इसलिए शिक्षा का स्तर गिर रहा है। लेकिन यदि शिक्षा के दृष्टिकोण में अन्तर नहीं आया तो चाहे कितनी साज-सज्जा दे दी जाय वह बेकार रहेगी। मैं ऐसे विद्यालयों के बारे में जानता हूं जहां साज-सज्जा पर्याप्त है और भी आवश्यक सब कुछ है लेकिन वे शिक्षा के अच्छे स्तर को कायम रखने में असमर्थ रहते हैं।

गांधी जी हमारी श्रद्धा के केन्द्र रहे हैं लेकिन हमने उनके प्रति श्रद्धा के मूर्तरूप को खद्दर पहनने तक ही सीमित रखा। वह भी उन कर्मचारियों को, जिनके हाथों में योजनायें दी जाती हैं न पहचान सके। हम गांधी जी के विचार न शिक्षा क्षेत्र में उपयोग में ला सके और न समाज रचना के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी तालीम, जिस पर शिक्षा का ऊपरी ढांचा निर्भर करता है। गांधी जी की एक महत्त्वपूर्ण देन है परन्तु हमने उसको ऐसा रूप दिया कि उसकी स्थिति उपहासास्पद हो गयी और गांधी जी के विचारों के प्रति यह भावना उत्पन्न हो गई कि अव्यवहार्य हैं। जब हम पंचशील, सह अस्तित्व तथा विश्वशांति की चर्चा करते हैं तो भारत की आत्मा मुखरित होती प्रतिभासित होती है, परन्तु हमारी शिक्षा वह भाव उत्पन्न नहीं कर पाती जिससे जन-जन में इस प्रकार की भावना ओत-प्रोत हो सके, ताकि राष्ट्र के पैमाने पर हम उसका वही उपयोग कर सकें। इस भावना के अभाव में हम राष्ट्रीय स्तर पर भी इन सिद्धान्तों को कार्यान्वित नहीं कर सकते। विश्व के पैमाने पर प्रयोग करने की तो बात ही क्या? भ्रष्टाचार, लूटमार, डकैती, अनेक प्रकार की बेईमानियां बढ़ रही हैं। अगर उनको दूर किया जा सकता है तो केवल सद्गुणों का विकास करके, और उसके लिये एक मात्र साधन शिक्षा ही हो सकती है। हम केवल कानून के द्वारा ऐसा समाज नहीं बना सकते जो भ्रष्टाचार विहीन हो। मैं शिक्षा क्रम को तीन भागों में विभाजित करता हूं। प्राइमरी, माध्यमिक और उसके बाद की प्रोफेशनल शिक्षा या यूनिवर्सिटी शिक्षा। हमारी प्रारम्भिक शिक्षा का उद्देश्य बालक के मन और मस्तिष्क को परिष्कृत और संस्कारित करना होना चाहिये। वह लचीला बने, सहिष्णु बने, जिससे साम्प्रदायिकता, जातीयता तथा प्रान्तीयता जैसे विनाशकारी तत्वों से हमारा समाज बच सके और हम भावनात्मक एकता के मार्ग पर आगे बढ़ सकें। दूसरे किशोरावस्था में हम गणित और साहित्य की शिक्षा पर बल देना चाहिए। साथ ही साथ प्रत्येक विद्यार्थी को व्यावहारिक विज्ञान की शिक्षा भी देनी चाहिए। विज्ञान को वहां पर हमें टेकनिकल नहीं बना देना चाहिए। जब कुछ लोग कहते हैं कि हमें ऐसे मनोवैज्ञानिक रखने चाहिये कि जो

[श्री बसन्तसिंह]

शिक्षा के लिये यह निर्णय करें कि विद्यार्थी सामाजिक विषयों को ले या वैज्ञानिक विषयों को ले तो मेरा कहना है कि माध्यमिक स्तर तक हम सब को एक ही शिक्षा दें, उसमें सामाजिक विषय गौण रहें और गणित साहित्य और साइंस को प्राधानता दें जिससे छात्रों के मस्तिष्क का विकास हो सके। दूसरे इसके साथ-साथ उनके शारीरिक विकास की तरफ भी हम ध्यान दें। उनका एकांगी विकास ही न हो, क्योंकि यदि मस्तिष्क का ही विकास किया गया और शारीरिक विकास नहीं हुआ तो स्वस्थ नागरिक का निर्माण सम्भव नहीं हो सकेगा। बलवान शरीर में ही बलवान मस्तिष्क रह सकता है। आज हम देखते हैं कि हमारे कर्मचारी शारीरिक श्रम से जी चुराते हैं। जो काम दिया जाता है उसमें वह अकर्मण्य सिद्ध होते हैं। इस अभाव को तभी दूर किया जा सकता है जब हम उनको शारीरिक श्रम करने के लिए अभ्यस्त करें। माध्यमिक शिक्षा के पश्चात् छात्र जिस प्रोफेशन में उसकी रुचि हो जाय। यदि कोई इंजीनियरिंग में जाना चाहता है तो इंजीनियरिंग में जाय, डाक्टरी में जाना चाहता है तो डाक्टरी में जाय। यूनिवर्सिटी की शिक्षा केवल उनके लिए रखी जाय जो अनुसन्धान करना चाहते हों या जिनकी प्रवृत्ति अध्ययन करने की तरफ हो। हर एक को युनिवर्सिटी में धक्का दे कर जो हम बेरोजगारों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं यह काम अत्यन्त भयावह स्थिति का निर्माण कर देगा।

हमारे विद्यालयों में आज जो इतिहास पढ़ाया जाता है वह वही इतिहास है जो घृणा और विद्वेष पैदा करने के लिए अंग्रेज लेखक लिख गए हैं। हिन्दुस्तान का जो वास्तविक इतिहास रहा है उसे खोजने और पढ़ने की ओर हमारा ध्यान नहीं गया। जो हमारे स्कालर्स हैं उन्हीं अंग्रेजों के दिए हुए चश्मे से उस को देखते रहे हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि जो हमारा विशुद्ध भारतीय इतिहास है उसकी शिक्षा देने का हम प्रबन्ध करें। इतिहास के अध्ययन द्वारा राजाओं के युद्ध और घटनाओं की तिथियों पर बल न दे कर हम तत्कालीन सामाजिक स्थिति और तत्कालीन सन्तों और धार्मिक पुरुषों के विचारों का अध्ययन विशेषरूप से करायें। व्यवहारिक विज्ञान की शिक्षा को माध्यमिक स्तर तक हम अनिवार्य रखें। विज्ञान की शिक्षा में जो आउट आफ डेट थ्योरीज हैं उनको पढ़ाकर हम वृथा श्रम और शक्ति का दुरुपयोग न करें।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे ऐसी सूचना है, मैं नहीं कहता कि ठीक है या गलत, लेकिन मालूम हुआ है कि एजूकेशन ऐक्ट में कुछ संशोधन प्रबन्धकों के पक्ष में करने का सरकार विचार कर रही है। हमारे जो शिक्षा मन्त्री हैं उनके प्रति शिक्षकों में ऐसी भावना है कि वे मैनेजमेंट के एजेंट की हैसियत से काम करते हैं। शिक्षकों को जो सुविधायें दी गई हैं अगर उनको हटाने की बात की गई और चन्द मैनेजरों की जो मानोपली है उनकी जो जमीदारी है, उसको कायम करने की बात की गई तो यह बहुत बड़ा अन्याय होगा।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि सही रूप में शिक्षा की तरफ ध्यान दिया जाय और यह तब तक नहीं हो सकता जब तक कि प्राइमरी शिक्षक का वेतन कम से कम १०० रुपया प्रति मास न कर दिया जाय। आज उनकी यह दशा है कि चपरासी से भी कम उनका वेतन है। ऐसी दशा में शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने की बात करें और अन्य लम्बी चौड़ी बात करें, तो यह सब निरर्थक है।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटा बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि सदन का समय आधा घंटा बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*श्री गिरधारीलाल (जिला वाराणसी)--

उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश के जन जीवन से सम्बन्धित इस महत्वपूर्ण अनुदान पर मैं अपने विचार प्रकट करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, आज शिक्षा से सम्बन्धित जितने भी विचार इस सदन में पेश किये गये प्रायः सभी लोगों ने इस बात की आवश्यकता को महसूस किया कि प्रदेश में हमारी आबादी को देखते हुए शिक्षा का जो प्रसार है वह बहुत ही कम है, लेकिन आज हमको अपने उन सीमित साधनों की तरफ दृष्टिपात करते हुए यह दृष्टिपात करना है कि इस १५ सालों में हमने कितनी प्रगति की है। श्रीमन्, यह तो सही है कि इस थोड़े से समय में प्रारम्भिक शिक्षा की पाठशालाओं और स्कूलों में काफी वृद्धि और काफी प्रसार हुआ है, लेकिन हमें यह भी मूल्यांकन करना है कि जैसी भी प्रगति शिक्षा के प्रसार में हुई है क्या हम अपने उस वास्तविक लक्ष्य तक पहुंच पाये हैं? हमें इस अनुदान पर विचार करते हुये किसी भी पार्टी, किसी भी राजनीतिक तथा किसी भी दलगत भावना से इस पर दृष्टिपात नहीं करना चाहिये और मैं यह जानता हूं कि जब हम मन को स्थिर करके और निश्चितरूप से विचार करेंगे तो हमारी आत्मा के भीतर से यही उत्तर मिलेगा कि जो सन्तोषजनक प्रगति होनी चाहिये वह नहीं हुई है। उसका क्या कारण है? आज अभी इस बात पर विचार करते हुये माननीय श्रद्धा जी ने यह विचार प्रकट किया था कि जब हमारे आन्दोलन का समय था उस समय हमारे यहां बुनियादी शिक्षा की बात उन्होंने की और उन्होंने बापू जी का नाम भी लिया। मैं नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस विचार को लेकर सन् १९२० से लेकर सन् १९४२ तक २२ वर्ष के कार्यकाल में इस बुनियादी शिक्षा में कितना प्रवेश किया और लोगों के हृदय पर कितना उसका असर पड़ा? इस १५ वर्ष में जब कि हम स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके हैं हमको आजादी की लड़ाई नहीं लड़नी है बल्कि सब काम अपने द्वारा ही करना चाहते हैं। तो कितने आगे बढ़े हैं? मुझे यह विवश हो कर कहना पड़ता है कि जो शिक्षा सत्य और अहिंसा पर आधारित थी उस समय की सामाजिक मान्यताओं ने उस को चेतावनी दी। आज जब हम आजाद हुये हैं और हमने जिन सामाजिक मान्यताओं पर विजय प्राप्त की थी, आज हम उन सामाजिक मान्यताओं को खो चुके हैं। आज हमारा सामाजिक लक्ष्य बदल चुका है। मैं नम्रता के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक इन मान्यताओं की तरफ विचार नहीं किया जायगा तब तक समाज की दृष्टि दूसरी तरफ नहीं जायगी। तो उसी उद्देश्य को ले कर हम यहां पर विचार कर रहे हैं परन्तु उसमें सफल नहीं होंगे।

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज प्रारम्भिक शिक्षा की बड़ी बात की जाती है, लेकिन हम और आप सब यह जानते हैं कि आये दिन इसी सदन में इस बात के प्रश्नोत्तर होते रहे कि अमुक जिले की प्रारम्भिक पाठशालाओं के अध्यापकों का वेतन नहीं मिला, अमुक जिले की परिषद् ने ४, ६ महीने से प्रारम्भिक स्कूलों के अध्यापकों का वेतन नहीं दिया। मैं यह जानता हूं कि मेरे जिले में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों को ६ महीने और ७ महीने से वेतन नहीं मिला। तो क्या हम छोटी तनख्वाह पाने वाले लोगों से यह आशा कर सकते हैं कि उनको ४, ४ और ५, ५ महीने तक तनख्वाह न दें और इतना अल्प वेतन पाने वाले हमारे बच्चों को उच्च शिक्षा दें और वे विद्यार्थी शिक्षा पाकर आगे बढ़ कर इतने बड़े आदमी बन जायं कि उनके विचारों में आमूल परिवर्तन हो जाय और वे सब से अच्छे नागरिक बन जायं? हमको इस बात पर विचार करना चाहिये कि कौन से ऐसे क्रान्तिकारी कदम उठायें जायं जिससे हमारे बच्चे भविष्य में अच्छे नागरिक बनें और वे हमारे विचारों के साथ बढ़ें जिससे हमारे देश की सुरक्षा हो और वे हमारे देश के अच्छे नागरिक बने। मैं आप के द्वारा सदन का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं कि आज प्रायः सभी लोग यह जानते हैं कि सभी शहरों में आज शिक्षा प्राप्त बी० ए० और एम० ए० विद्यार्थी हजारों की संख्या में समाचार पत्रों में विज्ञापन होते ही आवेदन पत्र भेजते हैं, लेकिन मैं यह कहता हूं कि कि मुनीमी शिक्षा प्रणाली में उनको बहुत दिनों तक शिक्षा नहीं देनी पड़ती है। आपको

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गिरधारीलाल]

१००–१५० के दूसरी जगहों के लिये हजारों आवेदन पत्र मिलेंगे, परन्तु ५०० रुपये का कोई भी आप को मुनीमी का काम सीखा हुआ मुनीम नहीं मिलेगा। मेरा तो समय समाप्त हो रहा है। मैंने तो इसके पूर्व भी आचार्य जी से निवेदन किया था कि आप इस तरह से कार्यक्रम बनायें कि १०वीं कक्षा के बाद विद्यार्थी को मुनीमी की शिक्षा दें। आप देखें कि देश में हजारों की संख्या में दूकानदार हैं, उत्पादक और इन्डस्ट्रियलिस्ट्स हैं। उनको मुनीमों की आवश्यकता रहती है। उस मुनीमी शिक्षा का करीकुलम का सीधा समावेश उस १० वीं कक्षा में कर दें। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि आप की यह योजना सफल होगी। मैंने तो स्वयं ही मुनीमी की शिक्षा पाई है और पाठशाला भी चलाई है। मुझे प्रसन्नता है कि मेरा कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं रहा जो कि सफल न रहा हो। हमारे यहां से हजारों विद्यार्थी निकले जो कि आज बड़े अच्छे-अच्छे रोजगारी हैं। शायद ही कोई ऐसा हो जो २५–३० साल के बाद भी मुनीमी करता हो। उनमें से अधिकतर व्यापारी हो गए हैं। इसलिए आप अपने दृष्टि-कोण को बदलें।

हमारे यहां यूनिवर्सिटीज को कायम करने की बात बहुत सोची जा रही है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज कायम भी की गई हैं। हमारे बनारस में यूनिवर्सिटी है, काशी विद्यापीठ है तथा गोरखपुर से संबंधित और बहुत से दूसरे कालेजेज हैं। मैं यह चाहूंगा कि आप एक एक विषय एक एक विश्वविद्यालय को दे दें। हिस्ट्री, पालिटिक्स और इकनामिक्स एक यूनिवर्सिटी को दें और इन्जीनियरिंग, टेकनालोजी दूसरी को दें। जो साइंस का कार्यक्रम है वह बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी को दे दें। संस्कृत को संस्कृत यूनिवर्सिटी को दे दें। ऐसा करने से आप को यह अनुभव होगा कि धन और समय दोनों की ही बचत हो रही है। इसमें विद्यार्थियों का भी लाभ होगा। मैं यह आशा करता हूं कि मेरे इस सुझाव पर सरकार ध्यान देगी। यदि उचित समझें तो इस पर कोई कमेटी निर्धारित करें जो कि जांच कर के उचित कदम और क्रांतिकारी कदम इस दिशा में उठावे। मुझे विश्वास है कि इससे हमारे प्रदेश में काफी उन्नति होगी।

श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव की ताईद में खड़ा हुआ हूं। एक शिक्षा शास्त्री ने कहा है कि शिक्षा का तात्पर्य हमारा उस क्रिया से है, जो मनुष्य को इस योग्य बनाती है कि वह समाज का उपयोगी प्राणी बन सके। शिक्षा वह कार्य है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है।

हमारे माननीय सदस्य जगदीश जी ने कहा कि यूनिवर्सिटीज में जब विद्यार्थी हाई स्कूल और इन्टर पास करने के बाद इतनी अधिक संख्या में आते हैं तो उसकी वजह यह है कि उनके सामने उनके जीवन के दरवाजे बन्द रहते हैं। वह सोचता है कि दो साल में बी० ए० कर लो। उसके करने के बाद फिर वह सोचता है कि एम० ए० कर लो फिर वह सोचता है कि चलो पी० एच० डी० कर लिया जाय। कोई जीवन का उसके सामने ध्येय नहीं रहता है। माननीय चन्दजीत जी ने कहा कि हमारी शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। परीक्षाओं के समय लड़-कियों के साथ छेड़खानी की जाती है। जो टीचर हैं उनके ऊपर छुरेबाजी की जाती है। हमारे उप-शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा कि हमारी शिक्षा का कोई लक्ष्य ही नहीं है। संख्यात्मक परिवर्तन तो हो सकता है, लेकिन गुणात्मक परिवर्तन नहीं हो सकता है। आगे चलकर उसी सांस में वह कहते हैं कि हमने समाजवादी समाज की रचना का संकल्प किया है। मुझे तो बड़ी हैरत होती है कि एक जिम्मेदार मन्त्री जब शिक्षा के बारे में इस तरह की धारणायें रखते हैं तो क्या होगा।

हमारे विरोधी दल के सदस्यों ने यह आलोचना की कि हमारी शिक्षा की कोई भी दिशा नहीं है। यह अपनी जगह पर बिलकुल ठीक है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति में और आपकी शिक्षा पद्धति में कोई

आपके ही शब्दों में गुणात्मक परिवर्तन हुआ है या नहीं ? इसके लिये एक एजूकेशन कमेटी बनी हुई है, मगर उसकी शायद ही कभी साल में मीटिंग होती हो और अगर कोई होती भी है उसमें खुल कर डिस्कशन नहीं होता ।

हमारे मंत्री जी कहते हैं कि शिक्षा का कोई लक्ष्य ही नहीं होता है । श्रीमन्, जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, गांधी जी ने शिक्षा के ५ लक्ष्य निर्धारित किये थे । वे थे——शिक्षा और घरकी दुनिया में मेल होना चाहिये, शिक्षा अधिकतर जनता की जरूरतें पूरी करने वाली होनी चाहिये, नीचे के प्राथमिक दर्जे के शिक्षक जरूर चरित्रवान होने चाहिये, शिक्षा मुफ्त होनी चाहिये और शिक्षा की व्यवस्था पर जनता का अंकुश होना चाहिये ।

इसके अलावा श्रीमन्, बहुत से भाइयों ने बहुत सी बातें कहीं । मैं शिक्षा को दो हिस्सों में एक तो प्राइमरी स्कूल से लेकर इन्टर कालिजों की शिक्षा तक तथा दूसरी को यूनिवर्सिटी की शिक्षा में बांटता हूं । मैं जिन्दगी के तजुर्बे से जानता हूं कि प्राइमरी स्कूलों के लिये जब टीचर्स का चुनाव होता है तो शुरू से ही उनमें राजनीति घुस जाती है । उनका चुनाव उनकी योग्यता के आधार पर नहीं होता, बल्कि जातिवाद, या जो जिला परिषद् के अध्यक्ष की राजनीति के साथ जो होता है, उन्हीं को चुना जाता है । इसका नतीजा यह होता है कि जिन्दगी भर जब तक वे टीचर्स रहते हैं चेयरमैन तथा उन्हीं के लोगों की खुशामद में लगे रहते हैं। चुनाव के मौके पर कांग्रेस उम्मीदवारों की ही तरफ से वे प्रचार करते हैं जिसके कारण शिक्षा का स्तर शुरू से ही गिर जाता है । (लाल बत्ती होने पर) कुछ समय तो और दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष——

आप दो मिनट में समाप्त कर लें ।

श्री रामसुन्दर शास्त्री——

तो मैं अब तीन चार सुझाव ही दूंगा । टीचर्स की भर्ती दलबन्दी के आधार पर न हो, बल्कि योग्यता के आधार पर हो । टीचर्स के वेतनक्रम में बढ़ोत्तरी हो । प्राइमरी तथा मिडिल स्कूलों की खराब दशा को संभाला जाय, वहां पर बिल्डिंग्स और फर्नीचर आदि का प्रबन्ध किया जाय । पार साल लखपतराम शर्मा ने कहा था नक्शा, मीटिंग और सलाम यह तीन काम प्रारम्भिक स्कूलों के रह गये हैं । श्रीमन्, यह नहीं होना चाहिये । ८ वीं कक्षा तक निशुल्क शिक्षा होनी चाहिये, जैसा कि पहले आपने ऐलान भी किया था जब कि आज ६ठवीं तक ही दी जाती है । हरिजनों तथा बैकवर्ड क्लास की छात्रवृत्ति समय से मिलनी चाहिये । हरिजन स्कूलों को भी साल के अन्त में देर करके सहायता दी जाती है, यह नहीं होना चाहिये । उच्च-शिक्षा बहुत मंहगी पड़ती है । हायर सेकेंड्री स्कूलों की मान्यताओं का आधार वही पुराना है जैसे जनता को बिल्डिंग तथा कुछ फंड की व्यवस्था करनी लाजमी होती है । इससे पिछड़े क्षेत्रों में बड़ी दिक्कत होती है । नये डिग्री कालेजों को उनके शिक्षा काल में आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है, लेकिन उनको तीन साल के बाद ही सहायता दी जाती है । मैनेजमेंट टीचर्स को पे कम देता है और रजिस्टरों में ज्यादा पे दिखाई जाती है । हर जिले में डिग्री कालेज होना चाहिये । अब मैं यूनिवर्सिटी एजूकेशन के बारे में २–३ बातें कहूंगा । पहली बात यह है कि हमारे प्रदेश का स्तर दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में पिछड़ा हुआ है और पिछड़ता जा रहा है । दूसरी बात यह है कि यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन जब कि दूसरे प्रदेशों की यूनिवर्सिटीज को १८ और १४ लाख रुपया देता है, हमारे प्रदेश की यूनिवर्सिटीज को कम देता है । इस ओर मंत्री जी ध्यान दें ।

आल इंडिया सर्विसेज में यू० पी० के कैंडिडेट बहुत कम आते हैं । दूसरे सूबों के मुकाबले में आई० ए० एस० और आई० पी० एस० में हमारे सूबे के लोग बहुत कम आ पाते हैं । यू० पी० की चार यूनिवर्सिटीज में रिसर्च वर्क बहुत कम होता है । एप्लाइड रिसर्च का वर्क तो होता ही नहीं । रिसर्च का स्तर ऊंचा होना चाहिये । हमारे यहां पर एक अध्यापक पर विद्यार्थियों का औसत ५०–६० आता है ज्यादा तादाद होने से टीचर्स स्टूडेन्ट पर अपनी पूरी अन्टेशन नहीं दे पाते, भीड़ हो जाती है जबकि दूसरे प्रदेशों में २५–३० ही आता है । आज

[श्री रामसुन्दर शास्त्री]

की यूनिवर्सिटीज गुटबाजी का अखाड़ा बनी हुई है और सरकार के खास खास लोग उसमें खुल्लमखुल्ला हिस्सा लेते हैं। सरकार को चाहिए कि यूनिवर्सिटीज की आटोनामी को कायम रखते हुए कम से कम दखल दे। यूनिवर्सिटियों की कमेटियों में सरकारी नामिनी दखल देते हैं। इस प्रकार का दखल बन्द होना चाहिये। यूनिवर्सिटीज में रिचर्स का स्तर ऊंचा होना चाहिए, नई नई फैकल्टीज हों तथा अप्लाइड रिसर्च होने चाहिए।

माननीय शिक्षा मंत्री जी से मैं दरख्वास्त करूंगा कि बजट के समय पर तो बहुत कम समय मिल पाता है विचार करने के लिये इसलिये शिक्षा समिति की साल में कम से कम २--३ मीटिंग्स बुलाई जायं जिससे वहां जम कर बहस हो सके और हम शिक्षा की दिशा के बारे में किसी नतीजे पर पहुंच सकें।

*श्रीमती सियादुलारी--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत शिक्षा के अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूं। मैं सदन के सदस्यों से यह निवेदन करना चाहती हूं कि यह तो सभी शिक्षा के विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी भी व्यक्ति की मानसिक, नैतिक और शारीरिक उन्नति के लिये शिक्षा अत्यन्त आवश्यक है और इसी के द्वारा समाज, प्रदेश और राष्ट्र का कल्याण हो सकता है।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान नर्सरी स्कूलों की ओर दिलाना चाहती हूं। इन स्कूलों का शिक्षा में विशेष स्थान है। यह सच है कि वे काफी संख्या में हमारे प्रदेश में कार्य कर रहे हैं, लेकिन वे अभी अपर्याप्त हैं और उनमें पढ़ने वाले बच्चे की संख्या बहुत ही सीमित है। प्रदेश में जब कि एक करोड़ बच्चे हैं, इन स्कूलों को केवल १५ लाख रुपया ही अनुदान दिया जाता है जो बहुत ही कम है। जिन बच्चों के माता पिता सामाजिक अथवा राजनीतिक सेवाओं में अथवा किसी और प्रकार के जीविकोपार्जन में लगे रहते हैं और जिनको अपने बच्चों की देख रेख करने का अवसर नहीं मिलता, ऐसे बच्चों के लिये नर्सरीज स्कूल बहुत लाभदायक हैं, उनके लिये इनको अनिवार्य कर दिया जानता चाहिये। जहां तक संभव हो सके नर्सरी स्कूलों की शिक्षा को भी मुफ्त कर दिया जाना चाहिये क्योंकि उनके अधिक खर्चे के कारण गरीब लोगों के बच्चे उनसे लाभ नहीं उठा पाते। सरकार की यह घोषित नीति है कि कक्षा १ से लेकर ६ तक की शिक्षा निःशुल्क होगी, लेकिन यह दुःख की बात है कि नर्सरी स्कूलों में लंबी लंबी फीस ली जाती है। उनको सरकारी अनुदान बड़ी संख्या में मिलना चाहिये जिससे वहां पर एजूकेशन फ्री हो सके और गरीबों के बच्चे भी पढ़ सकें और उनको भी भारत की आजादी की जिन्दगी में सांस लेने का मौका मिल सके।

जहां तक प्राइमरी शिक्षा का संबंध है, इसकी महानता इसी से मालूम होती है कि इसकी नींव बापू ने डाली थी और इसकी पूर्ति के लिये उन्होंने बेसिक शिक्षा चलाई थी। उनके उस लक्ष्य की पूर्ति तो दूर रही, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि प्राइमरी शिक्षा की स्थिति बड़ी नाजुक चल रही है। अगर प्राइमरी स्कूलों के लिये सामान है तो उनके लिये भवन नहीं है और यदि कहीं जीर्ण शीर्ण अवस्था में भवन हैं तो उनके लिये सामान ही नहीं है। यहां तक कि अध्यापकों के बैठने के लिये कुर्सी टेबिल तक का प्रबन्ध नहीं होता है और वे गांव से टूटी फूटी खाट लाकर उस पर बैठ कर बच्चों को पढ़ाते हैं जो कि स्वतंत्र भारत के नागरिकों के लिये चरित्र निर्माण का काम करते हैं। जो बच्चा आज विद्यार्थी है वही कल शासक होगा, उनके सामने ऐसी गरीबी के उदाहरण हैं। मेरा निवेदन है कि कम से कम प्रत्येक स्कूल के लिये वह सामान जरूर दिया जाय जो कि आवश्यक हो।

दूसरी बात मुझे यह निवेदन करनी है कि हमारी सरकार बेसिक स्कूलों के लिये जो कंटिजंसी देती है उसका सही इस्तेमाल नहीं होता है। वह रुपया अध्यक्ष और सरकारी अधि-

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कारियों की गड़बड़ी की वजह से लैप्स हो जाता है और सरकार की ओर से जिस लक्ष्य के लिये वह रुपया मिलता है उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। मुझे इस बात की खुशी है कि सरकार महिला शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दे रही है। प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने के लिये ग्रामीण पाठशालाओं में जो भी अध्यापिका जायेंगी, ट्रेंड को १५ रुपये और अनट्रेंड को १० रुपये प्रति मास की सहायता दी जायगी, उनके रहने के लिये भवन दिया जायगा। इस तरह से हमारी बहनें वहां कार्य करने के लिये आकर्षित होंगी, और यह भी है कि शिक्षा के कार्य में उनका अधिक से अधिक सहयोग बना रहेगा। लेकिन इसमें एक बड़ी बाधा जो पड़ती है वह यह कि सरकारी नियम यह है कि स्त्री और पुरुष दोनों यदि शिक्षा विभाग में कार्य करते हैं तो दोनों को एक ही स्थान पर रखा जाय, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी महिला अध्यापिकायें जिन के पति स्वयं शिक्षा विभाग में कार्य करते हैं, नियमों के होते हुए भी एक जगह नहीं रखे जाते। यदि यह सुविधा शिक्षा विभाग की ओर से उन्हें दी जाय तो बहनों को कार्य करने में भी सुविधा होगी और बहुत-सी बहनें शिक्षा विभाग में आने के लिये आकृष्ट होंगी।

माननीय मंत्री जी से एक निवेदन मुझे यह भी करना है कि आये दिन सरकार के सामने परीक्षा व परीक्षा के पेपर आउट होने की समस्या आती रहती है। और भी अनेकों प्रकार की गड़बड़ियां होती रहती हैं, इसलिये मैं कहती हूं कि इस परीक्षा के सिस्टम को ही चेंज कर दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। अभी वर्ष में एक परीक्षा होने से सिर्फ चांस की बात रहती है, लेकिन रेगुलर स्कूलों में प्रति मास परीक्षा हो और प्रतिमास के नम्बर जोड़े जायं तो अधिक उत्तम होगा।

माननीय शिक्षा मंत्री जी से मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि बालिकाओं की शिक्षा के लिये कुछ स्थानों पर कोई विशेष सुविधा नहीं दी जा सकी है। बुन्देलखंड-बांदा के मऊ करबी सब डिवीजन की बात मैं बतलाती हूं जहां केवल ४ जूनियर हाई स्कूल हैं। वर्षों से वहां लड़कियों के लिये एक हायर सेकेंडरी स्कूल खोलने की मांग की जा रही है लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अब तक वहां वह स्कूल नहीं खुल सका है। माननीय मंत्री जी से नम्र निवेदन है कि आधे जिले के उस भूभाग के लिये एक हायर सेकेंडरी स्कूल का होना आवश्यक है।

जहां तक बेसिक प्राइमरी स्कूलों में ट्रेंड अध्यापकों के रखने की बात है, वहां एच० टी० सी० ट्रेंड अध्यापक ही रखे जाते हैं। अब तक उसका कोर्स दो साल का है, लेकिन मेरा सुझाव है कि यह कोर्स दो साल के बजाय एक साल का कर दिया जाय। क्योंकि स्वयं माननीय मंत्री जी ने भी अपने भाषण में कहा कि हमारे यहां अध्यापकों की बड़ी कमी है और आशा है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी वह कमी पूरी होने वाली नहीं है, क्योंकि स्कूलों के साथ साथ विद्यार्थियों की संख्या भी दिन पर दिन बढ़ रही है। तो इस दिशा में समुचित कदम उठाने के लिये मेरा निवेदन यह है कि एच० टी० सी० का कोर्स एक साल का कर दिया जाय। साथ ही साथ मेरा दूसरा सुझाव यह है कि टीचर छात्रों को होस्टल में रहने के लिये ही कम्पलसरी कर दिया जाय क्योंकि सरकार की ओर से प्राप्त ट्रेनिंग का पर्याप्त फायदा वे नहीं उठा पाते। उपाध्यक्ष महोदय, बहुत से छात्र १०–१२ मील दूर से स्कूल आते हैं, और रोज अपने घर वापस चले जाते हैं, इससे ट्रेनिंग का जो समुचित लक्ष्य है वह पूरा नहीं हो पाता। इसलिये विभाग की ओर से यह अनिवार्य कर दिया जाय कि पढ़ने वाले जो भी टीचर्स छात्र आवें उनको बोर्डिंग में रहना होगा। मेरा यह भी निवेदन है कि ट्रेनिंग स्कूल्स ऐसे स्थानों पर खुलें जो कस्बे में हों, कम से कम वहां आवागमन के साधन हों और उनकी सुविधा हो।

अन्त में मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहती हूं कि इमरजेंसी के कारण विभाग में विशेष कटौतियां की गयी हैं लेकिन एक कटौती ऐसी है जो सभी को खल रही है। जहां तक ऐडीशनल डिप्टी इंस्पेक्टरों की बात है वह ठीक है उनकी कटौती होने से कोई विशेष नुकसान नहीं होगा, लेकिन जहां तक असोशियेट इंस्पेक्टर्स की बात है मैं समझती हूं कि उससे बड़ा भारी नुकसान हुआ है। इतना शिक्षा का कार्य बढ़ गया है कि इन्सपेक्टर्स अकेले उस

[श्रीमती सियादुलारी]

कार्य को नहीं देख सकते । इसलिये आवश्यक है कि कम से कम असोशियेट इंस्पेक्टर्स जरूर रहें । इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं और विरोधी दल की ओर से जो प्रस्ताव है उसका विरोध करती हूं ।

*श्री हरीशकुमार गंगवार--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस तरफ और उस तरफ बैठने वाले महानुभावों का अत्यन्त आभारी हूं जिन्होंने कि इस विवाद में भाग लिया । इस बात से मेरा पक्ष और भी मजबूत हुआ कि उधर के बैठने वाले सरकारी पक्ष के जो महानुभाव हैं उनमें से ९० प्रतिशत ने मेरी कटौती के प्रस्ताव का समर्थन ही किया है । उन्होंने भी अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिये और उन सुझावों के लिये मैं बड़ा आभारी हूं । मैं दो तीन बातें और कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा ।

एक तो यह कि जो हमारा यूनिवर्सिटी का एजूकेशन है, उसमें जैसा कि पहले प्रश्न भी किया गया और उस पर माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासन भी दिया कि जांच समिति की रिपोर्ट सदन मे वितरित की जायगी, जहां उच्च शिक्षा दी जाती है ऐसे विद्यालयों में जो अनियमिततायें हैं, गड़बड़घोटाले हो रहे हैं उनकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिये और उनके ऊपर बड़ा अंकुश रहना चाहिये, क्योंकि जब यह उच्च शिक्षा के केन्द्र ही गड़बड़घोटाले के केन्द्र बन जायेंगे तब निश्चित रूप से शिक्षा का ह्रास होगा, शिक्षा में जो भ्रष्टाचार कम था उसको बल मिलने लगेगा ।

दूसरी बात यह है कि जो बी० टी० और बी०एड० की कक्षाओं में ८,९ मास का कोर्स रखा गया है, लेकिन अगर हम व्यापक दृष्टि से देखें तो जो हम एल० टी० में कोर्स देते हैं उससे इनका स्तर बहुत कम है और जितना हम किसी विद्यार्थी से एल० टी० में आशा करते हैं उसके मुकाबले में यहां परिश्रम कम होता है । नतीजा यह होता है जो बी० टी०, या बी० एड० पास करने वाले अध्यापक निकलते हैं वे अनुशासन की दृष्टि से उन लोगों से नीचे स्तर के अकसर हो जाते हैं जैसे कि हम एल० टी० क्लास में लोगों को देखना चाहते हैं । इसलिये उनके पाठ्यक्रमों में वैसा और उतना ही कोर्स होना चाहिये जिससे उनका यह विचार कि बी० टी० और बी० एड० बहुत जल्द ही पास कर लेंगे ज्यादातर उन्हीं में प्रवेश लेने की चेष्टा करते हैं यह मनोवृत्ति उनकी कुछ कम हो ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स के वेतन बढ़े जैसा कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स का वेतन ४९, ५७, ६२ में तीन बार बढ़ा लेकिन वहां जो मिनिस्टीरियल और टेकनीकल स्टाफ है उसका वेतनक्रम ४९ से एक ही चला आ रहा है । वही ६० और १५० रुपये की दर उनके वेतन में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई । तो उनको इस ओर ध्यान देना चाहिये । हाई स्कूल और इंटरमीडियेट का जो स्टाफ है उसके लिये माननीय सदन में काफी विस्तार से बातें कह दी गयी हैं इसलिये मैं उसके कहने की आवश्यकता नहीं समझता ।

एक बात और जेनरल है । माननीय मंत्री महोदय ने ग्रेजुएट को एन० सी० सी० ट्रैनिंग देने के लिये जो बात कही । तो आज वह बात है और मैं इसका स्वागत करता हूं कि उसको व्यापक रूप देना चाहिये । दूसरे यह जो मिलिटरी ट्रेनिंग के लिये १ करोड़ २२ लाख रुपया रखा गया है यह भी बहुत अच्छी चीज है और वह होना चाहिये । इसकी आवश्यकता को हम बहुत दिनों से महसूस करते थे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अभी हमारी जितनी आवश्यकता है उसकी पूर्ति इससे न होगी । इसका कारण यह है कि हमने देहात को बिलकुल नेगलेक्ट किया है और मिलिटरी ट्रेनिंग के सेन्टर्स को हमने शहर तक ही सीमित रखा है और उसको देहात तक पहुंचाने का अभी कोई व्यापक रूप नहीं दिया गया है । कई इन्टर कालेजेज

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

में, जो देहात में हैं, मिलिटरी ट्रेनिंग का प्रबन्ध नहीं किया गया है जिस तरह से कि शहर में हो रहा है। अगर देहात में भी इसकी सुविधा दी जायगी तो वहां भी अनुशासन पैदा होगा और जनता में देश के प्रति एक भावना जागृत होगी, वह समझेंगे कि देश के संकट के समय में हमें भी अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिये।

एक बात मैं और कहूंगा। माननीय मंत्री जी ने मिड-डे-मील की बात कहकर हमारे दिल में एक प्रसन्नता की लहर सचमुच दौड़ाई, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने यह भी लगा दिया कि यदि हो सका तो। यदि न हुआ, तो फिर किस का लाभ होगा। अगर उन्हें करना है तो साफ कहें कि मिड-डे-मील का प्रबन्ध इतने दर्जे में कर सकेंगे। इससे तो यह अच्छा होता कि वह कहते कि हम सातवें और आठवें दर्जे की फीस माफ कर देंगे, उससे जनता को ज्यादा राहत मिलेगी।

इसके अलावा संस्कृत विद्यालयों की जो दुर्दशा है वह इतनी शोचनीय हो गई है कि उसकी ओर हमारा ध्यान जाना चाहिये, वह हमारी संस्कृति के केन्द्र हैं और उनमें से हमें बड़ी प्रेरणा मिली है और प्राचीन पुस्तकों का सारा ज्ञान हमें इसी भाषा के द्वारा अर्जित हुआ है और हमारी संस्कृति की धरोहर उसी में सुरक्षित है। उनकी ओर भी हमारा ध्यान जाना चाहिये। आशा है कि उनकी प्रगति की ओर भी मंत्री जी कोई सक्रिय कदम उठावेंगे। नगरों में भी संस्कृत शिक्षा का प्रबन्ध होना चाहिये।

इसके अतिरिक्त जो हमारे हिन्दी के टीचर्स हैं वह हिन्दी के ग्रेजुएट रखे जाते हैं उनसे जो प्रथमा या मध्यमा पास टीचर्स हिन्दी के लिये होते हैं उनका अधिक ज्ञान होता है और वह अगर ग्रेजुएट हों तो उनको प्राथमिकता मिलना चाहिये, इससे देश का लाभ होगा।

इसी तरह से एक और बड़ी समस्या की तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। हमने अपने यहां प्रजातन्त्र की प्रणाली अपनाई है और साम्राज्यवाद का अन्त करन की बात हमने कही थी और हर जगह हम दोहाई देते हैं कि साम्राज्यवाद का अन्त होना चाहिये, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में साम्राज्यवाद इस प्रदेश में इतनी बुरी तरह से फैल रहा है जिसको अगर हमने फौरन समाप्त न किया तो वास्तव में वह जमींदारी प्रथा और सामन्तशाही प्रथा की तरह फैल जायगा। मैं अपने बरेली जिले का ही एक उदाहरण दूंगा, वहां पर जिला परिषद् के जो अध्यक्ष महोदय हैं उन्होंने १४ जूनियर हाई स्कूलों की ७ लाख की इमारतों को, प्राइवेट मैनेजमेंट के लीज पर ३० साल के लिये दे दिया है। उन्होंने अपनी इमारतें दे दीं और उनका किराया १००, ५०, १५० रुपया साल ले रहे हैं और वह स्वयं मेनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष बने हुये हैं, पूरे जिले के देहात के स्कूलों की उनकी मानोपाली हो गई है। इसी तरह से एक सज्जन और हैं जो सरकारी पक्ष के एक बड़े अधिकारी रह चुके हैं वह भी ३२ स्कूलों के प्रेसीडेंट बने हुये हैं। तो यह जो साम्राज्यशाही एजूकेशन में चल रही है उसकी ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इससे गड़बड़ घोटाला हो रहा है और जनता की सम्पत्ति को गलत तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है। इस के अतिरिक्त जनता के मनोबल का ह्रास हो रहा है, इसके अलावा जिला परिषद को कुछ अधिकार नहीं रह गये हैं कि वे कोई काम करें। कहीं १४ बिल्डिंग्स थीं वे ट्रांसफर कर दी गई और अगस्त में जो अगली मीटिंग होने जा रही है उसमें उन स्कूलों के लिये १४, १४ हजार रुपया बिल्डिंग्स को ठीक करने के लिये दिया जा रहा है। इस तरह से जनता के धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि ऐसी बातें और भी जिलों में होंगी। मैं इसकी ओर मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

इसके अतिरिक्त उप मंत्री महोदय ने एक बात कही कि जिस तरह से जीवन की प्रगति का कोई निश्चयात्मक मापदंड नहीं होता है उसी तरह से शिक्षा की प्रगति का भी कोई माप-दंड निश्चित नहीं कर सकते हैं। यह बात मेरी समझ में नहीं आई। कोई मापदंड तो हमें निश्चित करना ही पड़ेगा। जैसे एम० एल० ए० होनेपर उप-मंत्री और मंत्री होने का लक्ष्य होता है, इसी तरह से शिक्षा का भी कोई न कोई लक्ष्य तो होगा ही। यह हो सकता है

[श्री हरीशकुमार गंगवार]

कि वह छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन कोई न कोई लक्ष्य निर्धारित करना होगा। जो कागज पर निर्धारित किया है उसको पूरा करना चाहिये। इसलिये मैं उनकी बात से मुत्तफिक नहीं हूं।

मैं यह कहना चाहता था कि आज स्वराज्य हुये १५ साल हो गये, लेकिन आज भी हमारी जनता ७५ या ८० प्रतिशत अंगूठा टेक बनी हुई है। तो यह किस का दोष है, यह हमारे लिये लज्जा की बात नहीं है तो और क्या है इसके लिये मैं सुझाव देना चाहता हूं कि गर्मी की छुट्टियों में विद्यार्थियों से गांवों में प्रौढ़ शिक्षा दिलाने की व्यवस्था होनी चाहिये। वे देहात में जाकर लोगों को शिक्षा दें और वे कम से कम उनको बात करने का ढंग और कुछ लिखना पढ़ना सिखा सकें। इस तरह से हमारी समस्या हल हो सकती है। प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों से हमारी समस्या हल नहीं हो सकती है। आज जो विद्यार्थियों में घोर अनुशासन-हीनता है उसकी जिम्मेदारी शिक्षक, गार्जियन और विद्यार्थी के साथ साथ सरकार की भी है। यह मानना पड़ेगा कि घोर अनुशासनहीनता का वातावरण विद्यार्थियों में पैदा हो गया है और सरकार इसको रोकने में असमर्थ रही है। इसी तरह से नैतिक शिक्षा में भी गिरावट हुई है। आज का विद्यार्थी मां, बाप का कहना मानने में कतराता है और महापुरुषों की जीवनी के बजाय गंदे उपन्यास और कहानियां पढ़ना पसन्द करता है। इसकी जिम्मेदारी सबकी है, लेकिन सरकारी पक्ष की ज्यादा है। इसके साथ साथ शिक्षक, अभिभावक और विद्यार्थियों की है। इसके लिये ठोस कदम उठाने चाहिये वरना इससे सामाजिक पतन होता चला जायगा। मान्यवर, मैं चेतावनी देता हूं कि अगर यह ठीक नहीं हुआ तो शैक्षिक और सामान्य ज्ञान गिरता जायगा इसके लिये मिलिटरी ट्रेनिंग अनिवार्य कीजिये। जब लड़का कदम से कदम मिलाकर चलेगा तो उसमें अनुशासन आयेगा। प्राइमरी स्कूलों में भी मिलिटरी ट्रेनिंग छोटे पैमाने पर शुरू कीजिये। इस पर जोर देने से अनुशासनहीनता समाप्त हो सकती है वरना नहीं हो सकती। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

आचार्य जुगलकिशोर:—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का बहुत ही अनुग्रहीत हूं कि उन्होंने जो प्रस्ताव, मैंने सदन के समक्ष रखा था, उसके सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये, अपनी आलोचनायें कीं और अपने सुझाव भी दिये। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो कुछ विचार हमारे सामने उन्होंने रखे उनके ऊपर हम, जहां तक वह व्यावहारिक हैं, कार्य करने की कोशिश करेंगे। कुछ सदस्यों की यह शिकायत थी कि मैंने अपने प्रारम्भिक भाषण में कई बातों का जिक्र नहीं किया और इससे उनके दिल में यह सन्देह पैदा हुआ कि मैं उन विषयों की उपेक्षा करता हूं। विशेष तौर से चन्द्रजीत यादव जी ने प्री-प्राइमरी शिक्षा के सम्बन्ध में यह शिकायत की कि मैंने कोई भी अपने भाषण में प्री-प्राइमरी का जिक्र नहीं किया। यह सही है कि मैंने उसका जिक्र नहीं किया, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि मैं उसके महत्व को नहीं समझता हूं या मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में उसके स्कूल ज्यादा संख्या में खुलें। आज हमारे सामने दिक्कत यह है कि धन के अभाव के कारण हम वह सब बातें नहीं कर पाते जिनको हम सही और मुनासिब समझते हैं। इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए जैसा कि हमारे कुछ अन्य साथियों ने कहा प्ले ग्राउन्ड हर एक स्कूल के साथ होना चाहिए और उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ अनुदान चाहिए, सेविन्थ या एट्थ क्लास में निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए, कुछ कालेजेज और गवर्नमेंट खोल दे, इंटरमीडियेट और डिग्री कालेजेज, यह सब बातें ऐसी हैं

(इस समय ५ बज कर २७ मिनट पर अधिष्ठाता, कुंवर श्रीपालसिंह पीठासीन हुए।)

कि जो सही हैं अपने स्थान पर, लेकिन कहां तक व्यावहारिक रूप में हम उनको कार्य में ला सकते हैं इसके बारे में हमें संदेह है और यदि हमारी आर्थिक स्थिति हमको इजाजत देती

तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं सबसे पहले होता कि जो इन सब बातों को अपने बजट में रखता। आज हम एक संकटकालीन स्थिति से गुजर रहे हैं और हमने अपना ध्यान विशेष रूप से प्राइमरी एजूकेशन को बढ़ाने की तरफ केंद्रित कर रखा है और मैं समझता हूं कि जितनी जल्दी हम उसको बढ़ा सकें, उसकी संख्या को बढ़ा सकें, उसकी और समस्याओं को हल कर सकें, उतना ही अच्छा है और मैं समझता हूं कि यह एक बड़ा भारी कार्य शिक्षा विभाग अपने प्रदेश की उन्नति के लिये करेगा क्योंकि प्राइमरी एजूकेशन हमारी सारी शिक्षा की बुनियाद है, उसका आधार है। लेकिन जैसा मैंने कहा था कि हम इतने से सन्तुष्ट नहीं हैं जो कुछ कि आज हो रहा है। अध्यापकों की कमी है, भवनों की कमी है, वह वातावरण अभी हमारी प्राइमरी संस्थाओं में नहीं पैदा हुआ है जहां पर शिक्षक और विद्यार्थी अच्छी तरह से रहते हुए अध्ययन-अध्यापन का कार्य कर सकें। इसके लिये मैंने यह प्रार्थना की थी माननीय सदस्यों से भी और उनके द्वारा जनता से कि उनको चाहिये कि वह प्रारम्भिक शिक्षा की देखभाल करें, उसकी समस्याओं को यह समझकर के हल करें कि हमारे बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं, हमारी भी जिम्मेदारी है उनको हल करने की क्योंकि अगर उनके बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकेंगे तो जो उनसे आशा की जाती है वह पूरी नहीं हो सकेगी।

ऐसे बहुत से सुझाव हमारे सामने हैं जिनको जो व्यावहारिक रूप हम दे सकते हैं वह हम अवश्य देंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा आज जिस परिस्थिति में हम गुजर रहे हैं, जो हमारे सामने कठिनाइयां हैं, उसको देखते हुए इतना धन आज हम अपने बजट में रख सके हैं बावजूद इसके कि और चीजों के लिये बहुत सी मांगें थीं। लेकिन यह समझकर कि शिक्षा ही एक ऐसा विषय है कि जिसके द्वारा देश का निर्माण होता है, शिक्षा के द्वारा ही हम देश के अन्दर ऐसे नागरिक पैदा कर सकते हैं जो देश के आगे आने वाले निर्माण कार्यों में सहायक हो सकते है, इस बात को ध्यान में रखते हुये हमने तब भी २७ करोड़ रुपये का बजट इस वर्ष रखा है।

मेरे पास कुछ और ऐसी बातें आयीं हैं जिनके बारे में मैं चाहता हूं कि मैं कुछ स्पष्टीकरण करूं। एक तो कहा गया था आगरा यूनिवर्सिटी के बारे में कि आगरा यूनिवर्सिटी को सरकार उतना अनुदान नहीं देती है जितना कि लखनऊ, इलाहाबाद या गोरखपुर यूनिवर्सिटी को देती है। उसका कारण यह है कि आगरा यूनिवर्सिटी के अन्तर्गत बहुत से डिग्री कालेजेज हैं उनको अनुदान दिया जाता है और आगरा यूनिवर्सिटी टीचिंग यूनिवर्सिटी नहीं है, वह एग्जामिनिंग बाडी है, टीचिंग यूनिवर्सिटी के उनके यहां दो सेक्शंस है उसके लिये हम थोड़ा बहुत अनुदान समय-समय पर देते हैं। आगरा यूनिवर्सिटी को इतनी आमदनी होती है कि जिससे वह अपना खर्चा चला सकती है। जो और संस्थायें खुलती हैं उनको चलाने में वह अपना धन लगा सकती है। यदि आवश्यकता होगी तो उसको और धन भी दिया जायगा। इस साल १ लाख रुपया हमने आगरा यूनिवर्सिटी को दिया है। उनको स्पेशल स्टडी के लिये यह रुपया दिया गया है। आगरा यूनिवर्सिटी के प्रति हमारा कोई पक्षपात नहीं है कि उसके साथ हम कोई अन्याय का बरताव करते हों। यह बात सही है कि हम आगरा यूनिवर्सिटी को ज्यादा सहायता नहीं देते जितनी दूसरी यूनिवर्सिटी को देते है। आगरा यूनिवर्सिटी की उतनी आवश्यकता भी नहीं है। आज की परिस्थिति में लखनऊ यूनिवरसिटी की बहुत सी मांगे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की भी बहुत सी मांगें हैं जिनको हम पूरी भी नहीं कर सकते हैं। जिस हद तक उनकी मांगों को हम पूरा कर सकते है उस हद तक उनको सहायता हम देते हैं और पूरा करने की कोशिश करते है।

श्रीमती बाजपेयी जी ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में जिक्र किया कि वहां पर आर्केलाजी का सेक्शन खोला गया है उसके लिये अभी तक अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है। जो साधारण तौर पर इसका सेक्शन चलता है उसके लिये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कुछ अनुदान देता है। मैं यह समझता हूं कि अगस्त या सितम्बर के महीने तक वह कोर्स चलेगा। वह बन्द नहीं होगा। मुझे आशा है कि यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन उसके संबंध में जरूर धन देगा और उनको अवश्य मिलेगा। यह कहा गया कि जो माध्यमिक एडेड स्कूल हैं उनके

[आचार्य जुगल किशोर]

क्लर्कों को मैन्डेटरी अलाउन्स नहीं दिया जाता है जो कि टीचरों को दिया जाता है। मुझे सूचना मिली है कि जो सरकुलर हमारे यहां से भेजा गया है उसमें इस बात की व्यवस्था है कि क्लर्कों को भी मैन्डेटरी अलाउन्स दिया जाय। उसमें अलाउन्स देने का नियम है। जहां पर नहीं मिला है उसके विषय में हमारे पास लिखकर भेजें तो हम मालूम करेंगे। यह भी कहा गया कि अध्यापकगण को, जो सजा दी जाती है या हटाया जाता है, उसके लिये कोई शिकायत है या कम्पलेंट करता है तो उसकी दुरुस्ती के लिये कोई इलाज नहीं है। इंटरमीडियेट ऐक्ट के अन्दर यह व्यवस्था है। उसमें ऐसी धारा है जिससे वह अवस्था पैदा हो जिससे टीचर और मैनेजमेंट के बीच जो झगड़ा हो उनको तय किया जा सके। उसके लिये ट्रिब्यूनल की व्यवस्था है। हमारी कोशिश यह है जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हम इंटरमीडियेट ऐक्ट में कुछ तरमीम करें। उस समय संभव है वह मामला भी उसमें आयेगा और उसमें यह देखेंगे कि टीचर और मैनेजमेंट के संबंध अच्छे हों और झगड़े का निपटारा ठीक ढंग से हो जाय। यह सुझाव भी दिया गया कि डिग्री कालेजों के लिये आर्टस की रिकेग्नीशन को कम करना चाहिये। इसकी मान्यता का अधिकार विश्वविद्यालय को है। हमारी पालिसी यह है कि जहां तक हो सके शिक्षा संस्थाओं को ज्यादा मदद दी जाय। हम यूनिवर्सिटी को रोक नहीं सकते अगर वह किसी डिग्री कालेज को मान्यता देते हैं। जब ग्रान्ट की बात आयेगी तब हमारे सोचने की बात होगी। मान्यता देने में यूनिवर्सिटी स्वतंत्र है। मैं यह समझता हूं कि यूनिवर्सिटी को वही बात पूरी करनी चाहिये जो देश की भावना हो और जो देश की मांग हो। आज कालेजों में ज्यादा विद्यार्थी साइंस में आते हैं न कि आर्टस में। मैनेजमेंट को उसी चीज की मांग करनी चाहिये जिसकी ज्यादा मांग हो। मैं समझता हूं कि मैनेजमेंट अब आर्टस के बजाय साइंस के लिये अधिक मांग करेंगे। यह भी शिकायत की गई है कि जो हमने पिछले साल २० रुपये डियरनेस के अपने माध्यमिक शिक्षकों को दिये थे, उसको पूरा करने के लिये डी०ए० फीस दुगनी कर दी गई थी। यह हमको मजबूरन करना पड़ा था। या तो टीचर्स को वह न दिया जाय फिर भी गवर्नमेंट उसमें काफी सहायता दे रही है। लेकिन सरकार इस मद में ४०, ५० लाख रु० देती है डी० ए० मिलाकर जिस टीचर को वेतन शायद ३०० रुपये से कम है, उसको २० रुपये का एलाउन्स मिलता है। इससे अधिक देना सरकार के लिये संभव नहीं था। मैं यह चाहता हूं कि हमारे टीचर्स का पे-स्केल बढ़े, परन्तु कुछ आर्थिक कठिनाइयों के कारण हम वैसा नहीं कर सक पाते हैं। वह हम तभी बढ़ा सकते हैं, जब हमारे पास साधन हों। या तो प्राइमरी स्कूलों को बन्द करें। यूनिवर्सिटी एजूकेशन को कम करें। तभी हम ज्यादा दे सकते हैं। या तो लड़कों से और ज्यादा फीस चार्ज करें। नहीं तो उनको उस पर सब्र करना होगा, जो कि उनको मिलता है। जब तक हमारी आर्थिक दशा और अच्छी नहीं हो जाती है तब तक हम और नहीं बढ़ा सकते हैं।

एक शिकायत यह भी की गई है कि सेकेंड्री एजूकेशन की मद में कटौती की गई है। यह सही है कि प्राइमरी एजूकेशन में भी की गई है। यूनिवर्सिटी एजूकेशन में भी की गई है। लेकिन सवाल यह है कि सेकेंड्री एजूकेशन को कट न करें, प्राइमरी एजूकेशन को ज्यादा जो करना चाहते हैं, वह कैसे करें परन्तु जो भी कट किया गया है, वह बहुत ही कम है। ७० इन्सटीट्यूसन्स को ग्रांट इन एड पर हमें लेना संभव है। अगले साल अगर माली हालत अच्छी हो गई तो और अधिक संख्या में हम लेंगे। हम १२८ या १४३ को ग्रांट एन एड की लिस्ट में लाये हैं।

यह भी कहा गया है कि सेकेंड्री स्कूल्स में क्लार्क्स का वेतन, जो कि आफिस में काम करते हैं, वह बढ़ाया जाना चाहिये। उनसे भी मेरी सिम्पैथी है। लेकिन साधनों के अभाव के कारण हम यह भी नहीं कर सकेंगे।

यह भी सुझाव दिया गया है कि मैनेजमेंट के प्रतिनिधि बोर्ड में भी होने चाहिये। तो आप देखें कि प्रिंसिपल्स आफ दि इंस्टीट्यूशन्स उसमें प्रतिनिधि होते हैं, इंटरमीडियेट

बोर्ड में । मैनेजमेंट तो जनरल पब्लिक का है। सरकार तो सिर्फ नामिनेशन करती है । बोर्ड का तो विशेषकर शिक्षा से संबंध है। वह किस प्रकार से इम्तहान लिये जायें, इन सब बातों को वह तय करता है । उसमें मैनेजमेंट की डाईरेक्टली जिम्मेदारी नहीं है । लेकिन प्रिंसिपल के द्वारा जो दिक्कतें हैं, और जो मैनेजमेंट के सुझाव होते हैं, वह इंटरमीडियेट बोर्ड में रखे जा सकते हैं। इसलिये यह कहना कि उसमें कोई हिदायत नहीं है और कोई मैनेजमेंट का प्रतिनिधि नहीं है, यह कोई नहीं कह सकता है ।

यह भी कहा गया है कि हरिजनों को भी इंटरमीडियेट बोर्ड में ठीक तरह से प्रतिनिधित्व देना चाहिये । आज भी जो माइनारिटी कम्यूनिटी के लिये जो ३ पद रखे जाते हैं, उनमें १ पद तो हरिजनों के लिये ही रखा जाता है। उसमें हरिजन प्रिंसिपल आ सकते हैं, टीचर भी आ सकते हैं, वह इलेक्ट हो कर आ सकते हैं। उसमें कोई रुकावट नहीं है । उसमें एक हरिजन का होना आवश्यक है ।

यह जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये थे, उनमें मैंने जवाब दिये हैं। जो आलोचनायें की गई हैं, उनका भी मैंने उत्तर दिया है । बजट में कुछ प्राविजन प्राइमरी स्कूलों में मिड डे मील के लिये रखा गया है । परन्तु मैं यह चाहता हूं कि उसके अलावा जनता भी उन के लिये मिड डे मील स्कूलों में देने के लिये सहायता करें ।

मैंने अपने भाषण में भी सदन का ध्यान इस ओर दिलाया था । यदि इस संबंध में स्थानीय कमेटियां कुछ सहयोग दें तो वह हो सकता है ।

जिला अध्यापकों को वेतन समय से नहीं मिलता, इस ओर ध्यान दिलाया गया । इसमें सरकार का तो दोष नहीं है। यह दुख की बात है कि शिकायतें हमारे पास आती हैं, पर हम तो जिला बोर्डों को अनुदान ही देते हैं। वह कभी कभी ऐसा करती हैं कि उस पैसे को अन्य मदों में खर्च कर लेती हैं समय से पैसा टीचर्स को नहीं दे पातीं । हम काफी इस बात की कोशिश करते हैं कि समय से पैसा मिल जाया करे, लेकिन वे अपने कार्य में स्वतंत्र हैं, इसलिये हम कुछ अधिक नहीं कर सकते । जो यहां मेम्बर हैं, वे भी जिला बोर्ड के सदस्य होंगे, उनको भी यह कोशिश करनी चाहिये कि इस तरह की अनियमितता न हो ।

अन्त में मैं एक बात की ओर और कहना चाहता हूं जिसका जिक्र हमारे कुछ माननीय मित्रों ने किया । उन्होंने कहा कि हमारी शिक्षा का कोई लक्ष्य नहीं है। उसका जवाब हमारे उपमंत्री जी ने अच्छी तरह से दे दिया । लेकिन उससे कुछ माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं हैं, वैसे वे हमारी बात से संतुष्ट होंगे भी कैसे । यह बात सही है कि डेमोक्रेसी में जो हमारी शिक्षा संस्थायें चलती हैं उनके ऊपर हम अपनी कोई विचारधारा या आइडियालाजी नहीं थोप सकते । उसमें तो हर व्यक्ति स्वतः डेमोक्रेसी के महत्व को समझता है और समझना चाहिये । उसके लिये तो इस तरह का जब समाज में वातावरण पैदा होगा, पोलिटिकल पार्टीज अपने बच्चों को उसको समझायेंगी, तब जाकर उनका विकास होगा और वे डेमोक्रेसी को अपनाने की तरफ बढ़ेंगे । यदि आप अपने बच्चों को उसकी शिक्षा न दें, चारों तरफ उनके वैसा वातावरण न हो, तो हम कैसी भी शिक्षा उनको क्यों न दें, उसका असर उन पर हो ही नहीं सकता । डेमोक्रेसी की तो विशेषता यह है कि उसमें हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपने विचारों को प्रकट करने के लिये । अपने विचारों के मुताबिक उसको काम करने का अधिकार होता है। हम चाहते हैं कि उसमें यह हिम्मत पैदा हो कि वह डेमोक्रेसी में स्वयं स्थान ले सकें । उसको एक ऐसी शिक्षा मिलें कि वह उसके महत्व को समझ सकें । हम यह नहीं चाहते कि हम उनके अन्दर ऐसी विचारधारा भरें, ऐसी आइडियोलाजी भर दें जो न उनके लिये लाभदायक हो, न दूसरों के लिये । हमारी शिक्षा का तो उद्देश्य डेमोक्रेसी की भावना से भरा हुआ होना चाहिये । डेमोक्रेसी ही जीवन का लक्ष्य है । एक दूसरे की बातों को सुनने का, एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखने का, तथा एक आदर्श जीवन का तरीका डेमोक्रेसी में ही है और इसी से आता है । जब इस चीज को हम अपनायेंगे तभी हमारी

[आचार्य जुगल किशोर]

डेमोक्रेसी कामयाब होगी और तभी हमारी शिक्षा का उद्देश्य पूरा होगा। मुनीमी की शिक्षा के बारे में कहा गया। हम इस पर विचार कर सकते हैं अगर कहीं से सुझाव आयेगा। अगर कोई प्राइवेटली इसको खोलना चाहें तो उसको सहायता कर सकते हैं।

अन्त में मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि जो भी उनके सुझावों को व्यावहारिक रूप दिया जा सकेगा, उसको देने का प्रयत्न करेंगे और जो कार्य हम कर रहे हैं, मुझे पूरी आशा है कि वह इस दृष्टिकोण से उसे देखेंगे कि बड़ा मुश्किल काम हमने अपने हाथ में लिया है। शिक्षा का क्षेत्र बड़ा व्यापक है। यह हमारे जीवन के लिये बड़ा महत्व रखता है, इसलिये शिक्षा के संबंध में हमारा दृष्टिकोण भी काफी व्यापक होना चाहिये और यह सोचकर हर व्यक्ति को शिक्षा के विषय को सहानुभूतिपूर्वक सोचकर उसमें सहयोग देना चाहिये, तभी हम शिक्षा के उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। जितना व्यापक यह विषय है उतनी ही जटिल समस्यायें भी इसमें हमारे सामने हैं। एक जटिल समस्या यह है कि हमारे पास स्थान की कमी है, अध्यापकों की कमी है और न समाज में ऐसा वातावरण ही पैदा हुआ है कि शिक्षा संस्थायें उस वातावरण से प्रभावित हो सकें और ठीक तरह से चल सकें। इसलिये शिक्षा की प्रगति के लिये हमें उसके प्रति व्यापक दृष्टिकोण रखना पड़ेगा। हमारे बालक और बालिकाओं का तभी अच्छा विकास हो सकता है, अच्छे नागरिक वे तभी बन सकते हैं जब कि हमारी शिक्षा का इन्तजाम भी अच्छा होगा। इन शब्दों के साथ में माननीय सदस्यों को धन्यवाद देकर बैठता हूं।

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १७---शिक्षा के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य---विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९६३-६४ के लिये अनुदान संख्या १७---शिक्षा के अन्तर्गत २७,९२,६१,१०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता---

अब हम उठते हैं और कल १०॥ बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ५१ मिनट पर अगले दिन के १०१/२ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
२६ मार्च, १९६३।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२१ पर)

तालिका

(क) पूंजी का ब्योरा

	रु०
१—भूमि	४६,४००
२—भवन	२८,४६८
३ सड़कें	२,२९१
४—पशु धन	३,६९५
५ मृत स्कंध	४,६११
६—जल प्रणालियां	४,०७०
योग ..	८९,५३५

(ख) कर्मचारियों का वेतन (१९६१–६२)

फार्म अधीक्षक	१,२९७
फार्म क्लर्क	१,२१०
मासिक मजदूर	१,४०२

चरणसिंह,
कृषि मंत्री ।

संसद सदस्य पर्दशा विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२२ पर)

१—अच्छे सांडों के उत्पादनार्थ शासन द्वारा १५ पशु प्रजनन फार्म और २ सांड़ पालन प्रक्षेत्र स्थापित किये गये हैं जहां से शुद्ध वंशीय उत्तम सांड पैदा करके उन्हें प्रदेश के समस्त भागों में नस्ल सुधार के लिये आंशिक दाम पर वितरित किया जाता है ।

२—शुद्ध वंशीय साड़ों की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई मांग की पूर्ति न हो सकने के कारण कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों का प्रसार किया जा रहा है जिससे प्रत्येक उत्तम सांड़ के वीर्य का अधिकाधिक उपयोग हो सके ।

३—गो वंश के विकास हेतु गोशालाओं को शासन की ओर से आर्थिक सहायता दी जा रही है ।

४—इसके अतिरिक्त कृषकों को अच्छी नस्ल की दुधारू पशु खरीदने के लिये ग्राम समूह योजना क्षेत्रों (Key Village Scheme) में तकावी ऋण दिया जाता है ।

५—डेरी फार्मिंग हेतु राजस्व विभाग द्वारा तकावी ऋण इस विभाग की सिफारिश पर दिया जाता है जिसमें दुग्धशालय हेतु मशीनें व सामान खरीदने के साथ साथ केवल शुद्ध वंशीय दुधारू पशु खरीदने का भी प्राविधान है ।

६—बारबरी व जमुनापारी नस्ल के बकरी पालकों को अधिक दूध देने वाली बकरियों पर जिला इटावा, जालौन, इलाहाबाद, एटा व आगरा में आंशिक अनुदान उनका उत्साह बढ़ाने के लिये दिया जाता है ।

७—पहाड़ी क्षेत्रों में गायों की नस्ल सुधारने तथा उनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने अर्सी नस्ल के सांड विदेश से मंगाकर संकरवर्ण प्रजनन (Cross Breeding) हेतु भी दिये हैं । कुछ और अर्सी सांड मंगाने हेतु परिषद् से पत्र व्यवहार चल रहा है । अन्य नस्ल की गाय व भैंसा सांड अधिकतर राजकीय पशु प्रजनन फार्मों से लिये जाते हैं और उन पशु पालकों से भी खरीदे जाते हैं जिन्हें बछड़ों के पोषणार्थ राज्य सहायता दी जाती है । बकरा सांड़ जिला इटावा, एटा, और आगरा से क्रय किये जाते हैं ।

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३२ पर)

प्रश्न संख्या ३ का उत्तर

क्रम-संख्या	पद का नाम		कर्मचारियों की संख्या	परिगणित जाति के कर्मचारियों की संख्या
१	२		३	४
१	असिस्टेंट ट्रैफिक इन्सपेक्टर	..	६२	४
२	टाइम कीपर व क्लर्क	..	५४४	१३
३	कंडक्टर	..	५६४	४५
४	पैसेंजर टैक्स सपरिंटेंडेंट	..	४	..
५	फिटर	..	५६	६
६	क्लीनर	..	२२९	३८
७	मजदूर	..	१००	१७

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १४ एल० ए०—१९६३—(प्रो०) ८५०।

संसद ग्रंथालय सभा